लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation 4-8-92
Fumigated On 3.2.84
Parliament Library

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 31 जुलाई, 1970/9 श्रावण, 1892 (शक)

No. 5, Friday, July 31, 1970/Sravana 9, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
121. साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये उपाय	Measures to check communal disturbances ..	1—7
122. देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Naxalite activities in the country ..	8
124. पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी खतरा	Naxalite Menace in West Bengal ..	9—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
123. राजनीतिक दलों तथा चुनावों को प्रभावित करने में विदेशी धन का प्रयोग	Role of foreign Money in influencing political Parties and Elections ..	18—19
125. काश्मीर के लिये अल्जीरियायी किस्म के स्वाधीनता संग्राम का आह्वान	Call for Algerian Type war of Independence for Kashmir ..	19
126. अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा	All India service for Engineers ..	19—20
127. बरहामपुर में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस की ज्यादती	Police High handedness against West Bengal Government Employees in Berhampore ..	20
128. भारतीय जहाज मालिकों द्वारा भारतीय जहाज चालकों को बकाया धनराशि का भुगतान	Payment of dues to Indian Crew by Indian Shipowners ..	20—21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
129. संसद् सदस्यों की पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी सलाहकार समिति की बैठक के बारे में पश्चिमी बंगाल के एक कर्मचारी का कथित रिमार्क	Reported Remark by an official of West Bengal re. meeting of Consultative Committee of Members of Parliament on West Bengal ..	21
130. प्रधान मंत्री को हत्या करने के लिये जन संघ का कथित षड़यंत्र	Alleged Jan Sangh plot to kill the Prime Minister ..	21—22
131. राज्य व्यापार निगम द्वारा परिवहन परिचालकों को आयातित कारें देना	Release of Imported cars to Transport operators by State Trading Corporation ..	22
132. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व छात्रों की जांच-पड़ताल करने के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद् का सुझाव	Delhi Chief Executive Councillor's suggestion for screening of Students before admission to Delhi University ..	23
133. हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्रबन्धक मंडल द्वारा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के विरुद्ध की गई शिकायत	Complaint made by Hindustan Shipyard management against Ministry of Shipping and Transport ..	23—24
134. सांप्रदायिक संगठनों पर रोक	Ban of communal organisations ..	24
135. केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात राज्य को धन का आवंटन	Allocation made to Gujarat State from Central Road Fund ..	24—25
136. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें	Text books for Delhi Municipal Corporation schools ..	25
137. नक्सलवादियों से दस्तावेजों का पकड़ा जाना	Seizure of documents from Naxalites ..	25—26
138. लाल किले पर अपना झण्डा फहराने की मुस्लिम लीग की तथाकथित धमकी	Reported Muslim league threat to fly its flag at Red fort :	26
139. पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट	Reports on law and order situation in West Bengal ..	26
140. विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा प्रतियोगी की अपेक्षा कम किराया लिया जाना	Foreign Airlines indulging in under cutting fare ..	27
141. एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC for creation of a National Security Council ..	27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

142. मिजो विद्रोहियों द्वारा भारत में प्रवेश करने का प्रयास	Attempt by Mizo Rebels to cross over to India ..	27—28
143. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of UGC ..	28
144. पश्चिम बंगाल में पुलिस को लाने ले जाने के लिये लारियों का किराये पर लिया जाना	Hire of lorries for Movement of police in West Bengal ..	29
145. कोचीन पोत स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में एक सरकारी दल की जापान की यात्रा	Visit by official team to Japan for construction of Cochin Shipyard ..	29
146. विमान द्वारा माल के यातायात में वृद्धि	Increase in Air Cargo Traffic ..	30
147. सांप्रदायिक दंगों में शिव सेना का हाथ होना	Shiv Sena hand in Communal Riots ..	30—31
148. हायर सेकेन्डरी के तथा उससे उच्च स्तर पर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन	Changes in Examination system at Higher Secondary Level and above ..	31
149. राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को स्थायी करना	Grant of permanency to Employees of National Fitness Corps ..	31
150. नक्सलवादियों द्वारा स्कूलों तथा कालेजों में चीनी प्रचार साहित्य का वितरण	Distribution of Chinese propaganda literature in schools and colleges by Naxalites ..	32

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

802. तमिलनाडु में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगना	Unearthing foreign exchange racket in Tamil Nadu ..	32—33
803. एक महिला और उसके बच्चे की हत्या करने पर सेना के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र	Charge sheet against Army Medical officers for murder of a women with her child ..	33—34
805. दिल्ली के एक स्टूडियो से अश्लील फोटो तथा अश्लील पुस्तकों का बरामद होना	Seizure of Obscene Photographs and fornographic books from a studio in Delhi ..	34
806. उप-कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया	Procedure Re . Appointment of Vice Chancellors ..	34—36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
807. भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation of Administrative Reforms commission regarding pay and allowances of I. P. S. Officers ..	36
808. सचिवालय में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation of ARC Re. Appointment of Technical Experts and specialists to Posts in the Secretariat ..	36—37
809. विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारी, इंजीनियर, तकनीशियन और उनमें विशेषज्ञ	Officers in various Ministries and Engineers, Technicians and Experts among them ..	37
811. अशोक होटल तथा अन्य सरकारी होटलों द्वारा अर्जित लाभ	Earning of profits by Ashoka Hotels and other Government owned hotels ..	37—38
812. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में सर हीरजी गोवासजी जहांगीर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना	Case Registered in Bombay High Court by Enforcement Directorate against Sir Hirji Gowasji Jahangir ..	38
813. पश्चिमी तटवर्ती सड़क का निर्माण	Construction of West Coast Road ..	39
814. छोटी सदरी सोना कांड (गोल्डकेस)	Chhoti Sadri Gold Case ..	39
815. प्रधान मंत्री द्वारा चांदनी चौक दिल्ली में आयोजित सभा पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on the Meeting Addressed by Prime Minister in Chandni Chowk, Delhi ..	39—40
816. साम्प्रदायिकता का दमन करने के उद्देश्य से अवैध गतिविधि अधिनियम में किये जाने वाले परिवर्तन	Changes sought to be made in Unlawful Activities Act to curb Communalism ..	40
817. सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये विधेयक	Bill to Regulate Recruitment and conditions of Service of persons appointed to Public Services and Posts ..	40—41
818. राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने के बारे में महान्यायवादी की सलाह	Advice of Attorney General Re. deployment of CRP to States ..	41—42
820. प्रशासन सुधार आयोग पर किया गया खर्च और मंत्रियों की संख्या को सीमित रखने के बारे में उसकी सिफारिशें	Expenditure incurred on Administrative reforms commission and its recommendations on limitation of number of Ministers ..	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

821. राजस्थान विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की हत्या में एक राज्य मंत्री के पुत्र का कथित हाथ	Alleged involvement of a state Minister's son in the Murder of a student of Rajasthan University ..	42—43
822. भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थी	Foreign students in Indian Universities ..	43
823. इंजीनियरों और तकनीशनों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Employment of Engineers and Technicians ..	43—44
824. प्रयुक्त जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान द्वारा बेरोजगारी का अध्ययन	Study of unemployment by institute of Applied Manpower Research ..	44—45
825. जम्मू और काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पार के घुसपैठिये	Infiltrators in Jammu and Kashmir from Across the cease fire line ..	45
826. साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करने के लिए नियम	Rule for suspension of district Magistrate and S. P. of the district where communal riots occur ..	45
827. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खराब वित्तीय स्थिति	Unsound financial conditions of Allahabad University ..	45—46
828. मुख्य पत्तनों में लगाई गई पूंजी पर लाभ	Return on Capital invested in Major Ports ..	46—47
829. दिल्ली में स्कूलों के बच्चों के लिये पाठ्य पुस्तकें	Text books for Delhi school children ..	47—48
830. मद्रास में निर्जल गोदी	Dry dock at Madras ..	48
831. आन्ध्र प्रदेश में सेवाओं का क्षेत्रीयकरण	Regionalisation of services in Andhra Pradesh ..	48
832. जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी	Exhibition organised by Jan Sangh and RSS at Lucknow ..	49
833. पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की न्यायिक जांच	Judicial probe into firing by police ..	49—50
834. माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और सचिवों का नई दिल्ली में सम्मेलन	Conference of Chairman and Secretaries of Boards of Secondary Education held in New Delhi ..	50
835. भारतीय रेड क्रास सोसायटी, नई दिल्ली की फाइलों का गायब होना	Disappearance of files of Indian Red cross society, New Delhi ..	50—51

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

836. परादीप पत्तन का विकास	Development of Paradip Port	..	51
837. केबरे नृत्य	Cabaret dances	..	52
838. जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य पर हमला	Assault on Principal of Jalpaiguri Engineering college	..	52
839. भारतीय साम्यवादी दल का भूमि को छीनने का आन्दोलन	Land grabbing movement by C. P. I.	..	52—53
840. साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ	Foreign hand in communal riots	..	53—54
841. कश्मीर में अग्निकांड की घटनाओं की जांच	Investigation into fires in Kashmir	..	54
842. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भेदभाव	Discrimination in Aligarh Muslim University	..	54—55
843. दिल्ली स्कूल के अध्यापकों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Delhi School Teachers		55
844. ग्रामीणों पर गोली चलाने के कारण एक सैनिक अधिकारी का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of an Army officer for firing on Villagers	..	55—56
846. सामान्य पाठ्य पुस्तकें	Common Text books	..	56—57
847. भारत और रूस के बीच परमाणु वैज्ञानिकों के अदान प्रदान का समझौता	Exchange of Nuclear scientists between India and USSR	..	57
848. गोड्डाची (मैसूर) में एक प्राचीन मन्दिर का पता चलना	Discovery of an ancient temple at Goddachi (Mysore)	..	57
849. एरोफलोट तथा एयर इंडिया के बीच करार	Agreement between Aeroflot and Air India	..	58
850. साम्प्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के लिये राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही	Action taken by State to curb forces of communalism	..	58—59
851. उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या में वृद्धि	Increase in pending cases before High courts	..	59
852. नोबोसिबर्स्क (रूस) में विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन में गोखले इंस्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स तथा इक्नोमिक्स के निदेशक द्वारा भाग लिया जाना	Participation by Director at Gokhale Institute of Politics and Economics at World Economic Science Conference at Novosibrsk (Russia)	..	59—60

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
853. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 1948 में सरकार को दिये गये आश्वासनों का पूरा न किया जाना	Non fulfilment of assurances given by R.S.S. to Government in 1948	..	60
854. साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद् का निर्णय	National integration council decision for Campaign against communalism	..	61
855. पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं	Violent incidents in West Bengal	..	61
856. भूमि छीनने के आन्दोलन में की गई गिरफ्तारियां	Arrests made in land grabbing movement	..	62
857. मंत्रियों पर खर्च में कमी करने के लिये कार्यवाही	Steps to curtail expenditure on Ministers	..	62
858. दिल्ली में पर्वतारोहण तथा बाह्य क्रयाकलापों के लिये एक केन्द्र की स्थापना	Settingup of a centre for mountaineering and outdoor activities in Delhi	..	62—63
859. विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता	Code of conduct for students	..	63
860. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore border dispute	..	63—64
861. शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा पाठ्य पुस्तकों की जांच	Screening of Text books by NCERT	..	64—65
862. शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा चयन किये गये प्रोफेसरों और रीडरों के चयन करने की प्रक्रिया के बारे में शिकायत	Complaint against procedure for selection of professors and Readers by NCERT	..	65
863. दिल्ली के विभिन्न कालेजों में प्रवेश	Admission to various Colleges in Delhi		65—66
864. दिल्ली नगर निगम की परियोजना के लिये सप्लाई किये गये सीमेंट की कथित बिक्री	Alleged sale of cement released for DMC project	..	66
865. भारत की जनसंख्या में वृद्धि	Population Growth in India	..	66
866. केरल विधान सभा का विघटन	Dissolution of Kerala Assembly	..	66—67
867. बंगाल बंध	Bengal Bandh	..	67
868. गुजरात राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की संख्या	Strength of CRP in Gujarat State	..	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
869. संसद् सदस्यों की सलाहकार समितियों में विरोधी पक्ष के सदस्यों को सम्मिलित करना	Inclusion of opposition members in consultative committees ..	68
870. आगरे के किले में मुस्लिम विरोधी पर्चों का पाया जाना	Anti Muslim pamphlets found at Agra Fort ..	68—69
871. महाराष्ट्र में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हुई जनधन की हानि	Loss of life and property in communal riots in Maharashtra ..	69
872. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को लाठी, चाकू तथा अन्य हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण	Training of RSS volunteers in the use of Lathi, Knife and other weapons ..	70
873. प्रधान मंत्री द्वारा चांदनी चौक में दिया गया भाषण	Speech delivered by the Prime Minister in Chandni Chowk, Delhi ..	70—71
874. जम्मू के अर्निया गांव में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफतारी	Arrest of Pakistani Nationals in village Arnia of Jammu ..	71
875. माओ समर्थक चित्रों का राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रदर्शन	Display of Pro Mao pictures in State and Union Territories ..	71—72
876. राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in States ..	72—73
877. साम्प्रदायिकता विरोधी सर्वदलीय सम्मेलन की दिल्ली में बैठक	Meeting of All Party Convention on anti-communalism in Delhi ..	73
878. हिमाचल प्रदेश के श्री बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Shri Baldev Singh of Himachal Pradesh ..	73—74
879. जादूगुडा के निकट रुआम के पर्वतीय जंगलों में नक्सलियों की गिरफतारी	Arrest of Naxalities in the Hill Forests of Ruam near Jaduguda ..	74
880. भूतपूर्व गृह कार्य मंत्री का उन राज्यों का दौरा जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए थे	Visit by former Home Minister of States where communal riots took place ..	74—75
881. केन्द्रीय पुलिस सलाहकार बोर्ड के गठन के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC for constituting a Central Police Advisory Board ..	75
882. दिल्ली में माओ सम्बन्धी साहित्य का पकड़ा जाना	Seizure of Mao leterature in Delhi ..	76
883. विद्यार्थियों में असन्तोष के बारे में समिति	Committee on Student unrest ..	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

884. रक्षित स्थान/जंगली जीव परिरक्षण पार्क	Sanctuaries Wild life preservation parks ..	77
885. पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा नक्सलवादियों की गतिविधियों के लिये सहायता देना	CPI (M) Aid to Naxalite Activities in West Bengal ..	77—78
886. विश्वविद्यालयों के प्रांगण में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalities activities in university campuses ..	78
887. पालम हवाई अड्डे पर जम्बो जेट विमान उतारने के लिये प्रबन्ध	Arrangements for landing Jambo Jets at Palam Airport ..	79
888. हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations against Haryana Chief Minister ..	79
889. गांधी जी की हत्या पर कपूर आयोग का प्रतिवेदन	Kapoor Commission's Report or murder of Gandhiji ..	79—80
890. स्नातकोत्तर छात्रों के लिये अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम	English as medium of instructions for post graduates ..	80
891. इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से संस्कृत की पुस्तकों, चित्रों आदि को प्राप्त करना	Securing Sanskrit volumes, paintings etc. from India office library, London ..	80
892. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध	Ban on RSS and other communal organisations ..	80—81
893. पाकिस्तानी नाविकों का भारतीय क्षेत्र में भटक जाना	Straying into Indian territory by Pakistani Boatmen ..	81
894. जम्मू और काश्मीर सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against J & K Government ..	81
895. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	Central industrial Security force for public Sector undertakings ..	81—82
896. दिल्ली के नेशनल स्टेडियम की अवमानक दशा	Substandard conditions at National Stadium, Delhi ..	82—83
897. दिल्ली हवाई अड्डे पर कार खड़ी करने के लिए शुल्क लेना	Collection of Car Parking fee at Delhi Airport ..	83
898. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विभिन्न होटलों को दी गई राशि	Amount paid to various Hotel by IAC ..	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
899. छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों की टिप्पणियां	Circulation of Notes to Political parties Re. student unrest ..	85
900. एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा	Inconvenience caused to passengers travelling by Air India ..	85—86
901. उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां	Activities of extremist elements ..	86
902. पालम हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी	Dearth of facilities at Palam Airport ..	86—87
903. सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मसानी गांव के निकट एक हरिजन बस्ती में आग लगाना	Setting on fire a Harijan colony near village Masanigaon by cast Hindus ..	87
904. राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने के बाद पश्चिम बंगाल में हत्याएं और डकैतियों की घटनायें	Murders and dacoities in West Bengal since the Imposition of President's Rules ..	88
905. पंजाब के अध्यादेश के प्रख्यापन के सम्बन्ध में राज्यपाल को सलाह	Advice to Governor on promulgation of Ordinance in Punjab ..	88
906. भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in IAS and IFS ..	89
907. संघ राज्य क्षेत्रों में घातक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये उपाय	Measures to reduce Fatal road accidents in Union Territories ..	90
908. भिवण्डी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच	Judicial inquiry into communal riots at Bhiwandi ..	90
909. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को राज्य सरकारों द्वारा वापस लिया जाना	Withdrawal of cases by State Governments against Employees who participated in the 19th September 1968 Strike ..	90—91
910. दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को बहाल करना	Reinstatement of Delhi Police men ..	91
911. सरकारी कर्मचारियों के राजनैतिक दलों के साथ सम्बन्ध	Association of Government Employees with Political Parties ..	91

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
912. डा० खुराना की भारत यात्रा	Visit of Dr. Khorana to India	..	92
913. दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक फोटोग्राफर की तथाकथित पिटाई	Alleged beating of photographer by R. S. S. workers in Delhi	..	92
914. भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान, खड़गपुर के वैमानिक इंजीनियरी विभाग को बन्द करना	Closing down of department of Aeronautical Engineering of IIT Kharagpur	..	93
915. गैर सरकारी क्षेत्र में होटलों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन	Foreign Exchange earning by Hotels in Private Sector	..	93—94
916. भारत रूस नौवहन करार	Indo-Soviet Shipping Agreement	..	94—95
917. केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Centre State Relations	..	95
918. पुराने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 की मरम्मत	Repairing of old National Highway No. 8	..	95—96
919. राज्यों में अनिवार्य शिक्षा	Compulsory Education in States	..	96
920. बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग न किया जाना	Unutilized Central Grants by Bihar Government	..	96
921. नक्सलवादियों द्वारा मनीपुर में पुल का उड़ाना	Bridge blown off by Naxalities in Manipur	..	96—97
922. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में शरणार्थी कालोनी पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) समर्थकों द्वारा छापा मारना	Raid by CPI (M) supporters on Refugee Colony in Jalpaigudi District of West Bengal	..	97
923. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उड़ान समय में गड़बड़ी	Disruption in IAC Flight time-schedules	..	97—98
924. साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार करने वाली पत्र पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही	Action against journals and periodicals propagating communal feelings	..	98
925. प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य	Work of Administrative Reforms Commission	..	98—99
926. विदेशी धर्म प्रचारकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Grant of Indian Citizenship to foreign Missionaries	..	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
927. मैसूर राज्य में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड	Selection grade for teachers in Mysore State ..	99
928. मैसूर राज्य में ग्रामीण संचार	Rural communications in Mysore State ..	100
929. पर्यटक केन्द्रों के रूप में स्थलों के विकास के लिये कसौटी	Criteria for development of places as tourist centres ..	100
930. मंगलौर बम्बई के विमानों में स्थान न मिलना	Refusal of seats on Mangalore Bombay Air Route ..	101
931. गोवा के उप राज्यपाल द्वारा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की आलोचना	Criticism of public sector projects by Lt. Governor of Goa ..	101
932. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के वरिष्ठ उप-पुस्तकाध्क्ष के विरुद्ध आरोप	Strictures against Senior Deputy Librarian, National Library, Calcutta ..	101—102
933. क्षेत्रीय तथा भाषा सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर दंगे	Riots on Regional and lingual issues ..	102
934. कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति	Posting of librarian, National Library, Calcutta ..	102
935. देश में हिप्पियों के प्रवेश पर रोक	Ban on entry of hippies into country ..	102—103
936. बाह्य संगठनों द्वारा स्कूलों के अहातों का प्रयोग	Use of school premises by outside organisations in Delhi ..	103
937. कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Calicut Airport ..	103—104
938. भारत को रूस से जहाजों पर माल का लदान	USSR Shippents to India ..	104
939. अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों तथा धार्मिक स्थलों का संरक्षण	Preservation of Buddhist Images and Shrines in Afghanistan ..	105
940. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के ग्रेडों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of UGC recommendations in respect of University teachers' Grade ..	106
941. विद्यार्थी / अध्यापक संघों को मान्यता	Recognition to students'/teachers' Unions ..	106—107
942. विश्वविद्यालय के मामलों में धन का प्रभाव	Influence of money power in University Affairs ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

943. दिल्ली प्रशासन द्वारा तिहाड़ गांव में भूमि का अर्जन	Acquisition of land by Delhi Administration in village Tehar ..	107—108
944. नये हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of New Airports ..	108—109
945. दिल्ली के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायकों तथा अटेन्डैंटों के वेतनमान	Pay scales of Librarians, Library Assistants and Attendants in Delhi Schools ..	109
946. दिल्ली के स्कूलों में लाइब्रेरी अटेन्डैटों के वेतनमान	Pay scales of Library Attendants in Delhi Schools ..	109
947. वरिष्ठ पुस्तकालय अटेन्डैंटों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Senoir Library Attendants ..	110
948. दिल्ली में मिडिल स्कूलों के लिये पुस्तकालय	Libraries for middle schools Delhi ..	110
949. शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियमावलियां, नियमों आदि का अनुवाद	Translation of Manuals/Rules etc. by Ministry of Education ..	110—111
950. रूसी पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद	Translation of Russian Text Books in English and Hindi ..	111
951. सरकारी उपमुख्य सचेतक	Government Deputy Chief Whip ..	111—112
952. भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा माल के परिवहन में की गई प्रगति	Progress made by Indian Shiping Companies in Transportation of Goods ..	112
953. पर्यटकों को भारत में बुलाने के लिये एयर इंडिया का अभियान	Air India's campaign for an outflow of tourists to India ..	113
954. नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस पुस्तकालय का भविष्य	Future of Sapru House Library New Delhi..	113
955. भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगे में शिव सेना का हाथ होना	Involvement of Shiv Sena with Communal Trouble in Bhiwandi ..	114
956. श्रीनगर में डाकुओं तथा समाज विरोधी तत्वों को हथियारों तथा गोला बारूद की सप्लाई	Supply of Arms and Ammunition to Dacoits and Anti Social Elements in Srinagar ..	114
957. दिल्ली विश्व-विद्यालय में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति	Appointment of Heads of Department in Delhi University ..	115
958. भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का कर्तव्य	Role of IAS officers ..	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
959. परीक्षाओं में असफलता के कारण होने वाली धन आदि की बरबादी	Wastage caused by failures in Examinations ..	116
960. विश्वविद्यालयों में नक्सलियों की गतिविधियां	Naxalite activities in Universities ..	116—117
961. फरवरी, 1969 में इन्डियन एयर लाइन्स डकोटा विमान का जयपुर में दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident to an Indian Airlines Dakota Plane at Jaipur in February, 1969 ..	117
962. महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य की हत्या	Murder of Maharashtra MLA	118
963. अप्रैल, 1970 में कम्बाटा एयरलाइन्स के हैलीकाप्टर का बम्बई से दूर समुद्र में गिर कर टूक टूक होना	Crash of Cambata Airlines Helicopter into Sea off Bombay in April, 1970 ..	118
964. दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मंत्री का गिराया जाना	Demolition of rostrum by the Officials of Delhi Municipal Corporation ..	119
965. राष्ट्रीय स्वयं संघ का विधान	Constitution of RSS ..	119
966. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शस्त्रागार	Armouries belonging to RSS ..	119
967. केन्द्रीय विद्यालय बोकारो के कर्मचारियों को निर्माण भत्ता	Construction Allowance to employees of Central School, Bokaro ..	120
968. भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्राप्त दो जहाजों का आकार	Size of two ships acquired by Shipping Corporation of India ..	121
969. दरभंगा में चीन से प्रशिक्षित एजेन्ट	China trained agents in Darbhanga ..	121—122
970. नक्सलवादियों द्वारा अग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में वृद्धि	Increasing use of fire arms by Naxalites ..	122
971. साम्प्रदायिक संगठनों और नक्सलवादियों पर प्रतिबंध	Ban on communal organisation and Naxalites ..	122—123
972. श्रमिकों पर नक्सलवादियों का प्रभाव	Naxalite influence among workers ..	123
973. देश को आजाद कराने के लिये युद्ध की तैयारियां	War preparations for Liberation of country ..	123—124
974. नक्सलवादी पत्रिकाओं पर प्रतिबन्ध लगाना	Ban on Naxalite Journals ..	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
975. मिजो विद्रोहियों को नक्सलवादियों द्वारा सहायता	Naxalite help to Mizo hostiles ..	124
976. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Eastern Regional Head quarters of Central Industrial Security force ..	125
977. विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन	World Economic Science Conference ..	125
978. लिबरेशन मासिक पत्र के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाना	Proscription of Liberation ..	125—126
979. कारवाड़ा तथा मंगलौर पत्तनों का विकास	Development of Karwar and Mangalore ports ..	126
980. हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देना	Grant of Statehood to Himachal Pradesh ..	126
981. पर्यटन के लिये पर्वतीय स्थानों के विकास का कार्यक्रम	Programme for development of Hill Stations for Tourism ..	127—128
982. अराजपत्रित अधिकारियों की हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश के बन विभाग को हुई हानि	Loss suffered by Himachal Pradesh forests due to strike by Non Gazetted Officers ..	128—129
983. हिमाचल प्रदेश के स्कूल अध्यापकों के लिये संशोधित वेतनमान	Revised Pay scales of Himachal Pradesh School Teachers ..	129
984. जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक डा० धर्म तेजा से बकाया धनराशि की वसूली	Recovery of Dues from Dr. Dharma Teja ex. Managing Director of Jayanti Shipping Company ..	129—130
985. साम्प्रदायिक दंगों की संभावना वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पुनः तैनात करना	Re. Deployment of CRP in areas prone to communal violence ..	130—131
986. भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के स्तर में गिरावट	Decline in quality of recruitment to IAS ..	131—132
987. सेवा में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये उपाय	Measures to attract better talent into service ..	132
988. केन्द्र राज्य सम्बन्ध के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommedations of Study team on Centre State relations ..	133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
989. बम्बई फ्लाइंग क्लब के प्रशिक्षण विमान का दुर्घटना-ग्रस्त हो जाना	Crash of trainer aircraft of Bombay Flying Club ..	133—134
990. तिरुपति में हवाई अड्डा	Airport at Tirupati ..	134
991. सीमा सुरक्षादल और पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों के मध्य भिड़न्त	Clash between BSF and East Pakistan Rifles ..	134—135
992. दिल्ली में ड्रिल पर प्रतिबन्ध	Ban of physical drills in Delhi ..	135—136
993. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमानों का लाभ	Benefit of Punjab pay scales to employees of the Union Territory of Chandigarh ..	136
994. हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों की मांगें	Demands of non gazetted officer of Himachal Pradesh ..	136—137
995. सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सम्पर्क	Contracts of Government Employees with RSS ..	137
996. उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी पर्वतीय राज्य बनाया जाना	Formation autonomous Hill state in U. P. ..	137
997. पटना के समीप गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण	Construction of Bridge over River Ganga near Patna ..	138
998. समस्तीपुर में केन्द्रीय विद्यालय	Central School at Samastipur ..	138
999. प्रधान मंत्री द्वारा पटना के निकट गंगा के ऊपर सड़क पुल की आधार शिला रखना	Laying of foundation stone by of a road bridge over Ganga near Patna by the Prime Minister ..	139
1000. दिल्ली के लिये पुलिस कमिश्नर	Police Commissioner for Delhi ..	139
ध्यानाकर्षण के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention (Query) ..	140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी विमान के अतिक्रमण का समाचार	Reported intrusion of Pakistani plane into Indian territory ..	140—145
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok ..	140—141
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ..	141—145
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table ..	145—152
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ..	152
एक सौ उन्तीसवां प्रतिवेदन	Hundred and twenty-ninth report ..	152
रेलवे वर्कशाप जमालपुर (बिहार) के बारे में याचिका	Petition re. Railway workshop, Jamalpur (Bihar) ..	153
भारतीय रुई निगम के बारे में वक्तव्य	Statement re. Cotton Corporation of India ..	153—154
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra ..	153—154
सभा का कार्य	Business of the House ..	154—159
समितियों के लिए निर्वाचन	Election to committees ..	159—160
(1) विश्वभारतीय की संसद् (कोर्ट)	(i) Sansad (Court) of Visva-Bharti, and ..	159—160
(2) प्रोद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अर्न्तगत परिषद	(ii) Council under institute of technology Act ..	160
संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री तेन्नेटि विश्वनाथम)	Constitution (Amendment) Bill by Shri Tenneti Viswanatham ..	160
प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment on Select Committee ..	160
आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में	Re. Resignation of Speaker of Andhra Pradesh Assembly ..	161
संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक	Contract labour (Regulation and Abolition) Bill ..	161—163
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as reported by Joint Committee ..	161
श्री डी० संजीवैया	Shri D. Sanjivayya ..	161—162
श्री सोमचन्द्र सोलंकी	Shri S. M. Solanki ..	162—163
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	163
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ..	164
चौसठवां प्रतिवेदन	Sixty fourth Report ..	164
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills introduced ..	164—181
(i) सिविल कार्यवाहियां विधिक सहायता विधेयक (श्री मधु लिमये का)	(i) Civil proceedings legal Assistancc Bill by Shri Madhu Limaye ..	164
(ii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 11 का प्रतिस्थापन) (श्री मधु लिमये का)	(ii) Representation of the people (Amendment) Bill (Substitution of Section 11) by Shri Madhu Limaye ..	164

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(iii) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 137 क का रखा जाना) (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)	(iii) Constitution (Amendment) Bill, (Insertion of new article 137 A) by Shri Om Prakash Tyagi ..	165
(iv) बिहार विधान परिषद (उत्सादन विधेयक (श्री भोगेन्द्र झा का)	(iv) Bihar Legislative Council (Abolition) Bill, by Shri Bhogendra Jha ..	165
(v) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (प्रथम अनुसूची का संशोधन) (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)	(v) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, (Amendment of First Schedule) by Shri Om Prakash Tyagi ..	165
(vi) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (नई धारा 8क का रखा जाना) (श्री पन्ना लाल बारूपाल का)	(vi) Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, (Insertion of new section 8A) By Shri Panna Lal Barupal ..	165—167
(vii) न्यायाधीश (जांच) संशोधन विधेयक (धारा 3, 4 और 6 का संशोधन) (श्री तेन्नेटि विश्वनाथम)	(vii) Judges (Inquiry) Amendment Bill (Amendment of sections 3,4 and 6) by Shri Tenneti Viswanatham ..	168
(viii) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) (श्री मधु लिमये का)	(viii) Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 314) by Shri Madhu Limaye ..	168
(ix) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक (श्री जार्ज फरनेन्डीज का)	(ix) Uttar Pradesh Legislative Council (Abolition) Bill—by Shri George Fernandes ..	168—174
(x) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 10, 12 आदि का संशोधन) (श्री जार्ज फरनेन्डीज का)	(x) Payment of Bonus (Amendment) Bill (Amendment of sections 10, 12 etc.) by Shri George Fernandes ..	174
(xi) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अच्नुछेद 24क का रखा जाना) (श्री कंवर लाल गुप्त का)	(xi) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of New article 24A) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	174
(xii) संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रथम अनुसूची का संशोधन) (श्री कंवर लाल गुप्त का)	(xii) Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of First Schedule) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	174—175
(xiii) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ (संशोधन) विधेयक (धारा 3, 5 आदि का संशोधन) (श्री श्रीचन्द्र गोयल का)	(xiii) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Bill, (Amendment of sections 3, 5, etc.) by Shri Shri Chand Goyal ..	175

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(xiv) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 16 का संशोधन) (श्री श्रीचन्द गोयल का)	(xiv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 16) by Shri Shri Chand Goyal ..	175
(xv) लाभ की अधिकतम सीमा विधेयक (श्री कंवर लाल गुप्त का)	(xv) Ceiling on Profits Bill—by Shri Kanwar Lal Gupta ..	176
(xvi) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 366 का संशोधन) (श्री मृत्युंजय प्रसाद का)	(xvi) Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of article 366) by Shri Mrityunjay Prasad ..	176
(xvii) संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री मृत्युंजय प्रसाद का)	(xvii) Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Seventh Schedule) by Shri Mrityunjay Prasad ..	176
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 164 का संशोधन) (श्री प्र० के० देव का)	Constitution (Amendment) Bill—(Amendment of article 164) by Shri P. K. Deo ..	177—181
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	177
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ..	177
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	1 7—178
श्री हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya ..	178—179
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo ..	179
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo ..	179—180
उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्धन विधेयक (श्री आनन्द नारायण मुल्ला का)	Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Bill by Shri A. N. Mulla ..	181—182
राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion to agree to Rajya Sabha amendments ..	182
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill—(Amendment of Article of 330 and 332) ..	182—184
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	182
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ..	182—183
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan ..	183—184
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	184
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	184
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad ..	184
आधे घण्टे की चर्चा—	Half an Hour discussion—	
उर्वरक कारखानों का निर्माण	Construction of Fertilizer Plants ..	185—190
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra ..	185—186
श्री दा० रा० चह्वाण	Shri D. R. Chavan ..	187—190

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1970 / 9 श्रावण, 1892 (शक)
Friday, July 31, 1970/Sravana 9, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये उपाय

+
*121. **श्री के० रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री प० गोपालन :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये राज्य सरकारों को एक चार सूत्रीय योजना अपनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या इन घटनाओं का कोई विस्तृत विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने के ढंग के बारे में 23 मई को दिल्ली में कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ हुए अपने विचार-विमर्शों के निष्कर्ष की जानकारी देने के लिए 27 मई, 1970 को सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा। उस पत्र में निम्नलिखित मुख्य बातों पर बल दिया गया है :—

(1) उन शक्तियों को दबाने के लिए, जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करती हैं, प्रशासन की ओर से अत्यधिक सतर्कता तथा कड़ी कार्यवाही की तुरन्त आवश्यकता है।

(2) और अधिक कानूनी उपायों पर विचार किये जाने तक राज्य सरकार को साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए।

(3) राज्य सरकार को साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों में कुछ सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों द्वारा भाग लिये जाने पर उनसे निपटने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(4) उत्तेजना फैलाने वाले लेखों तथा साम्प्रदायिक उपद्रवों को भड़काने वाले सार्वजनिक उद्‌गारों के सम्बन्ध में समय पर तथा कानून के अधीन पर्याप्त कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए। यह मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने योग्य मामला है।

(5) साम्प्रदायिक गतिविधियों तथा स्थितियों से अन्य विधि तथा व्यवस्था की विपत्तियों से पूर्णतया भिन्न रीति से निपटना पड़ेगा। साम्प्रदायिक तनाव अथवा उपद्रव के प्रथम संकेतों पर अत्यधिक कड़ी कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

(6) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर आसूचना तथा प्रशासनिक प्रबन्धकों का पूरी तरह पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि छोटी से छोटी सभी खतरनाक बातों पर ध्यान दिया जा सके।

(7) उन जिलों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा जो साम्प्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित हुए हैं अथवा साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिये नाजुक क्षेत्र हैं। सम्बन्धित जिला अधिकारियों को इस समस्या के अस्तित्व के बारे में अधिक जानकारी देने के लिये तथा उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों को समझने के लिये भी इन अधिकारियों के छोटे-छोटे दलों में सम्मेलन होने चाहिए।

(8) राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्पष्ट सिफारिश को देखते हुए कि उपद्रवों के लिये, यदि वे होते हैं, तो जिला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाये, उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक स्थितियों को सम्भालने में असमर्थ पाये जाते हैं वे अधिकारी जो साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने में प्रशंसनीय कार्य करते हैं, उचित रूप से पुरस्कृत किये जाने चाहिए।

(9) साम्प्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित क्षेत्रों में दण्डात्मक कर लगाना कारगर होगा।

(10) राज्य सरकारों को अलग-अलग क्षेत्रों में साम्प्रदायिक समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके। ऐसे अध्ययनों के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

(ग) देश में साम्प्रदायिक स्थिति 1967 के उत्तरार्ध से संतोषजनक नहीं रही है।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद ने इस समस्या के समस्त पहलुओं की जून, 1968 में श्रीनगर सम्मेलन में जांच की थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति तथा राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा गठित साम्प्रदायिकता सम्बन्ध उप-समिति स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण करती है। अनेक विशिष्ट उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच आयोगों की नियुक्ति की गई थी। इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिये राज्य सरकार को समय-समय पर दिये गये सुझाव इन निकायों तथा आयोगों की सिफारिशों पर आधारित हैं।

श्री के० रमानी : सभा पटल पर रखे गये विवरण में जो बातें कहीं गई हैं,वे बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट हैं। मैं अपने विशिष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। गत चार वर्षों से औद्योगिक केन्द्रों, विशेषकर भिलाई, रांची, इन्दौर, अहमदाबाद, रूरकेला, भिवन्डी, जलगांव, मेरठ, वाराणसी और पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जैसे स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों की घटनाएं होती रही हैं। इन क्षेत्रों में श्रमजीवी वर्ग रहते हैं। क्या सरकार को पता है कि भारत में बड़े-बड़े व्यापारी तथा प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदायिकतावादी धन खर्च कर साम्प्रदायिक तत्वों को भड़काते हैं और वे उन्हें उत्तेजित करते हैं ताकि वे इस देश में जनता की सामान्य लोकतंत्रीय प्रगति को मजदूर संघ आन्दोलन, लोकतन्त्रीय आन्दोलन चला कर समाप्त कर दें। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों को लिखे गये पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना ठीक नहीं है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री का लिखा गया पत्र अस्पष्ट है। यह पत्र बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें साम्प्रदायिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है और उसमें साम्प्रदायिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कहा गया है। जहां तक औद्योगिक केन्द्रों में साम्प्रदायिक तत्व और दंगों का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुछ ऐसे स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं जो मुख्यतः औद्योगिक केन्द्र हैं परन्तु यह कहना कि इसके पीछे कोई षडयन्त्र है, यह बात अभी तक जांच द्वारा सिद्ध नहीं हुई है, वस्तुतः यह समस्या बहुत पेचीदा है। हमारे देश में साम्प्रदायिक तनाव की अव्यक्त भावना इन संघर्षों के लिए उत्तरदायी है।

श्री के० रमानी : मैंने पूछा था कि इन औद्योगिक केन्द्रों और श्रमजीवी वर्गों की बस्तियों में साम्प्रदायिक दंगे होने के क्या कारण हैं। परन्तु इसका उत्तर नहीं दिया गया है। सरकार का दावा है कि वे साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक दंगों का मुकाबला कर रहे हैं और वे सामान्य रूप से राज्यों से पूछताछ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए और कुछ व्यक्तियों, दलों और साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा कुछ समाचार पत्रों में लेख लिखकर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? साम्प्रदायिक दंगों के बाद राज्य सरकारों को जांच करवानें का सुझाव देने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नम्बियार : यदि प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें तो ठीक रहेगा क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय उनके नियन्त्रण में है और यह एक गम्भीर मामला है।

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है और स्वयं कोई कार्यवाही नहीं की है, तथ्य यह है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ऐसी घटनाओं से पहले की और बाद की स्थिति के साथ निपटने के लिए मुख्य व्यवस्था राज्य विशेष का पुलिस प्रशासन है। इस लिए ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार का कार्य बहुत ही सीमित है यद्यपि वह महत्वपूर्ण होता है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्रालय की यह कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम राज्यों को निरन्तर पत्र लिखते रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा विरोधात्मक कार्यवाही किए जाने का सम्बन्ध है, इसका केवल एक ही तरीका है कि गुप्तचर विभाग को अधिक सतर्क किया जाए और किसी क्षेत्र विशेष में तनाव के बारे में राज्य सरकारों को पहले से चेतावनी दी जाए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार काफी सतर्क रही है। वे इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को सूचित करती रही है। परन्तु बाद की कार्यवाही राज्य सरकारों को करनी होती है।

Shri Mohammad Ismail : It is not sufficient to keep vigilance while sitting in Delhi. I have also been a member of Integration Committee of Trade Unions. I had suggested that the committee should visit the affected areas but my suggestion was not accepted. I want to ask the hon'ble Minister as to what action has been taken against the police officers, parties or persons involved in such incidents. Hundreds of employees had been displaced as a result of riots in Ranchi. They have not yet been rehabilitated. I want to know the reasons as to why this has not been done. It is not the question of integration only, it is the question of basic policy.

Shri Ram Nivas Mirdha : It will not to proper to doubt the sincerity of Government. It. is obvious that Government want to see that riots should not take place and no sooner did such information is received by the Central Government, the State Governments should be forewarned so that firm steps may be taken by them.

I cannot say any thing about Ranchi. It would be better if the hon'ble Member asks this question separately. The Government is, however, determined to minimise the communal tension and prevent recurrence of such incidences. They are also anxious to take expeditious action so that the riots do not spread in other parts of the country.

श्री प० गोपालन : हाल ही में सरकार ने दिल्ली और देश के कुछ अन्य भागों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ड्रिलों और प्रशिक्षण शिविरों पर रोक लगा दी है। देश में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क जाने के बाद से सरकार ने यह उपयुक्त कदम उठाया है। हम इसका स्वागत करते हैं। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर बड़ी संख्या में लगते हैं। मुझे आशा है कि सरकार वहां पर भी राष्ट्रपति शासन के लागू होते ही ऐसी ही कार्यवाही करेगी। केरल में कुछ स्थलों पर खुलेरूप से साम्प्रदायिक विद्वेष की भर्त्सना की जाती है किन्तु गुप्तरूप से प्रशिक्षण केन्द्र लगाये जाते हैं। वहां पर गुप्तरूप से दिये जाने वाले प्रशिक्षण को केरल के गृह-मंत्री श्री सी० एस० मुहम्मद कोया का संरक्षण प्राप्त है। वह मुस्लिम लीग दल के हैं। क्या केन्द्रीय सरकार को अपने गुप्तचर विभाग से इस आशय के समाचार मिले हैं, यदि हां तो क्या मुस्लिम लीग द्वारा गुप्तरूप से लगाये जाने वाले शिविरों के विरुद्ध भी ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह मुख्यरूप से केरल राज्य सरकार का मामला है और इस मामले में वह जो चाहे कार्यवाही कर सकती है। माननीय सदस्य का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ तथा कुछ अन्य संगठन ऐसे शिविर लगाते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : अन्य संगठनों के नाम क्या हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं तो माननीय सदस्य के वाक्यों को दोहरा रहा हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मुस्लिम लीग का नाम लेने में शरमा क्यों रहे हैं । माननीय सदस्य ने तो मुस्लिम लीग का स्पष्टरूप से नाम लिया है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मंत्री होने के नाते उन्हें सभी संगठनों पर नजर रखनी चाहिए । ड्रिल्ज पर बैन सिर्फ आर० एस० एस० पर नहीं है, सब पर है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न विशिष्ट प्रश्न है और उसका क्षेत्र सीमित है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रकार के रवैये से सरकार साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है । साम्प्रदायिक दंगों के लिये यह सरकार स्वयं पूर्णरूपेण जिम्मेदार है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुस्लिम लीग ने इस मामले में सरकार से गठबन्धन किया हुआ है ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं यह स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक गतिविधियों को चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मुस्लिम लीग द्वारा लगाये जाने वाले शिविरों या कवायदों के रूप में हों, चाहे वे केरल में हों या अन्यत्र समानरूप से दबाया जायेगा ।

श्री बलराज मधोक : उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या मुस्लिम लीग द्वारा सैकड़ों शिविर लगाये जा रहे हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न सामान्य नहीं है । प्रश्न केवल केरल तक सीमित है । इस विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा है कि केरल में एक संवैधानिक सरकार है और उसकी दृष्टि से जो कार्य ठीक होगा, वह करेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : आप अब भी उसका नाम नहीं ले रहे हैं और इस प्रकार सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं । यदि राज्य सरकार उनकी गतिविधियों को आपत्तिजनक समझती है, तो वह अवश्य ही इस मामले में कोई न कोई कार्यवाही ।श्य करेगी ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : माननीय सदस्य ने तो केरल के गृह मंत्री का नाम लिया है । फिर राज्य सरकार इस मामले मे कैसे कार्यवाही कर सकती है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह बिल्कुल गलत है । सरकार या गृह मंत्री का उनकी गतिविधियों से बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : केरल में साम्प्रदायिक दंगों के लिए वहां के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं ।

श्री प० गोपालन : मैंने तो यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को अपने गुप्तचर विभाग से ऐसी जानकारी मिली है कि केरल में ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगते हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मेरे अपने जिले में ही ऐसे सैकड़ों शिविर लगाये जाते हैं । कुछ शिविरों में तो राइफलों तक का प्रशिक्षण दिया जाता है । मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं ।

श्री ई० के० नायनार : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम लीग दोनों ही ऐसे शिविर चला रहे हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने राज्य सरकार के गृह मंत्री पर आरोप लगाया है किन्तु वह यहां उपस्थित नहीं हैं जो आरोपों का उत्तर दे सकें। [अन्तर्बाधाएं]

श्री क० लकप्पा : क्या इस प्रकार के आरोप लगाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ बोल रहे हैं। फिर मैं सबको कैसे सुन सकता हूं और उन्हें कैसे उत्तर दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं।

श्री क० लकप्पा : आपने कई बार यह निर्णय दिया है कि मंत्रियों की अनुपस्थिति में उन पर आरोप न लगाये जायें क्योंकि वे अपने आरोपों का उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं होते।

श्री जी० मो० बिस्वास : यह कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न काल के अतिरिक्त एक संघर्ष काल भी होना चाहिए। ताकि उसके पश्चात सभा में शांति स्थापित हो जाये।

श्री प० गोपालन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

Shri G. Venkataswamy : A four-points plan was sent by the Central Government to all the State Governments. May I know the reaction of State Governments in respect thereto. I would also like to know whether it is a fact that the Cheif Minister of Andhra Pradesh is encouraging communal organisation ? if so, the details thereof?

अध्यक्ष महोदय : चार-सूत्री सुझाव की बात तो सामान्य थी। परन्तु अब आप व्यक्तिगत मामलों पर उतर आये हैं।

श्री क० नारायण राव : इस प्रश्न को स्वीकृति न दी जाये, क्योंकि इसमें मुख्य मंत्री पर आरोप लगाया गया है?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना गलत है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री साम्प्रदायिकता को भड़काने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जहां तक मुख्य मंत्रियों को लिखे गये प्रधान मंत्री के पत्र का सम्बन्ध है, वह पत्र, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों के बीच जो विचार-विमर्श निरन्तर चलता रहता है, उसी का अंश है। प्रधान मंत्री द्वारा बुलाये गये मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान जो मुख्य निष्कर्ष निकले थे, वे ही पत्र द्वारा मुख्य मंत्रियों को भेज दिये गये थे, ताकि उन पर आगे कार्यवाही की जा सके।

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether it has come to the notice of Government that the communal riots which took place in Bhiwandi Jalgaon Thana and other places of Maharashtra State were initiated by the former Finance Minister, Shri Morarji Desai by spending about 5 lakhs rupees for this purpose only to defame Shri Y. B. Chawan and Shri Naik ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार इस बात से ही संतुष्ट हो जाती कि सांप्रदायिक दंगों में वीभत्स कांड करने वाले लोगों पर राज्य सरकारें बाद में मुकदमें चलाती हैं? क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कार्यवाही की है कि ऐसे मामलों में लोगों पर तत्काल मुकदमें चलाये जायें ताकि दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : कुछ लोग गिरफ्तार किये गये थे। कुछ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को निलम्बित भी किया जा चुका है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पूरे प्रश्न काल में इस एक प्रश्न को ही चलाना चाहते हैं। अब मैं अगले प्रश्न को लेना चाहता हूं।

श्री बलराज मधोक : यह गलत बात है। आप हमें भी अनुमति दीजिये। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बलराज मधोक : देश में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिये ये जिम्मेदार हैं। प्रधान मंत्री के भाषणों से सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पुकारा नहीं था।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने अभी राज्य सरकारों को निदेशों के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने क्या किया। दिल्ली में किसके आदेश थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमारे दल पर लांछन लगाये जा रहे हैं। हमें गाली दी जा रही है और हमें आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों के लिये कौन जिम्मेदार है, यह जानने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये। इसमें हम यह सिद्ध करके बतायेंगे कि इनके लिये कौन उत्तरदायी है। इनके लिये प्रधान मंत्री जिम्मेदार हैं।

श्री बलराज मधोक : ये स्वयं इसके लिये जिम्मेदार हैं। अपने हितों और दलगत हितों या निहित स्वार्थों के कारण ये देश में साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री बलराज मधोक : सांप्रदायिक कौन है ? जो व्यक्ति निजी स्वार्थों या दलगत हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देता है, वही 'सांप्रदायिक' है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह पता लगाने के लिये कि सांप्रदायिक दंगों के लिये कौन जिम्मेदार है ; एक आयोग नियुक्त किया जाये। हम उसमें सिद्ध करेंगे कि उनके लिये प्रधान मंत्री जिम्मेदार हैं।

श्री बलराज मधोक : आप प्रधान मंत्री की रक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह बात गलत है। इस प्रश्न को हम पहले ही 25 मिनट दे चुके हैं। अब मैं अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूं।

देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों में वृद्धि

+

*122. श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री एन० शिवप्पा :
श्री सामिनाथन : श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री दण्डपाणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1970 को नक्सलवादियों ने पुलिस दल पर बम द्वारा आक्रमण करके कलकत्ता में अपनी आतंकवादी गतिविधियां पुनः आरम्भ कर दीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों की गतिविधियां तब से बढ़ रही हैं ;

(ग) क्या उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में संघ सरकार के उदार रवये से उनको देश के अन्य भागों में भी आतंक फैलाने का प्रोत्साहन मिला है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समय नक्सलवादी जम्मू और काश्मीर राज्य, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के अन्य भागों में गड़बड़ी तथा संकट पैदा कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों की गतिविधियों में अप्रैल, 1970 के तीसरे सप्ताह से वृद्धि हुई है । किन्तु ऐसी गतिविधियों के प्रति कोई ढील देने का कतई कोई प्रश्न नहीं है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पूरी तरह सम्पर्क बनाये हुये हैं और इन गति विधियों को दबाने के लिये अत्यधिक सर्तकता तथा कानून के समस्त उपबन्धों, निरोधात्मक तथा दण्डात्मक, का कड़ा प्रयोग किये जाने की आवश्यकता पर निरन्तर बल देती रही है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कुमुकों, वायरलेस तथा अन्य उपकरण तथा आसूचना के एकत्रीकरण समेत सभी उचित सहायता दी जाती है ।

राज्य सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों का सामना करने के लिये कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही कर रही है । आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने उग्रवादियों के विरुद्ध षड्यंत्रों के मामलों समेत मुकदमें चलाये हैं । विघटन-साहित्य के प्रकाशकों तथा मुद्रकों के विरुद्ध भी कार्यवाही आरम्भ की गई है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अवैधरूप से रखे गये आग्नेयास्त्रों तथा विस्फोटकों की बरामदगी के लिये नियमित अभियान आयोजित करने का अनुरोध किया है और इन अभियानों के परिणाम अच्छे हुये हैं ।

उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिये अग्रेतर विधायी उपाय भी विचाराधीन हैं ।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी खतरा

+
*124. **श्री राम चरण : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री श्री गोपाल साबू : श्री हेम बरुआ :
श्री शिव चरण लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद, वहां नक्सलवादियों का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है, जीवन अधिक असुरक्षित हो गया है, और लूट-पाट की घटनाएं दिन प्रतिदिन की बात हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में इस अराजकता की स्थिति के लिये उन उच्चाधिकारियों का जिन पर शासन के संचालन का भार हैं तथा जो राज्य में कानून तथा व्यवस्था से सीधे संबद्ध हैं, उपेक्षापूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण रवैया कहां तक जिम्मेदार हैं ; और

(ग) राज्य में कानून और व्यवस्था पुनः सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस सदन में आज तारांकित प्रश्न संख्या 122 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या 150 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात, जिनमें नक्सलवादी होने का सन्देह है, पश्चिम बंगाल को विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार हुआ है । क्या सरकार ने इस बात के कारणों की जांच की है कि नक्सलवादी विशेषकर शैक्षिक संस्थाओं पर ही हमले क्यों कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में 1615 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । उनमें से अनेक व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है । वहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक है । इस मामले में कार्यवाही करना न्यायपालिका का काम है ।

श्री बलराज मधोक : साम्प्रदायिक हिंसा तथा साम्यवादी हिंसा में अन्तर है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सच है कि शैक्षिक संस्थाओं पर प्रायः हमले होते रहते हैं और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का वह एक मुख्य अंग है । मैं इस बात को जोर देकर नहीं कह सकता कि नक्सलवादी शैक्षिक संस्थाओं पर क्यों हमले कर रहे हैं । शायद वे चीन में घट रही घटनाओं से कुछ सीख रहे हैं । पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन के लागू होने के पश्चात 2 महीने की अवधि में निश्चय ही विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ था । परन्तु अब घटनाओं में वृद्धि हो गई है । हमारी जानकारी यह है कि गत दो सप्ताह से हिंसा की घटनाओं के विरुद्ध प्रभावशाली उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : नक्सलवादियों द्वारा बमों, रिवाल्वरों तथा बन्दूकों का अत्यधिक प्रयोग किये जाने को देखते हुए क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर

रही है कि लोगों को बम, रिवाल्वर तथा बन्दूकों आदि की सप्लाई करने वालों की भी संख्या को कम किया जाये अथवा उन्हें पूर्णतया समाप्त किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बात के लिए जोर डाला गया है कि आग उगलने वाले हथियारों तथा विस्फोटकों को बरामद करने के सम्बन्ध में अभियान चलाया जाये। इनके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। बरामद किये गये अनेक बमों के बारे में मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह कहा गया है कि बम 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक हथियारों तथा विस्फोटकों के सप्लाई साधनों का सम्बन्ध है, हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस सभा को एक ऐसे मामले का समाचार मिला है जिसमें कुछ विद्रोही नागाओं ने चीनी साधनों से प्राप्त हथियारों को आगे सप्लाई किया है। परन्तु बड़े पैमाने पर इस का पता नहीं लगा सके हैं। अनेक देश में ही बने हुए पिस्तौल हैं। बम बनाने में जो अनेक रसायन प्रयोग होते हैं, वे रसायनिक प्रयोगशालाओं में वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध हैं। अतः रसायनों की खरीद को पूरी तरह रोकना सम्भव नहीं है।

जहां तक आयुध कारखानों से ऐसी सामग्री के परिवहन का सम्बन्ध है, गाड़ियों के साथ रक्षक भेजे जाते हैं ताकि मार्ग में होने वाली चोरी को यथासम्भव रोका जा सके।

श्री एन० शिवप्पा : विभाग के पुलिस अधिकारियों, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरणों तथा नक्सलवादियों के बीच सिविल युद्ध चल रहा है। विधि व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई है। जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। यह बात पूर्णतया केन्द्रीय सरकार की जानकारी में है और लोग भी इस बारे में जानते हैं। इस मामले पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सम्बन्धी सलाहकार समिति में भी इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। यह महसूस किया गया था कि इस मामले में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि : "उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए विधायी उपाय विचाराधीन हैं"।

मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए सरकार को इस बात का विधेयक बनाने में कितना समय लगेगा ? देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए सरकार किस प्रकार के विधेयक को क्रियान्वित करना चाहती है। क्या उनके मन में विधेयक लाने का कोई अन्य तरीका है ? यदि हां तो क्या वह उसको सभापटल पर रखेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक विधेयक बनाने में समय लगने का सम्बन्ध है, 1969 में ही इस प्रकार का विधेयक बनाने के लिए गृह-कार्य मंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। परन्तु उस बैठक में विरोधी दलों के बहुत कम नेता उपस्थित हुए थे और इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सका।

श्री बलराज मधोक : आप विरोधी दलों के परामर्श से कोई निर्णय ही नहीं लेते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हमारी नीति यह है कि हम अनेक मामलों में विरोधी दलों के नेताओं के परामर्श से ही कार्य करते हैं।

श्री पीलू मोडी : आप विरोधी दलों का परामर्श तब ही लेते हैं जब आप विधेयक बनाना नहीं चाहते। जब आप की इच्छा विधेयक पास करने की होती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप विधेयक पास कर लेते हैं, चाहे उसका कितना ही विरोध क्यों न हों। मैं सभा में इस प्रकार की झूठी टिप्पणियां सहन नहीं कर सकता **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Kanwar Lal Gupta : The factual position is that they did not bring the Detention Law because Shri Bhupesh Gupta opposed it.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं स्थिति के बारे में तथ्य तथा विरोधी दलों में और अधिक एकता लाने का प्रयास कर रहा था।

श्री बलराज मधोक : हम इस का विरोध करते हैं। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी कुछ सहन नहीं करता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आप के इस विनिर्णय को पूर्णतः स्वीकार कर रही हूं कि हमें तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं परन्तु किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की और आप ने भी उनको नहीं रोका।

श्री बलराज मधोक : हमने कभी भी कोई असंगत बात नहीं कही।

श्री रंगा : बंगाल सरकार द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था और उसको कार्य-सूची में भी शामिल किया गया था परन्तु श्री भूपेश गुप्ता के कहने पर गृह-कार्य मंत्री ने उसको वापस ले लिया। प्रधान मंत्री जी क्या बात कह रही हैं। यदि वह नहीं जानती हों तो अपने सहयोगी से इसका उत्तर देने के लिये कहें इसको कार्य सूची में शामिल किया गया था और इस सरकार ने इसको बाद में वापस लिया।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्री भूपेश गुप्त के कहने पर ही चह्वाण साहब ने ऐसा किया था।

Mr. Speaker : There is a great difficulty because if something is said to anybody in jok he takes it otherwise. I do not know how to solve this problem ? The answer should be strictly related to question.

श्री रंगा : प्रधान मंत्री गलत जानकारी दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा पहले यहां पर उपस्थित नहीं थे जब कुछ घटना घटी थी।

Shri Kanwarlal Gupta : The Detention Law was in the Agenda but Government lateron dropped it as it was opposed by Shri Bhupesh Gupta. They did not consult any one in this matter and now putting allegations on the opposition.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी बात नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमने सरकार का समर्थन किया था परन्तु फिर भी सरकार ने इसे वापस ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में इस प्रकार हस्तक्षेप करना बन्द करेंगे। हर बात की कोई सीमा होती है।

श्री शिवनारायण : हम भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि श्री भूपेश गुप्ता के कहने पर प्रधान मंत्री ने उस विधेयक को वापस लिया है। प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो कुछ हुआ, मैं उस बारे में तथ्य बता रहा था। भविष्य के लिये हम कुछ विधायी उपाय करने पर विचार कर रहें हैं। मुझे आशा है कि उनको पास कराने में हमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। हमें आशा है कि हम उसे प्रस्तुत कर सकेंगे तथा उस समय सभा के पास उस पर विचार करने के लिये समय होगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय मंत्री को उन उपायों की व्याख्या करनी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में उसी समय इनकी व्याख्या करना उचित होगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : सरकार साम्यवादी दल तथा मार्क्सवादी साम्यवादी दल के समर्थन के बिना इसको पास करा सकती है। अतः उसे प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री एन० शिवप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। सरकार का विचार किस प्रकार का विधेयक लाने का है।

श्री नम्बियार : किसी प्रकार के विधेयक का कोई प्रश्न नहीं है। यदि लोगों के अधिकारों पर रोक लगाने के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया तो हम इसका कठोरता से विरोध करेंगे। हम ऐसा कोई विधेयक लाने की अनुमति नहीं देगें। सभी लोगों को मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है और हम इस प्रकार का विधेयक लाने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री रंगा : इन व्यक्तियों द्वारा मूल अधिकारों के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। यह सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है।

श्री नम्बियार : नक्सलवादियों के नाम पर सरकार को लोगों के लोकतंत्रात्मक अधिकारों तथा भावनाओं को दबाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री रंगा : सरकार को इस दल का समर्थन चाहिये और इसलिये प्रधान मंत्री उनका समर्थन कर रही हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री रंगा बार-बार इस सभा की परामर्शदात्री समिति में घटी घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जहां कुछ निर्णय लिये गए थे। वह यह भी कह रहे हैं कि किसी सदस्य विशेष, जो कि राज्य सभा का सदस्य है, के प्रभाव में आकर कुछ निर्णय किये गये हैं।

श्री रंगा : गृह-कार्य मंत्री ने समिति से वाद-विवाद के बाद इस विधेयक को वापस लिया था।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : सलाहकार समिति के मामलों को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सलाहकार समिति ने कुछ निर्णय किये थे गलत अथवा ठीक...

श्री रंगा : वहां कोई निर्णय नहीं हुआ था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह बात सभा की जानकारी में है और जब तक इसमें परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा इसे स्वीकार नहीं किया जाता तब तक यह सभा सलाहकार समिति के निर्णयों के बारे में कोई आरोप नहीं लगा सकती और सभा भी यह भी नहीं कह सकती कि कोई अन्य प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है। सरकार भी ऐसा नही कह सकती।

श्री रंगा : सलाहकार समिति में कोई निर्णय नहीं हुआ था। गृह-कार्य मंत्री द्वारा इसको वापस ले लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अपने माननीय दलों के माननीय नेता हैं, अत्यन्त वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं तथा इस सभा में मर्यादा रखते हैं। कम से कम आप लोगों को तो इस प्रकार के विवादों से दूर रहना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप स्वतन्त्र दल को भी एक वरिष्ठ दल कह सकते हैं······
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। व्यवस्था रखिये। कभी कभी श्री बनर्जी स्थिति को अत्यन्त जटिल बना देते हैं।

सलाहकार समितियों में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है, उनका यहां जिक्र नहीं किया जाना चाहिये। यदि इसी सभा में सभी मामलों पर विचार होना है तो फिर उन समितियों में कार्य करने की क्या आवश्यकता है। और फिर विवाद आरंभ हो जाता है।

श्री रंगा : अगली बार गृह-कार्य मंत्री को सलाहकार समिति का अध्यक्ष मत नियुक्त कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : बड़े खेद की बात है। वह इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं।

Shri Ram Charan : These Naxalites are not outsiders, but are the very sons of this mother land—Bharat. No body has yet enquired into the reason, that why the persons have become Naxalites. After all, what are those reasons ? The reasons are : the unemployment among educated people and also the improper distribution of land. The Communists have exploited this situation. Today, the situation is deteriorating in West Bengal and in other parts of the country as well due to these Naxalites; but in West Bengal, the Naxalites are being recruited from outside the State and they are taking training here. They got Rs. 4,000 each and some arms and came to U. P. also. I want to know whether the Government have got, other than the legislation, any social remedy or plan to eradicate unemployment and poverty so that people could be stopped from turning into Naxalites ? If they have got no measure to provide food and cloth to the people then what is the solution for the problem of unemployment and removing economic disparity.

Shri K. C. Pant : All know that there is great unemployment and poverty in this country and it is also a fact that.....

Shri Ram Charan : Have you got any plan ?

Shri K. C. Pant : Let the hon. Member listen to me for a little while. It is also well understood that unless there is economic development, the country's wealth would not increase and till then the economic condition of all would not improve....**(interruptions)**.

Mr. Speaker : After all it is Parliament. A question has been asked and you should

listen to the reply. The way in which the work is going on here is not going on to bring some special credit to Parliament. It brings down the standard if you quarrel.

Shri Molahu Prasad : The hon. Minister is being asked about removing economic disparity whereas he is talking about development. What is that ?

Mr. Speaker : You could not understand.

Shri Molahu Prasad : I understand every thing and also I can make him understand.

Shri K. C. Pant : It is very difficult to talk about economic balance. Just now I was saying that until we could bring about economic development, we could not remove all these difficulties. It is necessary that there should be some programmes and plans which could facilitate proper distribution of land, increase in the national wealth, removal of economic and social disparities. Many parties and people of this country have faith in it but it would be quite wrong to justify the Naxalites on this pretext. This issue should be kept separate. We all desire that this issue should be dealt with properly at the National level, but it does not mean that we have no faith in either democracy or the Parliamentary system or that we want to destroy every thing by resorting to violence. It is very essential to distinguish between these two. Certainly we shall have to take effective measures to remove this discontentment which has been mentioned here by the hon. Members, but I do not think it proper to justify the Naxalites on this account.

Shri Ram Charan : I have not justified them. I had pointed out the main problem and that is unemployment.

श्री प्र० रं० ठाकुर : प्रश्न संख्या 130 अत्यंत महत्वपूर्ण है । उस पर विचार किया जाना चाहिए ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Would the hon. Minister be able to state the number of murders excuted by the Naxalites uptill now and also the action taken by Government to provide relief to affected families ? He may also state whether it is a fact that during the UF Government's regime those police officials were appointed in the senior administrative post who had sympathy with the Naxalites and who took a lenient view of their activities ? Is it also a fact that these Naxalites are the members of a particular political party ? If they belong to a particular political party, what is the name of that party ?

Shri K. C. Pant : At present there a number of parties involved. One of them is CPM (L). Some belong to Andhra Pradesh and some are in other States also.

Shri S. M. Banerjee : Proutists ?

Shri K. C. Pant : Roudist. You are correct to say so. These parties are seven or eight in number. Are they all following the same path collectively. The hon. member has asked the number of murders. I do not have the figures but I can give the number of violent incidents. In West Bengal it is 175 upto 15th July. In the entire country it is nil upto 1967 ; in 1968 it is 59, in 1969 it is 196 and upto 30th June, 1970 it is 453.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon. Minister has not replied to my question. Is it a fact that at the time of UF Government.

Mr. Speaker : He has answered.

Shri Raghuvir Singh Shastri : He has not stated whether many such people who sympathised with the Naxalites were appointed in the senior police ranks during the regime of the UF Government. This part should be replied to.

Shri K. C. Pant : It is fact that some police officials were given promotions and some were reinstated during the tenure of the UF Government with whom that Government had some sympathy in this regard. But in the present situation.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I am not asking about the present.

Shri K. C. Pant : It is possible that such things would have at that time but at present we do not suspect any police official on this count, and I understand that the police officials would properly carry out the job what is assigned to them.

श्री हेम बरुआ : यह सच है कि देश में नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और मैं उन गतिविधियों की वृद्धि अथवा उनके स्वरूप का ब्योरा देना नहीं चाहता। यह भी सच है कि नक्सलवादियों ने इस सम्बन्ध में चीन के माओ-त्से-तुंग से प्रेरणा ली है। यह भी सच है कि नक्सलवादियों द्वारा प्रयोग में लाये गये कुछ शास्त्रास्त्र चीन से चोरी छिपे लाये गये हैं। यह भी सच है कि नक्सलवादियों ने मीजो तथा नागा विद्रोहियों को भी माओ-त्से-तुंग द्वारा दिखाये गये क्रान्तिकारी मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित किया है। यह तथ्य नक्सलवादियों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका "लिबरेशन" में मिलते हैं। सरकार ने **देशबराती** बंगाली तथा लिबरेशन (अंग्रेजी) पत्रिकाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने देश के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की है तथा दूसरे, प्रधान मंत्री ने कलकत्ता की अपनी नौ घण्टे की यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर अंकुश रखने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को क्या सुझाव दिये ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : लिबरेशन जैसी कुछ पत्रिकाओं के प्रकाशकों तथा मुद्रकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री हेम बरुआ : आप सम्पादक अथवा मुद्रक को गिरफ्तार नहीं कर सके।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : जहां तक मुझे ज्ञात है, वे फरार हैं। अब ये पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं।

श्री नाथ पाई : वे क्यों फरार हैं ? क्या उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का कोई वारन्ट है ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : मेरे विचार से यही बात है परन्तु निश्चय के साथ कुछ कहने से पूर्व मुझे ब्योरा देखना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**) यह सच है कि वे फरार हैं। मैं कह रहा था कि वे पत्रिकाएं अब अनियमित रूप से तथा चोरी-छिपे निकल रही हैं परन्तु पहले के समान नियमित रूप से प्रकाशित तथा वितरित नहीं होती हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया कि प्रधान मंत्री ने कलकत्ता के अपने नौ घण्टे के दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की नक्सलवादियों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिये क्या सुझाव दिये थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कलकत्ता में वहां के प्रशासन, कुछ राजनैतिक दलों तथा शिक्षा संस्थानों के नेताओं एवम् समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले लोगों के साथ हुई मेरी बातचीत का प्रमुख अभिप्राय स्थिति के बारे में उन लोगों की राय लेना था। मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि दिल्ली में कुछ समय पूर्व लिये गये निर्णयों को वहां किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। इस बातचीत में नक्सलवादियों तथा समाज विरोधी तत्वों के बारे में कार्यवाही करने का विषय भी आया था और मेरे सहयोगी मंत्री महोदय ने बताया है कि हम किस प्रकार सारी स्थिति से सम्पर्क बनाए हुए हैं। जो कार्यवाही की गई थी, उसका सारा ब्यौरा तो मैं नहीं दे सकती। मैंने वहां कुछ सुझाव दिये थे और इससे पूर्व भी कुछ सुझाव दिये थे तथा इसके बाद भी कुछ सुझाव मैंने दिये हैं। माननीय

सदस्य यह अनुभव करेंगे कि सभी सुझावों की रूपरेखा पेश करना सम्भव नहीं है। हम इस अत्यन्त नाजुक तथा गम्भीर समस्या से निपटने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमें माननीय सदस्यों तथा राजनयिक दलों की सहायता भी चाहिये क्योंकि जहां कहीं भी ये घटनायें होती हैं। उनसे वहां के लोगों को खतरा उत्पन्न होता है, मैं समझती हूं कि जब हम उनको सहयोग देने की बात कहते हैं तो उसका अर्थ है कि हम उनको खतरे का मुकाबला करने को कहते हैं''' (**व्यवधान**)

(**एक माननीय सदस्य** : यह तो एक प्रकार से असैनिक युद्ध को प्रोत्साहन देना है।)

''''हम यह नहीं कह रहे हैं कि वे लोग भी उन पर बम फेंके, परन्तु सावधान रहें और यह देखें कि क्या ऐसी प्रवृत्ति वहां के छात्रों अथवा व्यक्तियों में तो नहीं बढ़ रही है उदाहरणार्थ हमने देखा कि शिक्षा संस्थानों में कई बार'''

श्री हेम बरुआ : निर्दोष व्यक्ति किस प्रकार बमों से सावधान रह सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका मुकाबला किया जाता रहा है और इससे स्थिति में सुधार हुआ है। मैं एक छोटी-सी बात का जिक्र कर रही थी। कभी कभी कोई एक दल स्थिति का अनुमान करने आता है कि कहां क्या है, कहां कौन सा साज-सामान रखा है। अब यदि लोग सावधान हैं तो वे यह जानकारी उन्हें नहीं देंगे। अन्यथा लोग तो उसे एक सामान्य जानकारी प्राप्त करना ही समझेंगे, जैसे साधारण प्रश्न है कि "रसायन प्रयोगशाला कहां है, आओ हम उन्हें बता दें।"

कालेजों और स्कूलों के प्रिन्सिपलों तथा विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ मेरी बातचीत बड़ी ही रोचक तथा लाभ-प्रद रही तथा उसमें अनेक सुझावों पर विचार किया गया। हो सकता है कि ये सारे उपाय कारगर न हों परन्तु ऐसी स्थिति में हमें प्रयत्न तो करने ही चाहिये तथा हम देखें कि हम सभी किस प्रकार इसमें सहयोग दें।

Shri S. M. Banerjee : A feeling is growing in the country that Parliamentary democracy can neither end corruption nor solve the problem of unemployment. If inequality and disparity continue to grow for another five years people will follow only two paths. Those who are religious minded would go to Kali bari and others will follow the Naxalites.

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri S. M. Banerjee : The Prime Minister stated in reply to a question that the students of best school and colleges are becoming Naxalites. They are not goondas. They are best students. Are you proposing in this five year plan for the removal of disparity and unemployment so that not only the condition of Bengal may improve but the young men may get some work ? The Prime Minister herself said about this in a speech at Calcutta. So I want to know from her about this matter.

Shrimati Indira Gandhi : A reply to this has already been given by Shri Pant and the proposals for the development and removal of unemployment have been placed before the house. It is a fact that there are some brilliant students in this party. It is not true to say that most of them are brilliant. So we are trying to seek help from those who are against this.' I do not at all disown the responsibility. The responsibility is ours and is that of Government of Bengal and the Police. We want cooperation from the people and the stundents in this task.

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। मैं उनसे अथवा श्री पन्त जी से जानना चाहता हूं कि यह सहयोग किस उद्देश्य से मांगा जा रहा है। क्या सहयोग

पश्चिम बंगाल सरकार की वर्तमान अकर्मण्यता को मौन स्वीकृति देने के लिये अथवा इस बुराई का सामना करने के लिये मांगा जा रहा है। यदि वह वास्तव में नक्सलपंथियों का पतन चाहती है तो क्या वह अनुभव करती है कि वर्तमान राज्यपाल का बना रहना उचित नहीं है। मेरी समझ में यह कतई उचित नहीं है।

मैं उनका ध्यान चारू मजमूदार के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या उनके विरुद्ध कोई वारण्ट है। मैं पूर्णत: मानता हूं कि पुलिस दण्ड द्वारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। रोजगार अवश्य दिये जाने चाहिये। और अन्याय की स्थिति समाप्त होनी चाहिये। क्या यह सच नहीं कि श्री चारू मजमूदार ने एक नई खोज प्रस्तुत की है। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। उसके अनुसार वह उन सब बातों का तथा व्यक्तियों का उन्मूलन करना चाहते हैं जिन्हें वह और उसके साथी समाज के शत्रु समझते हैं। सभी सूचियां प्रकाशित की जाती हैं। उन्होंने 89 व्यक्तियों के नाम दिये हैं जिनको काल कर दिया गया है। अब और नाम प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है। हम समझते हैं कि हम नक्सलपंथियों का सफाया कर रहे हैं। नक्सल पंथ कोई बौद्धिक वस्तु नहीं है। क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि श्री धवन के राज्यपाल बने रहते वह अपनी इस बारे में निष्ठा कैसे व्यक्त कर सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कहना कि हम दृढ़ कार्यवाही नहीं कर रहे, अनुचित है। वहां राज्यपाल कौन है इससे नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नीति स्पष्टरूप से दृढ़ता पूर्वक व्यक्त कर दी गई है। वहां परामर्श-दातृ समिति है और कठोर कदम उठाये जाते हैं। जैसाकि श्री पंत जी ने बताया कि इस प्रश्न के निष्पादन में कुछ समय ले रहे हैं। वास्तव में यह जटिल प्रश्न है। कठोर कार्यवाही की गई है। उसका ब्यौरा यहां नहीं दिया जा सकता। नीति अब निर्माण की अवस्था में नहीं है। अब हम केवल नए सुझावों की कार्यान्विति पर ही ही ध्यान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधरी है। मैं मानती हूं कि सहसा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें पता है कि लोगों को कत्ल किया गया है। कुछ हमारे प्रिय सहयोगी भी खत्म कर दिये गये हैं।

श्री नाथपाई : नक्सलपंथियों द्वारा लक्ष्य बनाये गये व्यक्तियों के बारे में क्या किया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हें संरक्षण दिया गया है। हम उनके जीवन रक्षा के लिए पूर्ण यत्न करेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के बारे में

Re. U. S. Q. No. 980

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सदन का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के बारे में दिये गये उत्तर की ओर दिलाना चाहती हूं, कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिया है।

डा० राम सुभग सिंह : मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में क्या स्थिति है। उन्हें भी राज्य का दर्जा देना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली में सर्वसम्मत मांग है कि यहां असेम्बली होनी चाहिए।

श्री जि० मो० बिस्वास : उन्हें मनीपुर के बारे में भी कुछ कहना चाहिये।

श्री शिव नारायण : मनीपुर तथा त्रिपुरा के बारे में क्या हुआ। ये राज्य सीमा पर स्थित हैं।

श्री बलराज मधोक : प्रधान मंत्री को दिल्ली और मणिपुर के मामलों पर भी विचार करना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राजनीतिक दलों तथा चुनावों को प्रभावित करने में विदेशी धन का प्रयोग

*123. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : **श्री भोलानाथ मास्टर** :
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री विभूति मिश्र** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राजनीतिक दलों और चुनावों को प्रभावित करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले विदेशी धन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सरकार ने निरीक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) विदेशी धन के परिचालन को रोकने के लिये यदि कोई शासकीय अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और इस धन को देश में सामान्यतः किन साधनों तथा माध्यमों के द्वारा परिचालित किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग). गत आम चुनावों में तथा अन्य आपत्ति-जनक प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के प्रयोग पर आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के सम्बंध में 14 मई, 1969 को लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। साधारण व्यापारिक लेन-देन के अतिरिक्त विदेशी संगठनों, एजेंसियों अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिये अस्थायी विधायी प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रस्तावित विधान में अन्तर्निहित तत्वों पर, विधान को संसद में पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व, विरोधी दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दुराचार को दबाने के लिये कानून के वर्तमान उपबन्धों को कठोरता से लागू करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। प्रवर्तन एजेन्सियों को भी उचितरूप से सशक्त कर दिया गया है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा उनकी लाभप्रद प्रायोजनाओं के लिये भारतीय

अनुसंधान की विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम के प्रायोजन हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद भी स्थापित की गई है।

काश्मीर के लिये अल्जीरियायी किस्म के स्वाधीनता संग्राम का आवाहन

*125. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री स० कुन्दू :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री सीता राम केसरी :
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अल्जीरियायी किस्म का स्वाधीनता संग्राम आरम्भ करने के लिये शेख अब्दुल्ला द्वारा वहां के लोगों को हाल ही में किये गये आवाहन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेख के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः 8 जून से 13 जून, 1970 तक श्रीनगर में हुये सम्मेलन में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शेख ने सम्मेलन में कहा था कि कश्मीरी स्वतंत्रता उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार भारत ने ब्रिटिश से और अल्जीरिया ने फ्रेंच से प्राप्त की थी।

(ख) सरकार भारत की अखण्डता की उपेक्षा करने वाली किसी गतिविधि को विफल करने के लिये उपयुक्त समय पर कार्यवाही करेगी। राज्य की सुरक्षा के लिये होने वाले प्रत्येक खतरे को सख्ती से तुरन्त दबा दिया जायेगा।

अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा

*126. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा गठित करने का कोई विचार है ;

(ख) क्या यह सेवा उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की अखिल भारतीय स्तर की अन्य वर्गों की सेवाएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। 1963 में यथासंशोधित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में कुछ नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिये व्यवस्था है जिसमें भारतीय इंजीनियर सेवा शामिल है।

(ख) जी हां, श्रीमान्, इस सेवा की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यथावश्यक संशोधन के अधीन रहते हुए।

(ग) भारतीय इंजीनियर सेवा की मुख्य बातें सेवा के गठन सम्बन्धी ज्ञापन में स्पष्ट की गई हैं जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3795/70]**। इस ज्ञापन में राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणियों के आधार पर संशोधन किये जा सकते हैं।

बरहामपुर में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस की ज्यादती

*127. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों पर हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के विरुद्ध, जैसा कि अखिल भारतीय राज्य सरकार संघ ने अनुरोध किया है, सरकार कोई कार्यवाही करने के विषय में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जहाज मालिकों द्वारा भारतीय जहाज चालकों को बकाया धनराशि का भुगतान

*128. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाज-मालिक, करार पर हस्ताक्षर करने के बाद भी, भारतीय जहाज कर्मचारियों की मजूरी और बकाया धनराशि का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी मजूरी और बकाया धनराशि का कई महीनों तक भुगतान नहीं किया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास विदेशी पत्तनों पर जहाज के कर्मचारियों को "कोई धनराशि बकाया नहीं" अभिवचन पर हस्ताक्षर करने को बाध्य करते हैं और उन्हें अपनी मजूरी भारत में लेने की सलाह देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सामान्यतः यह सच नहीं है। गत दो वर्षों में केवल ऐसे दो मामलों की सूचना मिली है। पहले मामले में मेसर्स सुखसागर शिपिंग कम्पनी, बम्बई, ने इस एस० गरीब नवाज को बाद में मई, 1968 में कंबोडिया में बेच दिया गया था, के 9 अधिकारियों और 28 नाविकों को उनकी मजदूरी तथा

देय धन का भुगतान नहीं किया। दूसरे मामले में मेसर्स हिन्दुस्तान शिपिंग कम्पनी कलकत्ता ने तीन नाविकों को जिन्होंने कोलम्बो में एस० एस० 'बरुण' पर करार पर हस्ताक्षर किये थे, उनकी मजदूरी और बकाया धनराशि नहीं दी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों को पश्चिमी बंगाल संबंधी सलाहकार समिति की बैठक के बारे में पश्चिमी बंगाल के एक कर्मचारी का कथित रिमार्क

*129. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री कं० हाल्दर :**
डा० रानेन सेन : **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 जून, 1970 के कलकत्ता के एक दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के एक अधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि पश्चिम बंगाल सम्बन्धी संसदीय समिति की 10 और 11 जून की बैठक में उनका भाग लेना केवल समय नष्ट करना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उस अधिकारी द्वारा की गई कथित टिप्पणी की सत्यता अथवा असत्यता का सत्यापन किया है ; और

(ग) यदि यह समाचार सारतः सही है, तो उस अधिकारी का नाम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार को ऐसे वक्तव्य की जानकारी नहीं है।

प्रधान मंत्री की हत्या करने के लिए जनसंघ का कथित षडयंत्र

*130. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री सूरज भान :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि जनसंघ उनकी हत्या करना चाहता है; और

(ख) उनके उक्त वक्तव्य के बारे में सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). 19 जून, 1970 को पुरुलिया सर्किट

हाउस के बाहर एकत्रित व्यक्तियों के सामने बोलते हुए प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक तथा उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों के कारण देश में व्याप्त हिंसा के आम वातावरण के बारे में उल्लेख किया था। उनके दिमाग में उनके जीवन को दी गई कोई विशिष्ट धमकी नहीं थी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा परिवहन परिचालकों को आयातित कारें देना

*131. **श्री दण्डपाणि : श्री नारायणन :**
श्री कोलाई बरुआ : श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम उन परिवहन परिचालकों को, जिनके नाम स्वीकृत सूची में दर्ज हैं, निर्धारित मूल्य पर आयातित कारें देगी ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मूल्य क्या होगा ;

(ग) इन परिवहन परिचालकों को और क्या अन्य रियायतें देने पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) इन रियायतों से सरकार को कितनी मदद मिलेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। अनुमोदित पर्यटक कार परिचालकों को आरक्षित (रिजर्व) मूल्य पर कारें देने/आवंटित करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा पर्यटन विभाग को पुरानी आयातित कारें उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ख) कार का मूल्य, सीमा-शुल्क तथा अन्य तत्सम्बन्धी तत्वों को दृष्टि में रखते हुये कार का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ग) अनुमोदित पर्यटक कार परिचालकों को निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :

(i) राज्य व्यापार निगम द्वारा आवंटित पुरानी आयातित मोटर गाड़ियों के लिये अनिवार्य फालतू पुर्जों का आयात ;

(ii) पर्यटक परिवहन गाड़ियों की किराया खरीद में ब्याज की कम दरों के रूप में वित्तीय सहायता ; और

(iii) पर्यटन विभाग के कोटे से बिना मीटर के चलने वाली पर्यटक टैक्सियों के रूप में प्रयोग आने वाली एम्बेसेडर कारों का आवंटन।

(घ) मान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप पर्यटक परिवहन गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिये ये रियायतें दी जाती हैं। परिवहन पर्यटक के आन्तरिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण, पर्यटक व्यवस्था के आन्तरिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा इससे देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ये गाड़ियां एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व छात्रों की जांच-पड़ताल करने के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का सुझाव

*132. **श्री धीरेश्वर कलिता :**　　**श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :　　**श्री इसहाक सम्भली :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने दिल्ली विश्वविद्यालय को लिखकर यह सुझाव दिया है कि अन्य राज्यों के जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं, प्रवेश देने से पूर्व उनकी जांच पड़ताल की जाये ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादियों की घुस-पैठ को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्रबंधक मंडल द्वारा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के विरुद्ध की गई शिकायत

*133. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　**श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री नम्बियार :　　**श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबंधक मंडल ने यह शिकायत की है कि नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय विदेशों से जहाजों के खरीदने के क्रयादेश देने के मामले में हिन्दुस्तान शिपयार्ड की अवहेलना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शिपयार्ड की वर्तमान क्षमता कितनी है और शिपयार्ड के पास इस समय कितने क्रयादेश हैं ; और

(ग) विदेशों को कितने जहाजों के क्रयादेश दिये गये हैं और उनके प्राप्त होने की समय अनुसूची क्या है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, नहीं । देश की पोत-निर्माण क्षमता के पूर्ण उपयोग के सुनिश्चयन के बाद ही जहाजों के आयात लिए अनुज्ञा दी जाती है ।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की वर्तमान वार्षिक क्षमता प्रत्येक 12500 कुल टन भार के तीन जहाज हैं और अब उसके पास 8 माल पोतों और एक प्रशिक्षण पोत के पक्के आदेश हैं ।

(ग) 1-7-70 को कुल 454000 जी० आर० टी० के 34 जहाजों के लिए विदेशों में

पक्के आदेश दिये हुए हैं । इन जहाजों की संभावित सुपुर्दगी की तारीखें नीचे दी जा रही हैं :—

1970	—	5
1971	—	6
1972	—	9
1973	—	4
1974	—	5
1975	—	5
		34

साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक

*134. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री रा० बरुआ :**
श्री न० ता० दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या भी यह सच है कि प्रशासनिक कारणों से फिलहाल इस मामले को स्थगित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात राज्य को धन का आवंटन

*135. **श्री द० रा० परमार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य को आवंटित की गई धनराशि अन्य राज्यों को आवंटित की गई धनराशि की तुलना में कम थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	आवंटित राशि	उपयोग की गई राशि
	(लाख रुपयों में)	
1967–68	10.20	8.63
1968–69	23.00	19.17
1969–70	20.38	19.20

(ख) जी नहीं। कुछ राज्यों को गुजरात से कम राशि आवंटित हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकें

*136. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिये निगम के सभी स्कूलों के पुस्तकालयों में 31 पुस्तकें भेजी हैं, जिनका उपयोग-संदर्भ पाठ्य-पुस्तकों के रूप में किया जायेगा ;

(ख) क्या वे पुस्तकें साम्प्रदायिक दृष्टि से लिखी गई हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं से सम्बन्धित कुछ पैराग्राफ भड़काने वाली साम्प्रदायिक शैली में लिखे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्कूलों में ऐसी पुस्तकों को संदर्भ पाठ्य पुस्तकों के रूप में प्रयोग किये जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

Seizure of Documents from Naxalities

*137. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some such documents have been seized from the Naxalites, who had been apprehended by the Bihar Police from Ruam forest near Jaduguda, which revealed that they had a definite plan to blow up the Jaduguda Uranium Institute ;

(b) whether it is also a fact that some documents published in Peking were also found in their possession ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto and the future programme of Government to deal with them ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). According to information received from the Government of Bihar, a number of extremists were apprehended in Jaduguda forest, District Singhbhum on the morning of May 26, 1967 and some arms and ammunitions and propaganda literature were recovered from them. The police have registered a case. Investigations are still in progress.

लाल किले पर अपना झंडा फहराने की मुस्लिम लीग की तथाकथित धमकी

*138. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, श्री मुहम्मद इस्माइल ने, 25 अप्रैल, 1970 को केरल राज्य मुस्लिम लीग के तीन-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पालघाट में यह कहा था कि 'वह दिन दूर नहीं जब लाल किले के प्राचीर पर मुस्लिम लीग का झंडा फहरायेगा' ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुहम्मद इस्माइल द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट

*139. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में प्रति सप्ताह एक रिपोर्ट भेजने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत एक महीने में प्राप्त हुई रिपोर्टों का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति के पुनरीक्षण की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है । प्राप्त रिपोर्टों से पता लगता है कि कानून व व्यवस्था की स्थिति अब भी चिन्ता का विषय बना हुआ है ।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा प्रतियोगी की अपेक्षा कम किराया लिया जाना

*140. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रास्ते विमान चलाने वाली कुछ विदेशी विमान कम्पनियां सरकार की चेतावनी के बावजूद बराबर प्रतियोगी की अपेक्षा कम किराया ले रही हैं जिससे सरकार को यातायात राजस्व में भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को पता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें इस प्रकार के अनाचार-कार्य कर रही हैं जिनके परिणामस्वरूप यातायात दूसरी कम्पनियों की ओर बंट जाता है तथा विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

(ग) वैमानिक नियमों में ऐसे संशोधन किये जा रहे हैं जिनमें एयरलाइनों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपने टैरिफों (शुल्क दर सूचियों) को नागर विमानन विभाग के पास अनुमोदन के लिये भेजें। नियमों में अतिलंघन करने के लिये पर्याप्त दंड देने की भी व्यवस्था की जायेगी। सरकार एक "सेल" की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है जो कि इन अनाचारों की प्रारम्भिक जांचें करेगा।

एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

*141. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : संबंधित सुझाव सुरक्षा संबंधी विषय पर अध्ययन दल द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में दिया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग इस क्षेत्र में अपनी कोई सिफारिश न दे सका क्योंकि अध्ययन दल की रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी। इस पर तथा अन्य अध्यक्ष दल कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर जिन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है, की जाने वाली कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Attempt by Mizo Rebels to cross over to India

*142. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan (Hindi) in its issue dated the 30th June, 1970 that 1200 Mizo rebels are trying to cross over to India through Assam from East Pakistan ;

(b) if so, the necessary steps taken by Government to check them ; and

(c) if no action has been taken in the matter the time by which the necessary action is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Government have seen the press report. There are occasional reports of clandestine entry of small groups of Mizo rebels from East Pakistan.

(b) Security Forces continue to be alert and vigilant to intercept illicit passage across the border.

(c) Does not arise.

Reorganisation of U. G. C.

*143. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee of Members of Parliament on Higher Education had recommended complete reorganisation of the University Grants Commission and changes in its system of working ; and

(b) if so, the details in this regard and the action taken or proposed to be taken thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The Committee of Members of Parliament on Higher Education, **inter alia**, made the following recommendations with regard to the reorganisation and working of the University Grants Commission :

(i) The University Grants Commission should have 15 members, of whom at least 5 should be full-time members.

(ii) Serving Vice-Chancellors should not be appointed as members of the Commission.

(iii) The University Grants Commission Act should be so amended as to make it obligatory on the part of a State Government to consult the Commission before setting up a new University. The Act should have specific provision which would enable the Commission to refuse financial assistance to Universities established without its prior consultation.

(iv) Professional education including Medical (Basic), Agricultural, Engineering and Law should also come within the purview of the University Grants Commission.

The University Grants Commission Act, 1956 has since been amended by the amending Act of 1970, **inter alia**, to make the following changes :

(i) The number of members of the Commission has been increased from 9 to 12, including the Chairman. Out of them, not more than 3 members may be appointed as whole-time members, excluding the Chairman.

(ii) Serving Vice-Chancellors and heads of institutions eligible to receive grants from the Commission have been debarred from the membership of the Commission.

(iii) The Commission shall not give grant to any University established without previous approval of the Commission and of the Central Government.

As regards the recommendation at (iv) above, it has not been found feasible to accept the same.

पश्चिम बंगाल में पुलिस को लाने-लेजाने के लिये लारियों का किराये पर लिया जाना

*144. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के समय से राज्य सरकार को कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस कर्मचारियों को लाने-लेजाने हेतु लगभग 200 लारियां किराये पर लेनी पड़ी थीं और उन्होंने इस संबंध में अब तक 10 लाख रुपये से अधिक खर्च किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह व्यवस्था सफल सिद्ध हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान् ! प्रतिदिन की औसत से केवल 57 लारियां 12 मार्च से 25 जुलाई 1970 तक 4,32,465 रु० के कुल खर्चे पर रखी गई थीं क्योंकि कानून और व्यवस्था को कायम रखने की ऐसी स्थिति से पुलिस को निपटने तथा पुलिस बल की शीघ्र गति-शीलता को सुनिश्चित करने के लिये यह बहुत जरूरी था।

कोचीन पोत-स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में एक सरकारी दल की जापान की यात्रा

*145. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल के संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था कि सरकार कोचीन में पोत-स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में एक सरकारी दल जापान भेजेगी;

(ख) क्या सरकार ने उस आश्वासन को पूरा कर दिया है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को केरल के संसद सदस्यों से पोत-स्थल के निर्माण में विलम्ब होने के बारे में कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पोत-स्थल का निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (घ). जी, हां। कोचीन शिपयार्ड के डिजाइन और निर्माण के लिये फर्म के साथ तकनीकी सहयोग का करार करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के हेतु मैसर्स मितसुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विचार विमर्श के लिये एक सरकारी दल इस समय टोक्यो में है। विचार विमर्श चालू है। जापानी फर्म के साथ करार हो जाने के बाद परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

विमान द्वारा माल के यातायात में वृद्धि

***146. श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भर में विमानों द्वारा माल के यातायात में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि वैसी वृद्धि भारत में नहीं हो रही है क्योंकि इंडियन एयर-लाइन्स के पास माल ढोने की क्षमता नहीं है ; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स की माल ढोने की क्षमता बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के माल (कारगो) यातायात में भी वृद्धि हो रही है ; वृद्धि की दर 1969-70 में 15% से अधिक रही।

(ग) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चालू किये जा रहे नये विमानों में बढ़ी हुई माल वहन क्षमता की व्यवस्था की जायेगी।

साम्प्रदायिक दंगों में शिव सेना का हाथ होना

***147. श्री ए० श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगे शिव सेना ने कराये थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने शिव सेना की अल्प संख्यक-विरोधी और श्रमिक विरोधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिव सेना ने गैर-कानूनी तरीकों से बहुत अधिक धनराशि जमा कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कार्यवाही की है कि शिव सेना के हाथों में गैर-कानूनी तौर पर धन न जाने पाये ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) महाराष्ट्र सरकार ने एक आयोग नियुक्ति किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न की जांच करेगा कि मई, 1970 में हुये दंगों में क्या किसी संगठन अथवा वर्ग साम्प्रदायिक तनाव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भड़काया अथवा उकसाया था। जांच पड़ताल हो रही है।

(ख) शिव सेना के स्वयं सेवकों की किसी हिंसात्मक गतिविधि से उत्पन्न सभी विशिष्ट मामलों में कानून के अधीन कार्यवाही की जाती है। सरकार अन्य बातों के साथ-साथ उन संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिये विधान अधिनियमित करने के प्रश्न पर विचार कर

रही है जो विभिन्न क्षेत्रीय वर्गों के बीच वैमनस्य, घृणा इत्यादि की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं अथवा बढ़ावा देने की ओर प्रवृत होते हैं ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हायर सेकेन्डरी के तथा उससे उच्च स्थर पर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन

*148. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री वासुदेवन नायर : डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 जून, 1970 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ऐसे समाचार देखे हैं जिनमें यह कहा गया है कि सरकार का विचार उच्चतर माध्यमिक तथा इससे ऊपर के स्तर की परीक्षाओं में कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह योजना किस तिथि से लागू होगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । किन्तु जैसा कि प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बुलाये गये भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन में प्रस्ताव किये गये थे, न कि सरकार द्वारा ।

(ख) और (ग). सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों पर जनवरी, 1971 में होने वाली सम्मेलन की अगली बैठक में विचार किया जाएगा । परीक्षा की योजना में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे लागू करने की तारीख बोर्डों ही को तय करनी होगी ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को स्थायी करना

*149. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को विभिन्न राज्यों में भेजने से पूर्व स्थायी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय लेने में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय स्वस्थता और संगठन के पद, स्थायी पदों में बदले जाने के लिए अर्ह नहीं हैं ।

नक्सलवादियों द्वारा स्कूलों तथा कालेजों में चीनी प्रचार साहित्य का वितरण

*150. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादी हर प्रकार की अव्यवस्था फैला रहे हैं और देश के स्कूलों तथा कालेजों में चीनी प्रचार साहित्य वितरित कर रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप इन शिक्षा संस्थाओं के सुचारू रूप से चलने में बड़ी बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने तथा अपनी शिक्षण संस्थाओं की मर्यादा बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों को ऐसे उपद्रवों का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं जिनसे इन संस्थाओं के कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है तथा देश में शिक्षा का स्थर गिरता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उग्रवादियों द्वारा स्कूलों और कालेजों में, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के स्कूलों और कालेजों में माओवादी और विध्वंसक प्रचार साहित्य वितरित करने की कुछ घटनाएं सरकार की नजर में आई हैं। हाल ही में पिछले समय उग्रवादियों ने हिंसा तथा गुंडागर्दी के कुछ कार्यों में, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्थाओं में, भाग लिया था।

(ख) केन्द्रीय सरकार अधिकतम सावधानी बरत रही है और राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं, जो कड़ी निगरानी रख रही हैं और उग्रवादियों के विरुद्ध कानून के मुताबिक निवारक तथा दण्डात्मक कार्यवाही कर रही हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल में, जहां उग्रवादियों की गतिविधियां बहुत तेज थी पुलिस को शिक्षा संस्थाओं में, प्रज्ञेय अपराधों की घटनाओं को रोकने तथा वहां हुए अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रवेश का प्राधिकार दे दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डलों को भी पुलिस बुलाने का प्राधिकार है।

तमिलनाडु में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाना

802. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री के० रमानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय की मद्रास शाखा द्वारा हाल ही में पता लगाई गई 30 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की जालसाजी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में कार्य कर रहे थे और जिनके साथी मलयेशिया और सिंगापुर में भी हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कितने छापे मारे गये और कितनी राशि के करेन्सी नोट बरामद किए गए ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में देश भर में विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि की जालसाजी की गई तथा जनवरी से जुलाई, 1970 तक भारत भर में कितने छापे मारे गए ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तमिलनाडु और केरल राज्यों में कुछ व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के तथाकथित उल्लंघन के कुछ मामलों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में, मद्रास क्षेत्र के प्रवर्तन निदेशालय ने निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं :—

(1) श्री एम० के० एम० ताजुद्दीन
(2) श्री शेख मुहम्मद
(3) श्री ई० एम० एम० रजूक
(4) श्री ई० एम० एम०बशीर अहमद
(5) श्री ई० एम० एम० नरूल अमीन
(6) श्री एम० ए० सैफुद्दीन
(7) श्री पी० एस० हुसैन
(8) श्री हाजा मोहिद्दीन
(9) श्री वी० खादर इब्राहिम
(10) श्री एम० एस० अब्दुल खादर
(11) श्री ई० एम० एम० मुहम्मद आब्दीन
(12) श्री के० राजेन्द्रन
(13) श्री वी० सुन्दरराजन
(14) श्री के० भारतन
(15) श्री के० टी० हुसैन
(16) श्री के० कुन्जुमन
(17) श्री के० पी० माधवन पिल्ले
(18) श्री के० के० मूसा
(19) श्री एन० मुहम्मद शरीफ

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने 18-6-70 से 2-7-70 की अवधि में इस सम्बन्ध में 20 छापे मारे और कुल 5,08,700 रु० की भारतीय मुद्रा पकड़ी ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

एक महिला और उसके बच्चे की हत्या करने पर सेना के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र

803. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के चिकित्सा अधिकारी कैप्टन के० एन० राजू के विरुद्ध एक पच्चीस

वर्षीय महिला और उसकी 14 महीने की बालिका की, जिनके शव 15 फरवरी, 1970 को सिकन्दराबाद में पाये गये थे, तथाकथित हत्या के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया है;

(ख) कैप्टन राजू की गिरफ्तारी के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन अन्य अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनका गत दो वर्षों में हुई तथाकथित हत्याओं में हाथ था, उन्होंने क्या अपराध किया था तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के एक स्टूडियो से अश्लील फोटो तथा अश्लील पुस्तकों का बरामद होना

805. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के एक स्टूडियो में अनेक अश्लील फोटो तथा अश्लील पुस्तकें पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टूडियो का नाम क्या है और वे फोटो किस प्रकार की हैं तथा माडल और पुस्तकों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के प्रेस के कुछ कर्मचारी भी उक्त गिरोह में शामिल थे ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अश्लील साहित्य के और प्रसार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार 2 मई, 1970 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे के परिणामस्वरूप कुछ अश्लील कार्ड / फोटो / नेगेटिव बरामद किए गये हैं। आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, दिल्ली में कुछ कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

(ङ) अश्लील साहित्य के प्रसार से निपटने के लिए दिल्ली में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। समय-समय पर छापे मारे जाते हैं और कानून के अधीन यथोचित कार्यवाही की जाती है।

उप-कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया

806. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों के चुनाव के लिये समान प्रणाली के बारे में 1 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न सं० 1369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है अथवा नियुक्त किया जाता है ;

(ख) उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में कौन सी प्रणाली प्रचलित है ;

(ग) क्या यह सच है कि बंगलौर और मैसूर विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को मैसूर सरकार नियुक्ति करती है ; और

(घ) क्या "विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम" बनाने के बारे में सिफारिश के लिए राज्य सरकारों से कोई सुझाव मिले हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है, जिसमें इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। "विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श अधिनियम" से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्यवाई के लिए भेज दी गई है। उनके सुझाव नहीं मांगे गए थे।

विवरण

अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती के कुलपतियों की नियुक्ति की प्रकिया इस प्रकार है :—

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

कार्यकारी परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। यदि कुलाध्यक्ष, इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी के भी नाम का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह कार्यकारी परिषद् से नए नामों की सिफारिश की मांग कर सकता है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित प्रवरण समिति की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। यदि कुलाध्यक्ष, ऐसी सिफारिश का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह एक या अधिक नई सिफारिश मांग सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

कुलाध्यक्ष द्वारा कम से कम तीन व्यक्तियों की नामिका में से कुलपति की नियुक्ति की जाती है। यह नामिका, एक समिति द्वारा तैयार की जाती है। जिसमें तीन व्यक्ति होते हैं, जिनमें से दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा नामजद और एक व्यक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा नामजद होता है। इन तीन व्यक्तियों में से, एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा, समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यदि कुलाध्यक्ष, इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह नई सिफारिशें मांग सकता है।

विश्व-भारती, (शांति निकेतन)

कर्म समिति (कार्यकारी परिषद्) अधिमान्यता क्रम से, अपनी सिफारिशों के साथ, तीन

व्यक्तियों की एक नामिका संसद (कोर्ट) को भेजती है। यदि संसद कोर्ट कर्म समिति (कार्यकारी परिषद द्वारा भेजी गई नामिका में से प्रथम नाम को साधारण बहुमत से स्वीकार कर लेती है, तो परिदर्शक (कुलाध्यक्ष) नियुक्ति को पक्का कर देता है। किन्तु, यदि नामिका का प्रथम नाम संसद (कोर्ट) को स्वीकार्य नहीं होता है, तो कर्म-समिति (कार्यकारी परिषद) और संसद (कोर्ट) की सिफारिश के साथ परिदर्शक (कुलाध्यक्ष) को नामिका भेजी जाती है और नामों की नामिका में से परिदर्शक (कुलाध्यक्ष) द्वारा नियुक्ति की जाती है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

807. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय / वेतन आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने के लिये लिखा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Recommendation of A.R.C. Regarding Appointment of Technical Experts and Specialists to Posts in the Secretariat

808. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has suggested that technical experts and specialists should be appointed to most of the posts in the Secretariat ;

(b) whether a similar suggestion has been made in the draft of the Fourth Plan ;

(c) whether it is a fact that at present such posts are manned by I.A.S. Officer ;

(d) whether it is also a fact that a number of I. A. S. Officers would be rendered unemployed if the aforesaid recommendations of the Administrative Reforms Commission are implemented ; and

(e) if so, whether Government propose to stop further recruitment of I.A.S. Officer ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No Sir. But the Administrative Reforms Commission in its Report on Personnel Administration has recommended that all posts in a functional area in the Secretariat should be staffed by members of the corresponding functional service or by functional officers not encadred in a service ; and posts not falling within a particular functional area should be open to all Class I officers.

(b) Yes Sir. It is suggested in the Draft Plan that the specialist, the technician and the expert have to be enabled to make their contribution in a responsible manner at all levels of administration.

(c) No Sir. Such posts in the Secretariat are at present manned by All-India and other Central Services.

(d) No Sir.

(e) Does not arise.

Officers in various Ministries and Engineers Technicians and Experts among them

809. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Officers holding the posts of Under Secretaries and above in the Ministries of Works, Housing and Urban Development, Communications, Irrigation and Power, Steel and Heavy Engineering, Mines and Metals and Industrial Development ;

(b) the number of Engineers, technicians and experts among them ;

(c) whether posts on which Engineers and experts were to be employed vide paras 6.12 and 6.13 of the Fourth Five Year Plan (1969-74) have accordingly been filled up with such persons ; and

(d) if not, whether the recommendations contained in the Plan would be implemented immediately in order to remove unemployment among Engineers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) 112.

(b) 4.

(c) and (b). Appointments to various Secretariat posts are made keeping in view the duties and responsibilities, qualifications and experience needed in the incumbent. The recommendations contained in the Plan are invariably kept in view while filling up Secretariat posts.

अशोक होटल तथा अन्य सरकारी होटलों द्वारा अर्जित लाभ

811. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल तथा अन्य सरकारी होटलों ने लाभ कमाने की दिशा में कोई प्रगति की है ;

(ख) कौन-कौन से होटल अभी भी घाटे में चल रहे हैं ; और

(ग) उक्त होटलों को घाटे से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अशोक होटल 1960 से लाभ उपार्जित कर रहा है तथा आशा है 1969-70 में भी वह लाभ उपार्जित करता रहेगा।

जनपथ होटल समूह में जनपथ, लोदी तथा रणजीत होटल सम्मिलित हैं। यद्यपि जनपथ यूनिट लाभ कमा रहा है, परन्तु समस्त रूप से इस ग्रुप को हानि रही है। तथापि, वर्ष 1969-70 में इस ग्रुप के लाभ कमाने की आशा है।

लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, जिसे भारत पर्यटन विकास निगम ने अन्य यात्री लाजों के साथ-साथ 1-1-1969 को पर्यटन विभाग से अपने अधिकार में ले लिया है, 24 शय्याओं वाला एक छोटा सा यूनिट है। वर्ष 1969-70 के लिये, इस यूनिट को लगभग 24,000/-रुपये का एक मामूली घाटा होने की संभावना है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के होटलों के सेवा के स्तर तथा लाभप्रदता में सुधार करने के समेकित प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभिन्न यूनिटों के संबंध में उठाये जाने वाले मुख्य-मुख्य कदम निम्न प्रकार हैं :

1. अशोक होटल : सार्वजनिक क्षेत्रों, कमरों तथा रेस्टोरेंटों का एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है। छठे तथा सातवें फ्लोर के कमरों और सामने के दफ्तर सहित लाबी के नवीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

विभिन्न स्तरों पर तथा परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले पर्यवेक्षण कार्य को मजबूत कर दिया गया है। विभिन्न परिचालन कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण स्कीमें प्रारंभ कर दी गई हैं।

स्टाफ के सदस्यों को प्रेरणा देने संबंधी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। स्टाफ कालोनी में आधुनिक शौचालय, बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क, अच्छी सड़कें आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्य किये जा रहे हैं।

2. जनपथ होटल समूह : लोदी होटल में और 55 कमरों को वातानुकूलित कर दिया गया है तथा 60 और कमरों को वातानुकूलित करने का कार्य प्रगति पर है।

होटल रणजीत में भी लाज, डाइनिंग हाल तथा 50 अतिथि कमरों को वातानुकूलित करने का काम जारी है।

3. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल : इस होटल के नवीकरण के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है तथा अब तक 1,04,000/-रुपये का व्यय हो चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में सर हीरजी गोवासजी जहांगीर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना

812. **श्री नाथ पाई** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बम्बई उच्च न्यायालय में सर हीरजी गोवासजी जहांगीर के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि सर हीरजी गोवासी जहांगीर का स्विस बैंक में खाता है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

पश्चिमी तटवर्ती सड़क का निर्माण

813. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तटवर्ती सड़क के निर्माण करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य किस सीमा तक पूरा हो गया है ;

(ग) क्या अब तक किसी सड़क को पूरा किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पश्चिमी तटवर्ती सड़क जो महाराष्ट्र, गोआ, मैसूर और केरल राज्यों से होकर जाती है का निर्माण प्रगति पर है । सड़क के कुछ टुकड़ों और कुछ पुलों को छोड़कर इस परियोजना पर कार्य प्रायः पूरा हो गया है । अद्यतन प्रगति दिखाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3796/70]**

छोटी सदरी सोना कांड (गोल्डकेस)

814. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के बारे में की जाने वाली जांच के सम्बन्ध में 17 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छोटी सदरी गोल्ड केस के बारे में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री द्वारा चांदनी चौक दिल्ली में आयोजित सभा पर किया गया खर्च

815. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री जय सिंह :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 22 जून, 1970 को चांदनी चौक दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक सभा पर जिसमें प्रधान मंत्री ने भाषण दिया था ; होने वाले सरकारी खर्च का अनुमान लगाया है ; और

(ख) इस सभा पर कुल कितना खर्च किया गया, उसमें से कितना खर्च क्रमशः कांग्रेस (सत्तारूढ़) संस्था दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंन्द्र पन्त) : (क) और (ख). विधि तथा व्यवस्था, यातायात तथा सुरक्षा प्रबन्धों के लिए दिल्ली पुलिस की विद्यमान बल संख्या से पुलिस दल की तैनाती पर व्यय के अतिरिक्त लगभग 900 रु० का व्यय रुकावटें खड़ी करने के लिए दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। सेना के कुछ कर्मचारियों ने भी इस कार्य में लोक निर्माण विभाग की सहायता की और वह व्यय, जिसकी वे दिल्ली प्रशासन से मांग करेंगे, अभी मालूम नहीं है। कांग्रेस (सत्तारूढ़) संस्था द्वारा इस सभा के संबंध में किए गए व्यय के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने सीधे कोई व्यय नहीं किया।

साम्प्रदायिकता का दमन करने के उद्देश्य से अवैध गतिविधि अधिनियम में किये जाने वाले परिवर्तन

816. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अवैध गतिविधि अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार किया है जिससे राज्य सरकारें साम्प्रदायिक हिंसा का प्रसार करने अथवा हिंसात्मक कार्य करने वाले संगठनों को समाप्त कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या विस्तृत कार्यवाही की है और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1968 की परिधि को उचित रूप से बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये विधेयक

817. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री जय सिंह** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : **श्री बलराज मधोक** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन हेतु संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन एक व्यापक विधेयक पेश करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 309 में सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और भर्ती के तरीके को निर्धारित करने के लिये दो वैकल्पिक तरीकों की व्यवस्था की गई है ; अर्थात् :

(i) विधायी, और

(ii) राष्ट्रपति विनियम ।

ऐसे ही उपबन्ध संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में निहित हैं। जब संविधान में एक बात के लिये दो वैकल्पिक तरीकों की व्यवस्था है, तो यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से एक को दूसरे से अवश्य तरजीह दी जाय। भारत के राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अस्थायी अथवा अल्प अवधि की नहीं कही जा सकती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने के लिये विधान का प्रायोजन करना सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है। भारत में लोक सेवायें अधिकतर सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं, क्योंकि इससे सामयिक परिवर्तनों को लाने में सुविधा होती है जो कि प्रशासन को विकासशील समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये आवश्यक हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि संघ में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित नियम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये जाते रहने चाहिए ।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने के बारे में महान्यायवादी की सलाह

818. **श्री रविराय :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री नारायणन :**
श्री सामिनाथन् : **श्री मयावन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री अदिचन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तनात करने के बारे में भारत सरकार ने महान्यायवादी की सलाह मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो महान्यायवादी ने क्या सलाह दी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्यों में केन्द्र रिजर्व पुलिस तैनात करने के बारे में महान्यायवादी की सलाह कुछ समय पहले प्राप्त की गई थी ।

(ख) गोपनीय कानूनी सलाह को प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

(ग) सरकार ने यह सलाह स्वीकार कर ली है।

प्रशासन सुधार आयोग पर किया गया खर्च और मंत्रियों की संख्या को सीमित रखने के बारे में उसकी सिफारिशें

820. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन सुधार आयोग की नियुक्ति से अब तक उस पर, वर्षवार, कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) क्या निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार, में विशेषकर मंत्रियों की संख्या को सीमित रखने के बारे में प्रशासन सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के स्वीकार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग पर किये व्यय के वर्ष-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :

1965-66	77,034 रुपये
1966-67	18,69,341 रुपये
1967-68	20,13,723 रुपये
1968-69	15,87,872 रुपये
1969-70	11,27,500 रुपये
1970-71 (जून, 1970 तक)	2,70,300 रुपये

(ख) से (घ). प्रशासनिक सुधार आयोग की बहुत सी सिफारिशों पर निर्णय ले लिये गये हैं और इस विषय पर पहले के एक आश्वासन के कार्यान्वियन में इनका एक विवरण आज सदन के पटल पर रखा जा रहा है। शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की हत्या में एक राज्य मंत्री के पुत्र का कथित हाथ

821. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की हत्या तथा उसमें राज्य सरकार के एक मंत्री के पुत्र का हाथ होने सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में गुप्तचर विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो अपराध की रोकथाम करने तथा अपराधी व्यक्तियों को दण्डित नहीं किया जायेगा, विद्यार्थियों की इस आशंका को दूर करने के लिये, जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 3-2-1970 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के विवेकानन्द छात्रावास के कुछ छात्रों पर आक्रमण में किये गये । अपराधों की जांच करने का अन्वेषण ब्यूरो को अधिकार दिया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये हैं । चूंकि मुकदमा न्यायाधीन है अतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणाम बताना उचित नहीं होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Students in Indian Universities

822. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) the number of foreign students, country-wise, getting education in the Indian Universities and colleges ;

(b) the number of seats reserved for the students of various countries, country-wise, for admission in the Engineering Colleges in India ;

(c) the rules of the criteria fixed by Government for determining the number of seats for the various countries ;

(d) whether Government propose to increase the number of seats for foreign students keeping in view their increasing number ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) to (e). A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See No. LT—3797/70.]**

इंजीनियरों और तकनीशनों के लिए रोजगार की व्यवस्था

823. **श्री न० ता० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री द० रा० परमार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री दे० अमात :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंजीनियरों और तकनीकी स्नातकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के संबंध में क्या उपाय किये हैं ;

(ख) जून, 1970 तक ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या उक्त उपाय अपनाने से बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता में भारी कमी हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने सम्बंधी क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त नियोजन के अवसर सृजन करने के लिये मई, 1968 में सरकार द्वारा आरम्भ किये गये उपायों के कार्यान्वियन में अब तक की गई प्रगति बतलाई गई है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3798/70**]

(ख) कर्मचारियों की किसी श्रेणी में बेरोजगारी की सीमा के कोई निश्चित अनुमान नहीं हैं। उन लोगों की संख्या से जिन्होने रोजगार कार्यालयों में नौकरी की खोज में अपने नाम दर्ज कराये हैं, सामान्यतया उस वर्गविशेष में बेरोजगारी की सीमा का एक मोटा अनुमान लगाया जाता है।

30 जून, 1970 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में इंजीनियरों की कुल संख्या के बारे में सूचना शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। किन्तु 31 दिसम्बर, 1969 को यथाउपलब्ध देश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज इंजीनियरों की संख्या के बारे में आंकड़ों से मालूम होता है कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 13,101 स्नातक इंजीनियर तथा 44,733 डिप्लोमा धारक थे।

(ग) और (घ). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उपायों के परिणामस्वरूप निर्मित इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त पदों की संख्या का निश्चितरूप से अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी, जैसा कि अनुलग्नक में विवरणों से देखा जा सकता है, इनमें से अनेक उपायों के प्रशंसनीय परिणाम निकले हैं। इन उपायों के कार्यान्वियन को तीव्र करने के लिये प्रयास जारी रखे जा रहे हैं। किसी राज्य द्वारा अपनाए गए उपयोगी उपाय कार्यान्वियन के लिए अन्य राज्यों के ध्यान में लाए जा रहे हैं।

प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा बेरोजगारी का अध्ययन

824. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयुक्त जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान ने हाल ही में देश में बेरोजगारी की सीमा के बारे में अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान जनशक्ति तथा

नियोजन के क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। किन्तु उक्त संस्थान ने देश में सामान्य बेरोजगारी की सीमा का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पार के घुसपैठिये

825. **श्री मु० अ० खां :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के खतरनाक प्रेस-समाचार की ओर अकर्षित किया गया है कि जम्मू और काश्मीर में अराजकता फैलाने के लिए चीनी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित घसपैठियों को वहां भेजने के लिए युद्ध-विराम रेखा पार काफी तैयारियां हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किये गये प्रभावी उपायों का व्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) और (ख) . सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। सरकार सावधान है तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए कारगर कदम उठायेगी।

Rule for Suspension of District Magistrate and S. P. of the District where Communal Riots Occur

826. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to frame any rule under which the District Magistrate and the Superintendent of Police of the District in which riots take place between Hindus and Muslims will be suspended immediately, as the riots occur due to their negligence ; and

(b) if so, the positive steps being taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government have no such proposal. However, in pursuance of a recommendation of the National Integration Council it had been suggested to the State Governments to impress upon all IAS and IPS officers that any failure to take effective action to deal with communal tensions and disturbances would be regarded by Government as a dereliction of duty, entailing suitable disciplinary action. It was also suggested that while reporting on the work and conduct of magistrates and police officers their effectiveness or otherwise in dealing with situations of this nature should be taken into account.

Unsound Financial condition of Allahabad University

827. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact shat the Allahabad University is the oldest residential University in the country ;

(b) whether it is also a fact that the teaching and other staff of the said University do not get their salaries in time quite often due to the unsound financial condition of the University ;

(c) whether it is further a fact that the University has not maintained any proper account of the grants given to it by the University Grants Commission ;

(d) whether it is further a fact that departments for only three new subjects have been opened in the University after the Independence ; and

(e) whether Government propose to convert the said University into a Central University and appoint a Committee to look into the irregularities committed in respect of the grants given to the University ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) No complaint in this regard has been received by the Government of India.

(c) The Audit and Inspection Report on the accounts of the Allahabad University for February, 1968 to January 1969, as received from the Accountant General, Uttar Pradesh, does not report that the University has not maintained any proper account of the grants given to it by the U. G. C. However, the Local Fund Examiner, U. P., Allahabad, the Statutory Auditor of the University has referred to some irregularities regarding compilation of accounts for 1967-68 and also remarked that improvements in the maintenance of the accounts were desirable.

(d) No, Sir. Six new departments have been established by the University since Independence and one department has been redesignated on its expansion.

(e) No, Sir.

मुख्य पत्तनों में लगाई गई पूंजी पर लाभ

828. **श्री के० रमानी :** **श्री नि० रं लास्कर :**
श्री साभिनाथन : **श्री नारायणन :**
श्री दंडपाणि : **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मयावन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य पत्तन आयोग ने सुझाव दिया है कि मुख्य पत्तनों को आत्म-निर्भर बनाने के लिये नियोजित पूंजी पर कम से कम 12 प्रतिशत लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) निकट भविष्य में कौन से पत्तन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) बड़े पत्तन आयोग ने सिफारिश की है कि बड़े पत्तनों पर लगाई गई पूंजी पर कम से कम 12 प्रतिशत दर से प्रतिलाभ होना चाहिए ।

(ख) आयोग ने बताया है कि पत्तन-प्रभार पत्तनों की आय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है और पत्तनों के कार्यकरण व्यय, मूल्यह्रास और नियत प्रभारों की पर्याप्त पूर्ति के लिए दरों और प्रभारों की पद्धति की आय का एक स्तर बनाने की कुशलता पर पत्तनों की जीवन-क्षमता पर निर्भर करता है । लगी पूंजी पर 12 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिलाभ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आयोग ने बड़े पत्तनों को उनकी दर-नीति के बारे में कुछ सिद्धान्तों की सिफारिश की

है। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस आधार पर दरों और प्रभारों का युक्तिकरण व्यवस्थित और विस्तृत रूप से ध्यानपूर्वक विश्लेपण करने के बाद क्रमबद्ध तरह से किया जाना चाहिए।

(ग) आयोग ने प्रेक्षण किया कि यद्यपि 1967—68 के दौरान कोचीन, विशाखापत्तनम, मार्मुगाओ और मद्रास पत्तनों ने 12 प्रतिशत का प्रतिलाभ प्राप्त किया है परन्तु मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के लागू किये जाने पर इस स्थिति में परिवर्तन आने की संभावना है। आयोग ने आशा व्यक्त की है कि निश्चित वित्तीय कार्य बनाये रखने के लिये दर-संरचना में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

अन्य मुख्य पत्तनों के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(1) बंबई पत्तन को 1970-71 तक 12 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए हर उपाय करना चाहिए।

(2) कलकत्ता पत्तन को हल्दिया गोदी पद्धति के चालू किये जाने के समय से 5 वर्ष में लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिलाभ प्राप्त करना चाहिए।

(3) कांडला और पारादीप पत्तनों को 1973-74 तक 6 प्रतिशत से कम प्रतिलाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए और 1976-77 तक 9 प्रतिशत से कम नहीं और 1978-79 तक 12 प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त करना चाहिए।

(4) मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन निर्माणाधीन हैं। उन्हें चालू होने के समय से 5 वर्ष के भीतर 6 प्रतिशत से कम का और उससे अगले 3 वर्षों में 9 प्रतिशत से कम का और उससे अगले दो वर्षों में 12 प्रतिशत से कम का प्रतिलाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए।

दिल्ली में स्कूलों के बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तकें

829. **श्री के० रमानी :**　　**श्री भगवान दास :**
श्री सत्यनारायण सिंह :　　**श्री गणेश घोष :**
श्री प० गोपालन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने स्कूलों के बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तकें तैयार करते समय उन सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं के लिये बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने उन पाठ्यपुस्तकों को खुले आम हिन्दू विरोधी बताया है जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने तैयार की थी और उनको स्कूलों में परिचालित करने पर आपत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध जो राजधानी में साम्प्रदायिक एकता को खतरे में डाल रहा है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में निर्जल गोदी

830. **श्री के रामानी** : **श्री राममूर्ति** :
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री गणेश घोष** :
श्री नम्बियार :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर एक निर्जल गोदी का निर्माण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निर्जल गोदी की लंबाई कितनी होगी और इस पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). मद्रास पत्तन पर एक सूखी गोदी बनाने की आवश्यकता के हर पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है। इस पर निर्णय लेने के लिये कि सूखी गोदी कहां पर होगी, इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसका निर्माण कौन करेगा आदि जैसे विचारों को दृष्टि में रखना होगा। इस प्रश्न के अध्ययन के लिये एक समिति बनाई गयी है जिसके संयोजक मुख्य इंजीनियर (अनुरक्षण) मद्रास पत्तन न्यास होंगे। इन परिस्थितियों में इस समय यह बताना कि सूखी गोदी मद्रास में कहां पर बनेगी अथवा इसका क्या परिमाप होगा और इस पर कितनी लागत लगेगी; समय से पहले होगा।

आन्ध्र प्रदेश में सेवाओं का क्षेत्रीयकरण

831. **श्री के० रमानी** : **श्री गणेश घोष** :
श्री वि० कु० मोडक : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश में सेवाओं का आन्ध्र और तेलंगाना के रूप में क्षेत्रीयकरण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही का जनता की एकता और सुदृढ़ता पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). ज्ञात हुआ है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार उस राज्य में सेवाओं के क्षेत्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है। अभी तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के उपबन्ध की शर्तों के अनुसरण में कोई निश्चित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की अनुमोदनार्थ नहीं भेजा है।

जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी

832. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री झारखण्डे राय :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री प० गोपालन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० रमानी :
श्री सी० के० चक्रपाणि
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा अमीनाबाद, लखनऊ में जून, 1970 में आयोजित प्रदर्शनी की ओर दिलाया गया है जिसमें मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तानी एजेन्ट बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस प्रदर्शनी को लोगों में जानबूझ कर साम्प्रदायिक घृणा भड़काने वाली प्रदर्शनी समझती है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रदर्शनी के आयोजकों के, जो इस प्रकार साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सरकार भविष्य में ऐसी प्रदर्शनी आयोजित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की न्यायिक जांच

833. **श्री सामिनाथन :**
श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री मयावन :
श्री अदिचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की न्यायिक जांच करवाने के विरुद्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों से पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की इस सलाह की उपेक्षा की है कि गोलीकांड की ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच करवाई जाये जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो; और

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों की उपेक्षा की है और उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और सचिवों का नई दिल्ली में सम्मेलन

834. **श्री सामिनाथन :**
श्री दण्डपाणि :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन् :
श्री राम सेवक यादव :
श्री एस० एम० कृष्ण :
डा० सुशीला नैयर :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून में नई दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों तथा सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का प्रयोजन क्या था और किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या निर्णय किये गये थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां । सम्मेलन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आयोजित किया था । सम्मेलन का उद्देश्य था, भारत के सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सामान्य हित वाले मामलों पर विचार-विमर्श करना ।

कार्य सूची के निम्नलिखित विषयों पर सम्मेलन ने चर्चा की :

(1) भारत के सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के एक स्वैच्छिक संगठन के निर्माण का प्रस्ताव ।

(2) भारत में परीक्षा-सुधार कार्य की समीक्षा ।

(3) परीक्षा सुधार पर विभिन्न बोर्डों की रिपोर्ट ।

(ग) संलग्न विवरण में सम्मेलन द्वारा किये गये संकल्प और सुझाव दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3799/70]**

भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली की फाइलों का गायब होना

835. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री पी० विश्वम्भरन् :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली की दो महत्वपूर्ण फाइलें, जो नई दिल्ली के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक अनिर्णीत मामले में पेश की गई थीं, मामले के रिकार्ड से गायब हो गईं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन फाइलों का सम्बन्ध सेक्रेटरी जनरल के विरुद्ध भारतीय रेडक्रास सोसायटी नई दिल्ली के एक कर्मचारी की शिकायतों के विरुद्ध साक्ष्य से था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). भारतीय रेडक्रास सोसाइटी नई दिल्ली की दो फाइलें, जो धन के तथाकथित दुर्विनियोग के लिये सोसायटी के भूतपूर्व महा सचिव के विरुद्ध भारतीय रेडक्रास के एक कर्मचारी द्वारा दायर किये गये शिकायत के मामले में न्यायालय में प्रस्तुत की गई थीं, न्यायालय के रिकार्डों में उपलब्ध हैं।

पारादीप पत्तन का विकास

836. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परादीप पोर्ट ट्रस्ट ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उक्त पत्तन के समुचित विकास के लिये अधिक राशि दे;

(ख) क्या इस बात की भी जांच कर ली गई है कि इस पत्तन की वर्तमान क्षमता 28 लाख टन लोह अयस्क के निर्यात के लिये अपर्याप्त है जिसके लिये धातु तथा खनिज व्यापार निगम और विदेशी निर्यातकों के बीच करार हो चुका है; और

(ग) उक्त पत्तन की क्षमता में इस वर्ष वृद्धि करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और परादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये प्रस्तावों को सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पारादीप पत्तन न्यास द्वारा चौथी योजना में पारादीप पत्तन के विकास के लिये भेजा गया मूल कार्यक्रम 20.29 करोड़ रुपये का था। चौथी योजना में पारादीप पत्तन के विकास के लिये अनुमोदित निर्माण कार्यक्रम 14 करोड़ रुपये का है।

(ख) और (ग). विकास के प्रथम क्रम में पारादीप पत्तन लगभग 20 से 25 लाख टन खनिज लौह की वार्षिक धरा-उठाई करने के लिये अभिकल्पित है। चालू वर्ष के लिये खनिज और धातु व्यापार निगम ने पारादीप पत्तन से 28 लाख टन निर्यात करने के लिये कार्यक्रम बनाया है। लदान की दर में वृद्धि करने के लिये 2 टाटा पी० एण्ड एच० शोवेल खरीदने के लिये हाल ही में मंजूरी दी गई है। इनके द्वारा 3000 टन खनिज लौह, आवश्यक हो तो सीधा जहाजों पर लादा जा सकता है और पत्तन पर लदान-दर में इतनी वृद्धि हो जायेगी। एक अतिरिक्त रिक्लेमर खरीदने के लिये भी मंजूरी दी गई है। चौथी योजना काल में खनिज धातु की धरा-उठाई के संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि प्रतिवर्ष 20 लाख टन धरा-उठाई हो सके।

केबरे नृत्य

837. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री राम चरण :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबरे नर्तकी द्वारा नग्न नृत्य (स्ट्रिपटीज) करने पर कानून की दृष्टि से कोई प्रतिबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केबरे नर्तकियों के लिये वस्त्र सम्बन्धी नियमों का पालन करना अथवा दर्शकों से निर्धारित दूरी पर रहना आवश्यक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केबरे नृत्य पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जलपाईगुडी इन्जीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य पर हमला

838. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री राम चरण :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपाईगुडी इन्जीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य को नक्सलवादी छात्रों द्वारा हाल ही में बुरी तरह पीटा गया था और उन्हें कालेज की इमारत पर लाल ध्वज फहराने को बाध्य किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

भारतीय साम्यवादी दल का भूमि को छीनने का आन्दोलन

839. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री राम चरण :
श्री शिवचरण लाल :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय साम्यवादी दल ने हाल ही में एक संकल्प

पारित किया है जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि पर बलात कब्जा करने के लिये आह्वान किया गया है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं, जिनका लक्ष्य विधि शासन स्थापित करना है ;

(ग) भारतीय साम्यवादी दल के नेतृत्व में अब तक कितनी सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि छीनी गई है ;

(घ) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लग गई भूमि को उसके वैध तथा कानूनी मालिकों को वापिस दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) इस प्रकार अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार उत्सुक है कि भूमि सुधारों को जितनी जल्दी हो सके कार्यान्वित किया जाए। सरकार किसी व्यक्ति द्वारा कानून को अपने हाथों में लिए जाने का कड़ा विरोध करती है।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है ।

साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ

840. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों की कोई जांच की है, और यदि हां, तो क्या इन दंगों में कुछ राजनीतिक दलों का अथवा विदेशी तत्वों के हाथ का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक विस्फोटों के पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच करवाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने देश में किसी साम्प्रदायिक दंगे की जांच पड़ताल नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग ने छः बड़े दंगों की जांच की है जो अगस्त से अक्तूबर, 1967 तक हुए । राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त आयोग भी हाल में हुए कुछ बड़े दंगों की जांच कर रहे हैं । अतः किसी नये जांच आयोग को नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है जैसा कि सुझाव दिया गया है ।

कश्मीर में अग्निकांड की घटनाओं की जांच

841. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री शारदा नन्द :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हेम बरुआ :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बलराज मधोक :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री निहाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने हाल ही में कश्मीर में हुई अग्निकांड की उन बहुत सी घटनाओं की जांच की है जिनसे हजारों मकान स्वाहा हो गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आगजनी की इन घटनाओं में पाकिस्तान समर्थक तत्वों और स्थानीय अधिकारियों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अग्निकांडों की जांच करने में राज्य पुलिस को केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सहायता दी गयी थी ।

(ख) जांच पड़ताल अभी जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भेदभाव

845. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जयसिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के मुकाबले

में हिन्द छात्रों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है, यहां तक कि मुस्लिम छात्रों के लिये कुछ प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो मुस्लिम छात्रों के लिये इस प्रकार से ईर्ष्यास्पद आरक्षण कब तक किया जाता रहेगा ;

(ग) क्या इस प्रकार के आरक्षण से संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 2 का उल्लंघन नहीं होता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को यह निदेश देने का है कि आरक्षण की उक्त व्यवस्था समाप्त कर दी जाये ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्कूल के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

843. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त डिवीजनों के आधार पर एक नया वेतनमान रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार के पास किसी वर्ग विशेष के अध्यापकों को विभिन्न वेतनमान देने के प्रयोजन से अध्यापकों को पढ़ाने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिये कोई और तरीका नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भेदभाव नहीं है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों के परिशोधन के लिये निश्चय किया गया है। इसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

ग्रामीणों पर गोली चलाने के कारण एक सैनिक अधिकारी का गिरफ्तार किया जाना

844. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जून, 1970 को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले

में ग्रामीणों पर गोली चलाये जाने के आरोप में तीन साथियों के साथ एक सैनिक अधिकारी को जो राष्ट्रीय छात्र सेना कैंप का कमाण्डर था, गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कितने व्यक्ति घायल हुये थे ;

(ग) क्या पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों ने सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस घटना में एक व्यक्ति मारा गया तथा छः घायल हुये ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अधिकारियों को 21 जून, 1970 को अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, कृष्ण नगर के समक्ष पेश किया गया था और उन्हें सैनिक हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया ; यह कि सैनिक अधिनियम की धारा 25 के अधीन एक जांच न्यायालय का गठन किया गया और जांच-न्यायालय के निष्कर्ष पश्चिम बंगाल सरकार को प्राप्त हो गये हैं । यह भी सूचित किया गया है कि जांच-न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर सैनिक प्राधिकारियों ने राज्य सरकार से उस पुलिस मुकदमें को बन्द करने का अनुरोध किया है जो सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध चल रहा है । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

सामान्य पाठ्य पुस्तकें

846. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को ऐसी सामान्य पाठ्य पुस्तकें देने का निर्णय किया है जिनका विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । तथापि, पाठ्यपुस्तकों का स्तर सुधारने के लिये, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने नमूने की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने के लिये एक कार्यक्रम आरंभ किया था, जो अपनाने तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भी राज्यों को दी जाती हैं । अब तक परिषद् द्वारा 150 पाठ्यपुस्तकें और अध्यापक गाइडें प्रकाशित की गई हैं । राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद मार्च, 1970 से

पूर्ण पाठ्यपुस्तकों की बजाये पाठ्यपुस्तक-सामग्री का निर्माण करेगी। सामग्री, राज्यों के पाठ्य-विवरण के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिये राज्यों को उपलब्ध की जायेगी।

जो एक अन्य कार्यक्रम चल रहा है वह, यूनेस्को की सहायता से रा० शि० अ० प्र० प० द्वारा निमित्त पाठ्यपुस्तकों और विज्ञान उपस्कर के आधार पर विज्ञान पढ़ाने की एक मार्गदर्शी परियोजना है। इन पुस्तकों का चुने हुये स्कूलों में परीक्षण करने के लिये राज्यों को सहायता दी जा रही हैं। पाठ्यपुस्तकों और अध्यापक गाइडों के परीक्षण संस्करणों के राज्यों की भाषाओं में अनुवाद तथा मुद्रण का सारा खर्च भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) द्वारा बराबर-बराबर बांटा जायेगा सभी राज्य, मार्गदर्शी परियोजनाओं में भाग लेने के लिये सहमत हो गये हैं।

भारत और रूस के बीच परमाणु वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का समझौता

847. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच हाल ही में, इस आशय का कोई सांस्कृतिक समझौता सम्पन्न हुआ है। जिसके अन्तर्गत एक देश के परमाणु-वैज्ञानिक दूसरे देश में जाया करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) और (ख). भारत और सोवियत रूस के बीच वर्ष 1970-71 के लिये एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 12 जून 1970 को नई दिल्ली में तय हुआ था। कार्यक्रम में, विज्ञान, शिक्षा, कला और सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, खेल, प्रेस, फिलमों, रेडियो और टेलीविजन आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की व्यवस्था है। किन्तु इसमें नाभिकीय वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है।

गोड्डाची (मैसूर) में एक प्राचीन मन्दिर का पता चलना

848. **श्री सं० अ० अगड़ी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेलगाम जिले में रामदुर्ग तालुक के गोड्डाची क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो मन्दिर के युग आदि से सम्बन्धित ऐतिहासिक निष्कर्षों का व्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). भारत सरकार के पास, इस बारे में, कोई प्राधिकृत सूचना नहीं है। किन्तु आवश्यक पूछ-ताछ की जा रही है।

एरोफ्लोट तथा एयर इंडिया के बीच करार

849. **श्री दिनकर देसाई :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1958 में एरोफ्लोट और एयर इंडिया के बीच एक करार हुआ था ;

(ख) इस करार की अवधि क्या थी ;

(ग) एरोफ्लोट के साथ हुये पूल समझौते के परिणामस्वरूप क्या कोई राशि एयर इंडिया को मिलनी थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या एरोफ्लोट द्वारा उक्त राशि का भुगतान एयर इंडिया को कर दिया गया था ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) एरोफ्लोट से यह राशि वसूल करने में एयर इण्डिया की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार अगस्त, 1958 से लागू है यद्यपि 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि के दौरान 'पूल' राजस्व की हिस्सेदारी के बारे में विमान कम्पनियों में सहमति न होने के कारण करार लागू नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

सांप्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के लिये राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही

850. **श्री इंद्रजीत गुप्ता :**
श्री दंडपाणि :
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री रामवतार शास्त्री :
श्री मयावन :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुख्य मंत्रियों को लिखे अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने उनसे यह कहा है कि वे साम्प्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के लिये कठोर कार्यवाही करें ;

(ख) क्या राज्यों ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान्। लोक सभा में आज तारांकित प्रश्न संख्या 121 के दिये जा रहे उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग). 14 राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या में वृद्धि

851. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री भोला नाथ मास्टर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उच्च न्यायालयों में दर्ज किये गये मामलों में चौगुनी वृद्धि हुई है, हालांकि न्यायाधीशों की संख्या में भी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का आगे ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिसे अनिर्णीत मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सभी उच्च न्यायालयों को मिलाकर उनमें 1967 से 1969 के अन्त तक अनिर्णीत मामलों की संख्या में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ उच्च न्यायालयों में यह वृद्धि मामूली रही है।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उच्च न्यायालयों में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या में वृद्धि होती रही है। यद्यपि निपटान में भी वृद्धि हुई है फिर भी वह दर्ज हुए मुकदमों में वृद्धि के बराबर नहीं रही है।

(ग) तीन जजों की एक समिति, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उपचारीय उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से उच्च न्यायालय में बकाया कार्य की समस्या की जांच कर रही है।

नोबोसिबिस्क (रूस) में विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन में 'गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स तथा इकनामिक्स' के निदेशक द्वारा भाग लिया जाना

852. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकनामिक्स' के प्रबन्धकों ने उक्त

संस्थान के निदेशक को इस आशय का निदेश दिया था कि वह रूस के नोवोसिबिर्स्क नामक स्थान पर होने वाले विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन में भाग न लें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निदेश देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 1948 में सरकार को दिये गये आश्वासनों का पूरा न किया जाना

853. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री क० लकप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को वर्ष 1948 में उस पर लगे प्रतिबन्ध को हटाते समय यह आश्वासन दिया था कि वह राजनीति में भाग नहीं लेगा और अपने को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ ने उस आश्वासन का उल्लंघन किया है और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संगठन द्वारा पहले से लिये गये आश्वासन का उल्लंघन करने के कारण इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां, श्रीमन्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संघ की कोई राजनीति नहीं है और वह विशुद्ध सांस्कृतिक कार्य में लगा है।

(ख) व्यापकरूप से यह विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों और उसके नेताओं के भाषणों का समुदायों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) संविधान के अधीन राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसी संगठन के विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी। किन्तु सरकार उन साम्प्रदायिक संगठनों को ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिये उपयुक्त कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता, घृणा, वैमनस्य अथवा दुर्भावना को बढ़ावा देते हैं अथवा बढ़ावा देने की ओर प्रवृत्त होते हैं।

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्णय

854. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की संयोजक समिति की हाल ही में हुई बैठक में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाने का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को क्रियान्वित कर के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । सभी विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के पक्ष में सरकार द्वारा एक तीव्र अभियान चलाया गया हैं । किन्तु संयुक्त सामूहिक अभियान अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि कुछ दल समझते हैं कि इससे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं होगा, यदि साम्प्रदायिक दल इसके साथ सम्बद्ध किये जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं

855. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन के दौरान नक्सलवादियों द्वारा कितनी हिंसात्मक घटनाएं की गईं और जीवन तथा सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) इस अवधि में कितने नक्सलवादी गिरफ्तार किये गये और पकड़े गये हथियारों का व्यौरा क्या है ;

(ग) पुलिस, सरकारी कार्यालयों, कालेजों, स्कूलों पर अलग अलग कितनी बार आक्रमण किये गये ; और

(घ) गत तीन महीनों में पश्चिम बंगाल में बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृहकार्य मंत्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

भूमि छीनने के आन्दोलन में की गई गिरफ्तारियां

856. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नन्द : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री जि० ब० सिंह

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि छीनने के आन्दोलन के सिलसिले में विभिन्न राज्यों में भारतीय साम्यवादी दल के और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी भूमि छीनी गई है और इसे छुड़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन दलों के नेताओं ने जब भूमि छीनने का निर्णय किया था तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है।

मन्त्रियों पर खर्च में कमी करने के लिए कार्यवाही

857. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों के खर्च में कमी करने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी राशि की बचत होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) से (ग). सरकार मंत्रियों के व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति सदैव सचेत रही है। ये अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं कि मंत्रियों पर कम से कम व्यय किया जाना चाहिये। तथापि, और अधिक मितव्ययता करने पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में पर्वतारोहण तथा बाह्य क्रियाकलापों के लिये एक केन्द्र की स्थापना

858. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री चंद्र शेखर सिंह : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतारोहण तथा बाह्य क्रियाकलापों आदि को प्रोत्साहित करने के लिये दिल्ली

में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). दिल्ली से गुजरने वाले पर्वतारोहियों के लिये एक दर्शक-कक्ष एक या दो कमरों के सेटों के साथ दिल्ली में एक केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान विचार कर रहा है।

इस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में, एक राष्ट्रीय खेल केन्द्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

859. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
डा० रानेन सेन : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने विद्यार्थियों के लिये एक आचार संहिता का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में ब्योरे दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3800/70]**

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

860. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री नाथ पाई :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री जनार्दनन : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को हल करने के लिये कोई नया सूत्र बना लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा पाठ्य-पुस्तकों की जांच

861. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री सूरजभान :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 5,000 पुस्तकों की जांच किये जाने से सम्बन्धित षट्-मासिक अविलम्बनीय कार्यक्रम के क्रियान्वय की दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कार्यक्रम को अमल में लाने के संबंध में स्थिति को व्यक्त करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का जोरदार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा । इसका पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने पुस्तकों के समीक्षकों के उपयोग के लिये एक विस्तृत फार्म बनाया है तथा उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । समीक्षक पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित प्रसंगों से संबंधित सभी सामग्री का तदात्मीकरण करेंगे :—

(1) अस्पृश्यता
(2) जातिवाद
(3) साम्प्रदायिकता
(4) धार्मिक असहिष्णुता
(5) भाषावाद
(6) प्रांतीयता

राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि पाठ्यपुस्तकों के समीक्षकों के चयन के

लिये किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करें, जिसमें शिक्षा निदेशक, परियोजना अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो दूसरे व्यक्ति भी हों, जो समीक्षाएं प्राप्त होंगी उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन विशिष्ट शिक्षाविदों की एक मूल्यांकन समिति के सामने रखा जायेगा । समीक्षकों का काम अक्तूबर, 1970 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । समीक्षाओं का मूल्यांकन चालू शैक्षिक वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । राज्य सरकारों ने इस योजना पर बहुत ध्यान दिया है तथा अब तक जो प्रगति हुई हैं वह संतोषजनक समझी जाती है ।

शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा चयन किए गए प्रोफेसरों और रीडरों के चयन करने की प्रक्रिया के बारे में शिकायत

862. **श्री झारखण्डे राय** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री रामावतार शास्त्री** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के कई कर्मचारियों ने उस प्रक्रिया के बारे में शिकायत की है जो परिषद द्वारा प्रोफेसरों और रीडरों के पद पर चयन करने के लिये अपनाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों से प्रोफेसरों और रीडरों के प्रवरण के लिये अपनाई गई कार्यविधि के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री को कुछ संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें कार्यविधि के संबंध में पूछताछ की गई थी और संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवरण का सुझाव दिया गया था । वर्तमान कार्यविधि जिस पर अमल किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के नमूने पर आधारित है प्रख्यात शिक्षाविद और विशेषज्ञ प्रवरण से सम्बद्ध रहते हैं । रा० शि० अ० प्र० प० का निदेशक जिसे विश्वविद्यालय के कुलपति की हैसियत दी गई है प्रवरण समिति का अध्यक्ष है। कार्यविधि में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ।

दिल्ली के विभिन्न कालेजों में प्रवेश

863. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न कालेजों में कुल कितने छात्रों को दाखिला मिला है ;

(ख) कितने छात्रों को दाखिल नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में, कला वाणिज्य और विज्ञान के पूर्व-स्नातक पायठ्क्रमों में अब तक 19,483 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है। क्योंकि दाखिले की अन्तिम तारीख बढ़ा कर 31 जुलाई, 1970 कर दी गई है, इसलिये दाखिले अभी तक चालू हैं।

अर्हक परीक्षाओं में 40 प्रतिशत और उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले, ऐसे सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने विश्व विद्यालय में दाखिले के लिये आवेदन किया था, उपर्युक्त पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में से किसी न किसी दाखिले के लिये छूट दी गई है।

दिल्ली नगर निगम की परियोजना के लिये सप्लाई किये गये सीमेंट की कथित बिक्री

864. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री निहाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पुलिस ने सीमेंट की 376 बोरियां पकड़ी थीं जो दिल्ली नगर निगम की परियोजना के लिये सप्लाई की गई थी परन्तु कहा जाता है कि उन्हें जामा मस्जिद क्षेत्र में एक दुकानदार को बेच दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इमारती सामग्री की दुकान का मालिक और चार नगर पालिका के ठेकेदार अब गिरफ्तार कर किये गये हैं।

भारत की जनसंख्या में वृद्धि

865. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से 1970 तक प्रति वर्ष भारत में राज्यवार, कितनी जनसंख्या होने का अनुमान है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष किस दर से वृद्धि होती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3801/70]**

केरल विधान सभा का विघटन

866. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विधान सभा का विघटन राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री की सलाह पर कर दिया गया था ;

(ख) क्या ऐसा करने के मुख्य मंत्री के संवैधानिक अधिकार पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या विधान सभा के निर्वाचन का निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्वाचन के लिये क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 163 सम्बद्ध है । प्रशासन सुधार आयोग के केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक प्रतिवेदन में निहित इस विषय पर सिफारिश विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग ने अगस्त, 1970 के 17वें दिवस की, उस तारीख के रूप में, सिफारिश की है जिस तारीख को केरल में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के अनुसार सदस्य चुनने के लिये कहा जायेगा । तत्पश्चात् 17 सितम्बर, 1970 को मतदान होगा ।

बंगाल बंध

867. **श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 जुलाई, 1970 को राजनीतिक दलों के दो समूहों द्वारा बंगाल बंध का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि उक्त बंध के कारण उत्पादन की दृष्टि से कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

गुजरात राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की संख्या

868. **श्री द० रा० परमार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1969, 31 दिसम्बर, 1969 और 30 जून, 1970 को गुजरात में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के क्रमशः कितने-कितने जवान थे ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वहां के केंद्रीय रिजर्व पुलिस की और अधिक बटालियन भेजी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और कारण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : (क)

31 अक्टूबर, 1969 को..................2410

31 दिसम्बर, 1969 को..................2136

31 जून, 1970 को..................शून्य

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सलाहकार समितियों में विरोधी दल के सदस्यों का सम्मिलित करना

869. **श्री द० रा० परमार** : क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विरोधी दलों के अधिकांश सदस्यों को एक से अधिक सलाहकार समितियों में सम्मिलित कर लिया गया था और लगभग सभी मामलों में उनकी पहली प्राथमिकता को स्वीकार भी कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह कार्यवाही संसद् सदस्यों की सलाहकार समितियों के गठन के लिये किये गये समझौते के अनुसार है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सरकार और विरोधी दलों के नेताओं के बीच हुए सामान्य समझौते के अनुसार, विरोधी दलों के सदस्यों को, विभिन्न दलों के नेताओं/मुख्य सचेतकों की सिफारिशों के अनुरूप, उन दलों के अनुपात के आधार पर सलाहकार समितियों पर मनोनीत किया गया है। इन समितियों पर प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक दल की अपनी निश्चित मात्रा है और उन दलों को निर्धारित की गयी मात्रा के भीतर वे एक से अधिक समिति पर अपने अपने सदस्यों को मनोनीत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आगरे के किले में मुस्लिम विरोधी पर्चों का पाया जाना

870. **श्री झारखण्डे राय** : **श्री जगेश्वर यादव** :
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री इसहाक सम्भली** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे के किले में मुस्लिम विरोधी पर्चों का एक बंडल मिला था ;

(ख) यदि हां, तो पाये गये पर्चों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि वे पर्चे कहां से आये थे ;

(घ) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इन पर्चों को तैयार करने और उन्हें परिचालित करने के लिये जिम्मेदार थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उस कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ मुस्लिम-विरोधी तथा कुछ साम्यवादी-विरोधी लगभग 100 छपे पर्चे आगरा के ताजमहल के मुख्य भवन में बिखेरे हुए पाये गये ।

(ग) से (ङ). मामले में जांच-पड़ताल जारी है ।

महाराष्ट्र में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हुई जन-धन की हानि

871. **श्री झारखंडे राय : श्री इसहाक सम्भली :**
डा० रानेन सेन : श्री भोगेन्द्र झा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी : श्री जि० मो० विस्वास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भिवंडी थाना और जलगांव क्षेत्रों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों में कुल कितने लोगों की जानें गईं या उन्हें चोट आई ;

(ख) उक्त दंगों के कारण कितने लोग बेघर हुए, और इन दंगों में कितने रुपये की सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान है ;

(ग) दंगों से प्रभावित लोगों के पुनर्गठन के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और दंगों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत-कार्यों पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) ऐसे लोगों के पुनर्वास और राहत कार्य के लिए केन्द्र ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मारे गये तथा घायल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	मारे गये	घायल हुए
भिवण्डी	122	515
थाना (भिवण्डी को छोड़कर)	17	97
जलगांव	42	80

(ख) दंगों के परिणामस्वरूप बेघर हुए व्यक्तियों की संख्या राज्य सरकार से मालूम की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सम्पत्ति को 1,63,84,731 रु० की हानि होने का अनुमान लगाया गया ।

(ग) राज्य सरकार ने दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, नकद दान, अनुग्रहात राहत, मकानों के पुनर्निर्माण तथा पावर लूमों को क्षति के लिये सहायता, मकानों के निर्माण के लिये ऋणों, व्यावसायिक पुनर्वास के ऋणों इत्यादि के रूप में राहत तथा पुनर्वास सहायता दी है। अब तक किया गया खर्च मालूम किया जा रहा है ।

(घ) राज्य सरकार से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को लाठी, चाकू तथा अन्य हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण

872. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गत कई वर्षों से देश के विभिन्न भागों में अपने स्वयं सेवकों को लाठी, चाकू तथा अन्य हथियार चलाने का नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहा था ;

(ख) क्या यह पता चला है कि ये स्वयं सेवक उन क्षेत्रों में बहुत सक्रिय थे जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा संदेह विस्तृत रूप से फैला हुआ है । किन्तु यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रतिपादित विचारपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप हैं और हमारे देश की एकता के लिए हानिकर हैं ।

(ग) सरकार साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 के क्षेत्र को पर्याप्तरूप से बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

Speech delivered by the Prime Minister in Chandni Chowk, Delhi

873. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri N. Shivappa :
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri K. Lakkappa :
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Meetha Lal Meena :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Balraj Madhok :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jai Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had made a speech in a public meeting held in Chandni Chowk, Delhi in the latter half of June, 1970 ;

(b) whether it is also a fact that shops of the area were ordered to be closed as a measure of security and the services of military were also obtained ; and

(c) if so, the details of the amount spent on the security arrangements of the Prime Minister and the estimated loss incurred as a result of closing the shops ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No orders were issued for closure of shops. As for obtaining the Army assistance, only the services of Army engineers were requisitioned for drilling holes in the concrete surface roads for putting up fences for enclosures. While no additional expenditure was incurred on the security of the Prime Minister as the security personnel were deployed from within the existing sanctioned strength of Delhi Police, the following expenditure was incurred by the authorities indicated below on security and crowd control arrangements :

(i) CPWD—Rs. 900/- for setting up barricades ;

(ii) Delhi Municipal Corporation—Rs. 380/- for restoring the bored road surface.

No bill has so far been received by the Delhi Administration from the Army Authorities in connection with the drilling of holes in the concrete road surface.

Arrest of Pakistani Nationals in Village Arnia of Jammu

874. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Gonernment's attention has been drawn to a news-item published in the Daily Vir Arjun dated the 22nd May, 1970 to the effect that in the border village Arnia of Jammu, the volunteers of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh cought certain Pakistani nationals who had infiltrated into the Indian territory and handed them over to the local police ; and

(b) if so, the number of Pakistani nationals arrested and the action taken against them by Government after making necessary inquiries ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government have seen the news-item referred to.

(b) Three Pakistan nationals were apprehended by civilians. They were not found to be involved in anti-national activities. However, a case under the Indian Passport Act was registered against them and on 6th June 1970 they were sentenced to 15 days' R. I. by the Magistrate at Ranbirsingh Pura.

माओ समर्थक चित्रों का राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में प्रदर्शन

875. **श्री वंश नारायण सिंह : श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री राम गोपाल शालवाले : श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री : श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन-किन संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में चेयरमैन माओ भित्ति चित्र प्रदर्शित किये गये, नारे लगाये गये और पर्चे बांटे गये ; और

(ख) इसके लिये किये गये कारगर उपायों का ब्यौरा क्या है ; उनसे क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में आगामी योजनाएं क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां माओ समर्थक इश्तिहार केवल यदाकदा लगाए गये हैं, सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं ध्यान में आई हैं। दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भी सूचित किया है कि ऐसी घटानाएं ध्यान में आई हैं।

(ख) राज्य सरकारों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3802/70]** राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सावधानी से नजर रखे हुए हैं और कानून के अनुसार उचित दण्डात्मक तथा निरोधात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है।

Communal Riots in States

876. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Hem Raj :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of communal riots that took place in the country during the last three years, State-wise and the loss of life and property suffered in each of them ;

(b) the manner in which each such riot sparked off ;

(c) the effective steps taken to curb such riots the outcome thereof and the future plans in this regard ; and

(d) the number of those riots among them in respect of which enquiries have been conducted ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Information in respect of the communal disturbances during the years 1967, 1968 and the first ten months of 1969 was furnished in answer to the Lok Sabha unstarred question No. 929 dated November 21, 1969. The number of incidents from November 1, 1969 to June 30, 1970 and the number of persons killed and property lost in those incidents, in respect of Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Mysore, Punjab and Meghalaya is furnished in the statement attached herewith. Information in respect of the remaining States/Union Territories is being collected.

(b) Information regarding the origin of each of the disturbances in the last three years is not available. These disturbances are reported to have occurred in the course of religious processions or disputes over land or disputes between individual or over sprinkling of coloured water in Holi, slaughter of cows, etc.

(c) Action has been taken by the Central and the State Governments in the light of the recommendations of the National Integration Council and the Commission of Inquiry on Communal Disturbances. The problem was discussed by the Prime Minister with Chief Ministers of some States on May 23, 1970 and decisions were taken regarding a number of measures to be taken at the administrative level. Emphasis was laid **inter alia** on punitive impositions in the areas affected by communal rioting, special attention to communally sensitive areas in the country and the treatment of communal violence on a footing different from that of violence arising out of agitations, etc. The State Governments have been advised accordingly.

(d) Inquiries have been held or are being held under the Commissions of Inquiry Act, 1952, in respect of the disturbances of Ranchi-Hatia, Jainpur—Suchetpur (district Gorakhpur), Ahmednagar, Sholapur, Malegaon, Sursand and Srinagar (all in 1967), Indore (June, 1969), Gujarat (September, 1969), Chaibasa (April, 1970) and Maharashtra (May, 1970).

Statement

Statement showing the number of communal incidents that took place from 1st November, 1969 to 30th June, 1970 and loss of life and property

S. No.	Name of State/ Union Territory	Number of communal incidents	Number of persons killed	Total loss of property
1	Andhra Pradesh	3	2	1,20,030
2.	Madhya Pradesh	5	5	10,000*
3.	Mysore	2	1	35,000

No communal incidents took place during this period in Jammu and Kashmir, Punjab and Meghalaya.

Meeting of All Party Convention on Anti-Communalism in Delhi

877. **Shri Sharda Nand : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Bansh Narain Singh : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the All-Party Convention on Anti-Communalism was held in Delhi in the latter half of May, 1970 ; and

(b) if so, the decisions taken thereon ?

The Minister of State (Shrimati Nandini Satpathi) : (a) A meeting of the Organising Committee for a joint mass campaign in favour of communal harmony and amity was held on May 22, 1970 in pursuance of a decision of an all-party conference to launch such a campaign.

(b) The details of the campaign were decided upon in the light of the statement adopted by the all-party conference held on November 3-4, 1969.

Murder of Shri Baldev Singh of Himachal Pradesh

878. **Shri Sharda Nand : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Bansh Narain Singh : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 940 on 27th February, 1970, and state :

(a) whether it is a fact that the post-mortem report regarding the murder of Shri Baldev Singh was sent to the Patiala Laboratory for examination ;

(b) whether it is also a fact that the Patiala Laboratory has made it clear in its report that according to the injuries found on the body of Shri Baldev Singh, he did not die because of electrical shocks ;

(c) whether it has also been made clear in the report that the wounds found on the palm were not due to electric shock but were imprinted with hot rods of iron ;

* in addition, two shops were burnt.

(d) whether it is further a fact that these things have not been mentioned in the reports of the autopsy conducted by local doctors ; and

(e) whether keeping in view these contradictions, Government will ask the Himachal Pradesh Government to conduct an inquiry of the matter afresh ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Himachal Pradesh Government have informed that the post-mortem report of the death of Shri Baldev Singh was not sent to Patiala Laboratory for examination.

(b) to (e). Do not arise.

Arrests of Naxalites in the Hill Forests of Ruam near Jaduguda

879. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Janeshwar Misra :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri Rabi Ray :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. Kundu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Police had arrested about 54 Naxalites, who were receiving training in arms in the hill-forests of Ruam near Jaduguda area, in the month of May, 1970;

(b) whether it is also a fact that there is a British national among the persons arrested ;

(c) whether it is further a fact that some documents had been seized from the persons arrested which threw light on their future plans and training ; and

(d) whether some of the persons arrested have confessed that they were also involved in the dacoity that had taken place in a Bank in Calcutta ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). About 54 extremists, including a British national, were apprehended in Jaduguda forest area of district Singhbhum, Bihar, in May, 1970. Some arms and ammunition as well as some propaganda literature were recovered from them. Some of the arrested persons are suspected to be involved in bank robbery cases in Calcutta. Investigations are in progress.

Visit by Former Home Minister of States where Communal Riots took place

880. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sometime back, the then Home Minister visited the States where communal riots had taken place ;

(b) if so, the names of those States and the number of Central Gavernment officials who had accompanied him ;

(c) the nature of advice given to the State as well as the Central Government Officials posted in the States to curb these riots ; and.

(d) the future effect of their visits and the total expenditure incurred by the Central Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The then Home Minister Shri Y. B. Chavan visited Maharashtra from May 8 to 11, 1970 and Madhya Pradesh from June 22 to 24, 1970.

(b) On his visit to Maharashtra he was accompanied by two members of his personal staff and to Madhya Pradesh by two members of his personal staff and five other officers.

(c) In May, the Home Minister visited Bhiwandi and Jalgaon to obtain first-hand knowledge about what had happened and to impress upon the authorities concerned the urgent need to restore normalcy in the disturbed areas. The visit to Madhya Pradesh was with a view to reviewing in detail the communal situation in Madhya Pradesh and the measures taken to deal with that.

(d) The party had travelled by IAF plan. The total expenditure on TA/DA for the officers of the Ministry of Home Affairs was Rs. 251.25 P.

केन्द्रीय पुलिस सलाहकार बोर्ड के गठन के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

881. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय पुलिस सलाहकार बोर्ड बनाने का सुझाव दिया है जिसमें पुलिस के उच्चस्तरीय तथा अनुभवी अधिकारी हो और एक चेयरमैन हो जिसे "चीफ आफ पुलिस स्टाफ" कहा जाए ;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केन्द्रीय पुलिस सलाहकार बोर्ड के गठन के बारे में कोई सुझाव अथवा सिफारिश नहीं की गई है । किन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा स्थापित पुलिस प्रशासन संम्बधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्यों में कानून व व्यवस्था के मामलों में केन्द्रीय सरकार कब, कहां और कैसे हस्तक्षेप कर सकती है । इस बात की जांच करने और सलाह देने के लिए इस तंत्र को राष्ट्रपति के अधिकार में रखने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए । कार्यकारी दल ने यह भी सुझाव दिया कि बोर्ड के कार्य केवल सलाह इत्यादि देने वाले होने चाहिए । प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी । कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही के प्रश्न की प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में माओ सम्बन्धी साहित्य का पकड़ा जाना

882. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री न० रा० देवघरे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1970 को पुलिस ने राजधानी के कई क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में माओ सम्बन्धी साहित्य पकड़ा था, जो ऐसा बताया जाता है, छात्रों तथा मजदूरों में बांटे जाने के लिये था ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे नक्सलवादी थे पुलिस द्वारा उनके अड्डों पर छापा मारे जाने से पहले ही बच कर भाग गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसको पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में यदि कोई जांच की गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस ने 3 जुलाई, 1970 को कुछ मकानों की तलाशी ली और कुछ उग्रवादी साहित्य बरामद किया ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल जारी है ।

विद्यार्थियों में असन्तोष के बारे में समिति

883. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यार्थियों में फैले असन्तोष के कारणों का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है और वह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग). हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने छात्र असंतोष पर एक समिति संगठित की है जो छात्र असंतोष की समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेगी और केन्द्रीय और राज्य सरकारों को, विश्व-विद्यालयों और अन्य सम्बंधितों को उययुक्त सिफारिशें करेगी । समिति की पहली बैठक अगस्त 1970 में बुलायी जायेगी ।

रक्षित स्थान/जंगली जीव परिरक्षण पार्क

884. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने रक्षित स्थान अथवा जंगली जीव परिरक्षण पार्क हैं ;

(ख) उनमें से कौन-कौन से स्थान विदेशी पर्यटकों के लिये अधिक आकर्षण रखते हैं ;

(ग) उनके रख-रखाव पर कुल कितना व्यय होता है और गत तीन वर्षों में ऐसी कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई जो इन पार्कों के कारण हुई ; और

(घ) इन रक्षित स्थानों को लोकप्रिय और अधिक आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3803/70]**

(ख) प्रत्येक का अपना-अपना विशेष आकर्षण है।

(ग) इनके संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। पृथक् पृथक् क्षेत्रों के लिये विदेशी मुद्रा के उपार्जन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) पर्यटन विभाग ने सम्बंधित राज्य सरकारों के सहयोग से कुछ महत्वपूर्ण शरण-स्थानों में वन्य जीवन पर्यटन का विकास करने के लिये कदम उठाये हैं। पहले चरण में निम्न-लिखित पहलुओं पर केन्द्रित करने का प्रस्ताव है :—

1. पर्यटक आवास का निर्माण।
2. पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था।
3. उचित खान-पान का प्रबंध।
4. प्रवेश एवं फोटाग्राफी प्रभारों में समानता।
5. प्रशिक्षित गाइड।
6. समुचित प्रचार-कार्य।

पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा नक्सलवादियों की गतिविधियों के लिए सहायता देना

885. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सहायता से नक्सलवादी आन्दोलन में सक्रियता लाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या जानकारी है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख). सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विश्वविद्यालयों के प्रांगण में नक्सलवादी गतिविधियां

886. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों के अहातों के भीतर बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों और विद्यार्थियों में फैले असंतोष के बारे में किसी स्तर पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उग्रवादियों की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में बहुत प्रबल हैं, जहां नक्सलपंथी शिक्षा संस्थाओं पर आक्रमण करते रहे हैं, जिससे सम्पत्ति तथा भारतीय राष्ट्रीयता के चिह्नों को क्षति पहुंची है और पुस्तकों तथा पुस्तकालयों को जलाया गया है, तथापि समूचे राष्ट्र को देखते हुए यह पता चलता है कि उग्रवादी विचारधारा ने केवल छात्रों के एक छोटे से कार्य ही को प्रभावित किया है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर छात्रों में उग्रवादियों का प्रभाव बहुत सीमित है।

उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी सतर्कता रखी जा रही है। राज्य सरकारें समस्या की गंभीरता के प्रति जागरूक हैं तथा इन गतिविधियों की रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय करती रही है।

शिक्षा आयोग (1964-66), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपतियों के सम्मेलन (1966-67 तथा 1969) तथा छात्र प्रतिनिधियों के सम्मेलन (1969) में छात्र असंतोष के प्रश्न की सभी पहलुओं से जांच की गयी थी। उनकी सिफारिशें विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को विचारर्थ तथा अमल में लाने के लिये भेज दी गई हैं।

छात्र असंतोष में सहायक कारणों में से कुछेक को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनमें समान हितों की समस्याओं पर विचार करने के लिये अध्यापकों तथा छात्रों की संयुक्त समितियों की स्थापना, विश्वविद्यालयों के जीवन में छात्रों के अधिक सक्रिय योग, राष्ट्रीय सेवा और खेलों के कार्यक्रमों का आयोजन तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में छात्रों की सुख सुविधाओं में सुधार का उल्लेख किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी छात्रों के अनुशासन में सुधार के उपाय और साधन खोजने के लिये छात्र समस्याओं पर एक शोध कार्यक्रम शुरू किया है।

हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने छात्र असंतोष पर एक समिति स्थापित की है, जो समस्या की गहराई से अध्ययन करेगी तथा उसके निराकरण के उपाय बतायेगी।

पालम हवाई अड्डे पर जम्बो जेट विमान उतारने के लिये प्रबंध

887. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री मनुभाई पटेल :**
श्री जो० ना० हजारिका : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर आगामी अक्तूबर में पहले जम्बो जेट विमान के उतरने के लिये प्रबन्ध पूरे कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली में जम्बोजेट विमानों के लिये आवश्यक धावनपथ, टैक्सीपथ और एप्रन सुविधाएं उस समय तक उपलब्ध हो जाएंगी जब वहां प्रथम जम्बो जेट उतरेगा । टर्मिनल भवन में और अधिक परिवर्धन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है ।

हरियाना के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप

888. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप के बारे में 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9916 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध हरियाणा विधान सभा के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसकी कब तक जांच कर ली जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य-मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). ज्ञापन और उसमें उल्लिखित आरोपों पर मुख्य मंत्री के विचारों की जांच की जा रही है । मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है जिसमें समय लगेगा ।

गांधी जी की हत्या पर कपूर आयोग का प्रतिवेदन

889. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री गांधी जी की हत्या सम्बन्धी कपूर आयोग की रिपोर्ट के बारे में 3 अप्रैल, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या के बारे में कपूर आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उक्त आयोग की रिपोर्ट 28 जुलाई, 1970 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई है । उस रिपोर्ट की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार को उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही पर विचार करने के लिये भेज दी गई है, जो मालूम हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या करने के षड़यंत्र के बारे में पूर्व जानकारी रखते थे । राज्य सरकार से इस बात पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया है कि क्या उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना अपेक्षित है, जिनके आचरण की आयोग द्वारा आलोचना की गई है ।

English as Medium of Instruction for Post-Graduates

890. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of the Universities in which medium of instruction in M. A. is English only and thesis for taking Doctor's degree is also to be submitted in English ; and

(b) the reasons for not accepting the thesis in Hindi ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Securing Sanskrit Volumes, Painting etc. from India Office Library,London

891. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Yashwant Singh Kushwah : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the steps taken so far for obtaining Sanskrit books, paintings and other articles of archaeological importance from the India Office Library, London ; and

(b) the results thereof and future programme in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). Efforts have been continuously made by the Government of India with the Government of U. K. for acquiring the contents of the India Office Library, Lodon. A draft agreement for arbitration is under discussion with that Government.

Ban on R. S. S. and other Communal Organisations

892. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to ban the Rashtriya Swayam Sewak Sangh ;

(b) whether it is also a fact that Government regard the R. S. S. a communal organisation ;

(c) if so, whether Government also propose to ban Jamait-e-Islami, Majlis-e-Mushavarat and the Muslim League, which are purely Muslim organisations ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government are examining the question of enacting suitable legislation to deal with the activities of associations which, on grounds of religion, place of birth etc. promote or tend to promote feelings of enmity or hatred, disharmony or illwill between different sections of the community.

(b) to (d). When such a law is enacted, there cannot be any discrimination between organisations coming within the mischief of law.

Straying into Indian Territory by Pakistani Boatmen

893. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nine Pakistani boatmen, along with one boat, who had strayed into the Indian territory, were arrested near Porbander in the first week of July ;

(b) if so, the motive behind their straying into the Indian territory ; and

(c) the action taken by the Government against them in this connection ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes. In addition to the nine Pakistanis, one person whose nationality has not yet been established was also arrested along with them on 5. 7. 70.

(b) Porbander police have registered an offence against these 10 persons on 7. 7. 70. Under Rules 3 to 6 of the Indian Passport Rules and Section 14 of the Foreigners Act. The investigations are in progress.

(c) Further action will depend on the result of the investigations.

Charges of corruption against J. and K. Government

894. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the Daily Pratap dated the 8th July, 1970 in which serious allegations of corruption have been levelled against the Jammu and Kashmir Government in Kashmir ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government has seen a news-item in the daily Pratap of New Delhi dated 8th July, 1970, which inter alia refers to the alleged misutilisation of Central financial aid by the Government of Jammu and Kashmir. These allegations are in general terms and no specific instances have been cited. Verification of such vague allegations is not feasible.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

895. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कई औद्योगिक कारखानों ने उनके वर्तमान

निगरानी कर्मचारियों के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाने के लिये उसकी मांग भेजी है ;

(ख) किन-किन उपक्रमों ने किन-किन तिथियों को मांग भेजी और इसके लिये क्या कारण बताये गये ;

(ग) प्रत्येक उपक्रम के लिये औद्योगिक सुरक्षा बल के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है ;

(घ) क्या सरकार ने सभी उपक्रमों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भेजा है जिन्होंने इसकी मांग की है और यदि हां, तो सभी उपक्रमों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के भेजने का कार्य कब तक पूरा हो गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्राप्त हुई मांगों को पूरा न करने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). उपक्रमों द्वारा ये मांगें संयंत्रों को अच्छा संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करने की अपनी इच्छा के कारण भेजी गई हैं । उपक्रमों के नाम, उनकी मांगों की तिथियां तथा प्रत्येक उपक्रम में आवश्यक औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या अनुलग्नक में दी जाती है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3804/70]**

(घ) जी नही, श्रीमान् । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल छः सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में आरम्भ किया गया है, तीन में पूर्णतया और तीन में आंशिक रूप में । भारतीय उर्वरक निगम, ट्रांबे, भारतीय तेल निगम, हल्दिया तथा उर्वरक व रसायन ट्रावन्कोर कोचीन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने का कार्य क्रमशः 1-11-69, 27-1-70 और 15-4-70 को पूरा हो गया था ।

(ङ) विभिन्न प्रारम्भिक कदम, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आरम्भ होने से पूर्व आवश्यक होते हैं, उठाये जा रहे हैं और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शेष उपक्रमों में यथाशीघ्र शुरू किया जायेगा ।

दिल्ली के नेशनल स्टेडियम की अवमानक दशा

896. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सही है कि दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में सामान का अभाव है, इसका रास्ता खराब है तथा राष्ट्र मंडलीय खेलखूल के लिये चुनी गई टीम अवमानक दशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, और कि वहां पर समुचित पानी की व्यवस्था भी अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहाड़गंज स्थित रेलवे स्टेडियम, जो महत्वपूर्ण खेलकूद टूर्नामेंट के लिये पहले उपलब्ध हो जाया करता था, इस बार उपलब्ध नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) नेशनल स्टेडियम की दशा कब तक अपेक्षित स्तर की हो जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). प्रशिक्षण और अनुशिक्षण के प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय स्टेडियम पर्याप्तरूप से सज्जित है। तथापि, स्टेडियम के नवीकरण का कार्य पूरा होते ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिये अतिरिक्त साज-सामान खरीदने का प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय आदेशों के अनुसार आठ पथ उपलब्ध कराने के लिये ट्रैक को हाल ही में दोबारा बनाया गया है। तथापि कुछ कार्य अब भी जारी है। राष्ट्र-मंडल खेलों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में की गई थी, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। जहां तक पानी की पूर्ति का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय स्टेडियम के निचली मंजिल (ग्राउन्ड फ्लोर) पर कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु, पहली मंजिल पर थोड़ी सी कठिनाई है जिसे दूर करने के लिये, एक वर्धक (बूस्टर) पम्प लगाया जा रहा है जिसके शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं। यह उपलब्ध था और पहलवानों (एथलिटों) ने वहां अभ्यास किया था।

(ख) राष्ट्रीय स्टेडियम के नवीकरण का कार्य सितम्बर, 1970 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर कार खड़ी करने के लिये शुल्क लेना

897. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों में दाखिल होने का शुल्क असैनिक उड्डयन विभाग लेता है और दिल्ली हवाई अड्डे पर कार खड़ी करने का शुल्क भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त निगम को इससे कितना राजस्व राजस्व प्राप्त होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि नागर विमानन विभाग के पास बढ़ती हुई कारों आदि के विनियमन के लिये उपयुक्त व्यवस्था नहीं है अतः कार पार्क का प्रबन्ध भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिये टैक्सियों के संचालन पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

(ग) दिल्ली विमान क्षेत्र पर पार्किंग-शुल्क 18-9-1969 से लागू किया गया। 27-3-1970 तक, जब निगम के खाते को पूरा किया गया, पार्किंग-शुल्क के रूप में कुल 1,11,000 रुपये का संग्रह किया गया।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विभिन्न होटलों को दी गई राशि

898. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने विमान चालक वर्ग के रात ठहरने के लिये कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास में विभिन्न होटलों को प्रतिवर्ष कितनी राशि अदा करता है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक बड़े नगर में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने कमरे बुक किये जाते हैं ;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने इसका अध्ययन किया है कि क्या इन नगरों में ठहरने के लिये अपनी व्यवस्था करना लाभकर होगा अथवा नहीं ; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अपने कार्मिकों के विभिन्न होटलों में रात ठहरने के लिये उन होटलों को दी गयी राशि नीचे दी गयी है :

कलकत्ता	2,30,675/- रुपये
दिल्ली	6,03,500/- रुपये
बम्बई	8,53,850/- रुपये
मद्रास	54,007/-रुपये (अक्तूबर, 1969 से मार्च, 1970 तक के 6 महीनों के लिये अक्तूबर, 1969 से पहले कोई व्यवस्था नहीं थी)

(ख)	कलकत्ता	8 कमरे प्रतिदिन
	दिल्ली	30 सिंगल कमरे प्रतिदिन
	बम्बई	24 सिंगल तथा 3 डबल कमरे प्रतिदिन
	मद्रास	6 सिंगल तथा एक डबल कमरा प्रतिदिन

(ग) और (घ). कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, इण्डियन एयर लाइन्स को पांच-स्टार वाले होटलों में होटल-आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि कारपोरेशन को इसके समान स्तर के अपने बोर्डिंग हाउस स्थापित करने पड़ते, तो पूंजीगत तथा परिचालन व्यय दुःसाध्य हो जाते।

छात्र असंतोष के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों की टिप्पणियां

899. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छात्र असंतोष के बारे में उन्होंने टिप्पणियां तैयार की हैं तथा उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य निकायों में परिचालित किया है ;

(ख) इन दलों और निकायों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) तब से इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी हां ।

कदाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और परीक्षकों पर आक्रमण करने के बारे में विशेष संदर्भ के साथ, छात्र असंतोष तथा परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्या पर एक टिप्पणी तैयार की गई थी और संसद में राजनीतिक नेताओं में उसे परिचालित किया गया था, जिस पर 19 और 21 मई, 1970 को सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था । विचार-विमर्श में भाग लेने वाले नेताओं ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये थे जिनकी जांच की जा रही है । स्पष्ट है कि इस प्रकार की जटिल और दुर्दान्त समस्या के रहते हुए अल्प समय में विशिष्ट प्रगति की आशा नहीं की जा सकती ।

एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा

900. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1970 को उड़ान भरने के निर्धारित समय में, बम्बई में यकायक परिवर्तन कर दिये जाने के कारण, एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को होने वाली तथाकथित असुविधा की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को होने वाली यह आम किस्म की असुविधा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 10 जून, 1970 को उड़ान संख्या ए० आई०-205 को छोड़कर सभी उड़ाने समय पर परिचालित हुईं । धावन पथ की मरम्मत के लिये नैरोबी हवाई अड्डे के बन्द होने के कारण इस उड़ानें को बम्बई से समय से 5 घंटे 45 मिनट पहले परिचालित करने के उद्देश्य से इसके समय में परिवर्तन करना पड़ा

परन्तु इसके समय परिवर्तन को 22 मई, 1970 को ही अंतिमरूप दे दिया गया था। अतः यह मामला उड़ान के समय की अनुसूची में अंतिम-क्षण परिवर्तन का नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां

901. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निवारक निरोध अधिनियम के बिना सरकार समाज विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों से निपटने में अपनी असमर्थता अनुभव करती है ; और

(ख) क्या सरकार किसी उपयुक्त वैकल्पिक विधान द्वारा शक्ति प्राप्त करने के मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) निवारक निरोध अधिनियम 1950 के समाप्त होने के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने निवारक निरोध की शक्तियां प्राप्त करते हुए विधान अधिनियमित किये हैं। शेष राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उग्रवादियों की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिये विद्यमान कानूनी उपबन्धों, निरोधात्मक तथा दण्डात्मक का सहारा ले रहे हैं।

(ख) उग्रवादियों की गतिविधियों का सामना करने के लिये विधायी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पालम हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी

902. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों तथा पर्यटकों के लिये वातानुकूलित विश्राम तथा पर्यटकों के लिये वातानुकूलित विश्रामों कक्षों, साफ-सुथरे गुसलखानों, उचित निरीक्षण प्रणाली (सीमा शुल्क), और अच्छी तथा पर्याप्त श्रमिक व्यवस्था की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जबकि जम्बो जेट विमान आदि के उतरने के लिये तैयारियां की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले भी असैनिक उड्डयन के महानिदेशक का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार देश में ऐसे हवाई अड्डों पर इन प्राथमिक तथा आधारभूत आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा करने की जरूरत महसूस करती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय दिल्ली विमान क्षेत्र के अन्तर्देशीय कक्ष और अन्तर्राष्ट्रीय आगमन एवं प्रस्थान क्षेत्र वातानुकूलित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जन-कक्ष (कान्कोर्स) में 'डेजर्ट कूलर' और पंखे आठों पहर चलते रहते हैं। आशा कि सम्पूर्ण टर्मिनल भवन को जून, 1971 तक वातानुकूलित कर दिया जायेगा।

स्नानगृहों/शौचालयों को साफ-सुथरा रखने के लिये नागर विमानन विभाग हर संभव प्रयत्न कर रहा है।

सीमा शुल्क निरीक्षण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीयरूप से मान्य प्रथा एवं क्रियाविधि के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting on fire a Harijan Colony near Village Masanigaon by Caste Hindus

903. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the statement given by the Revenue Minister of Orissa on the 27th May, 1970 at Bhubaneshwar that the Caste Hindus of village Masanigaon, District Dhenkanal had set on fire the Harijan colony and ousted all the Harijans therefrom ; and

(b) if so, the steps taken by Government so far to punish the culprits and rehabilitate the Harijans ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). According to information received from the Government of Orissa, it is alleged that on 20th May 1970, one person, stated to be a member of the armed forces and belonging to village Khadga Prasad in Dhenkanal District, was robbed of a sum of Rs. 85 by four Harijans of Masania, which is a hamlet of Khadga Prasad. The victim raised an alarm and along with some villagers followed the miscreants to the Masania hamlet. A scuffle ensued in which some of the villagers of Khadga Prasad were injured. On coming to know of the alleged robbery and assault, a number of villagers of Khadga Prasad rushed to the Masania Basti and set fire to 12 houses including those of the four miscreants. Two cases have been registered by the police. 8 persons of village Khadga Prasad had been arrested in one case in connection with offences relating to the setting fire of houses in Masania. In the second case, the four miscreants of Masania have also been arrested for alleged robbery. A police patrol party had been posted in the village as a preventive measure and to restore confidence among the Harijans. Ex-gratia relief has been provided to the families affected by arson. Investigation of the cases is in progress.

Murders and Dacoities in West Bengal since the Imposition of President's Rules

904. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Home Affairs** pleased to state :

(a) the number of murders and dacoities committed in West Bengal since the imposition of the President's rule there as also the names of places where the murders and dacoities have been committed ;

(b) the number of murders and dacoities out of them which committed or suspected to be committed by the Naxalites ; and

(c) the number of Naxalites arrested in connection with the above happenings ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

Advice to Governor on Promulgation of Ordinance in Punjab

905. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Nath Pai :
Shri J. Ahmed :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Governor of Punjab has sought the advice of the Central Government regarding his power to withhold signature on the special Ordinanee submitted by the State Government ;

(b) if so, the advice given to him by Government ;

(c) whether Government propose to give directions to the Governors of all the States in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Governor of Punjab had mainly sought advice on the point whether the Governor can refuse to accept the advice of the Council of Ministers to promulgate an Ordinance on the ground that such a proposal would have a deleterious effect on the administration of the State.

(b) The Governor was informed, on the basis of legal advice received by the Central Government that while it is the duty of the Governor to advise and caution against action which is improper or otherwise harmful to the public interest, the Governor is, under the Constitution, bound to promulgate an Ordinance if so advised by the Council of Ministers unless he has to seek instructions from the President in accordance with the provisions of clause (a), (b) and (c) of the proviso to article 213 (1) of the Constitution.

(c) and (d). It is not considered necessary or appropriate to give any directions in this regard.

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता

906. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की वर्तमान प्रतिशतता क्या है;

(ख) उक्त सेवाओं के लिये आरक्षण की कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है; और

(ग) आरक्षण पदों पर पूरी भर्ती करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क)	**अनुसूचित जातियां**	**अनुसूचित आदिम जातियां**
भारतीय प्रशासनिक सेवा	6.8 प्रतिशत	2.9 प्रतिशत
भारतीय विदेश सेवा	6.8 प्रतिशत	3.8 प्रतिशत

(ख) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा में भरे जाने वाली रिक्तियों का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किया जाता है। यह आरक्षण बढ़ा कर 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत किया जा रहा है। फिर भी किन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं और भारतीय विदेश सेवा के प्रोन्नति कोटे में कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) भाग (क) में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता पदासीन अधिकारियों की कुल संख्या के संदर्भ में आंकी गई है, जिसमें सीधे भरती किये व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रोन्नत, सूचीबद्ध, युद्ध सेवा इत्यादि के अधिकारी भी शामिल हैं। अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के लिए आरक्षण केवल प्रतियोगी परीक्षाओं से भरी जाने वाली रिक्तियों पर लागू होता है और 1950 से लागू किया गया था। 1950 और 1961 के बीच अनुसूचित जातिओं / आदिम जातियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं थी। नियमों में इस स्थिति को ध्यान में रखकर कि विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा में बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को अतिरिक्त रिक्तियों के रूप में अगली परीक्षा में ले जाया जाय, इस कमी को पूरा नहीं किया जा सका। किन्तु 1962 से आरक्षित रिक्तियों को पूर्णतः भरा जा रहा है। सीधी भरती के कोटे और इसके उपयोग के बीच आरक्षण में थोड़े से अन्तर को धीरे-धीरे पूरा किया जायगा जैसे ही नियमितरूप से भरती किये गये अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी यथासमय सेवानिवृत होते जायेंगे।

संघ राज्य क्षेत्रों में घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये उपाय

907. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घातक सड़क दुर्घटनाओं और गम्भीररूप से घायल करने वाली दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये संघ राज्य क्षेत्रों में सभी मोटर गाड़ियों पर लागू होने वाले नये उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लागू होने के बाद दुर्घटनाओं में कहां तक कमी हुई है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) घातक दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली संघ क्षेत्र में कोई नये उयाय नहीं किये गये हैं परन्तु वे पहले से ही किये गये उपायों के और दृढ़ता से लागू करने पर बल दे रहे हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भिवण्डी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच

908. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री शशि भूषण : **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवण्डी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। जांच अभी जारी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को राज्य सरकारों द्वारा वापस लिया जाना

909. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध सभी मामलों को वापस लेने के लिये राज्य सरकारों से कहने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र की सलाह को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के विरुद्ध सभी मामलों को वापिस लेने के लिये, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, कहने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को बहाल करना

910. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पुलिस कर्मचारियों को बहाल करने का अन्तिमरूप से निर्णय कर लिया है जिनके विरुद्ध प्रदर्शन आदि करने के आरोप थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो बार-बार आश्वासन दिये जाने पर भी विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उक्त मामले के विभिन्न पहलू अभी तक विचाराधीन हैं।

सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों के साथ सम्बन्ध

911. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक समाचार के अनुसार भारत के महान्यायवादी ने केन्द्रीय सरकार को यह कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों का सदस्य बनने पर रोक लगाने वाले असैनिक सेवा नियमों को न्यायालय वैध नहीं ठहरा सकेंगे ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि धारा 19 (ग) के अन्तर्गत समस्त नागरिकों को संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार है और इसलिये सरकार द्वारा लगाये प्रतिबन्धों को उचित नहीं माना जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या साम्प्रदायिक दल इन राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता है, सदस्य नहीं होगा, अथवा किसी अन्य प्रकार से सम्बद्ध नहीं होगा और न किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में भाग लेगा, सहायतार्थ चन्दा देगा अथवा किसी अन्य प्रकार से सहायता देगा, की वैधता को चुनौती देने वाली एक लेख्य याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और केन्द्रीय सरकार के महान्यायवादी उपस्थित हो रहे हैं। अतः उक्त प्रश्न की विषय-वस्तु न्यायाधीन है।

डा० खुराना की भारत यात्रा

912. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवक तथा विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से सरकार ने डा० हरगोविन्द खुराना को जिन्होंने हाल ही में जीन का संश्लेषण किया है, भारत आने का निमंत्रण दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो वह भारत कब तक आएंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। सरकार ने डा० खुराना को आमंत्रित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक फोटोग्राफर की तथाकथित पिटाई

913. **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री जनार्दनन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नेशनल हेराल्ड" के मुख्य फोटोग्राफर को जिसने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हाल ही में हुये प्रशिक्षण शिविर के चित्र लेने का प्रयत्न किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने शिविर में घसीटा और पीटा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अपराधियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 मई, 1970 के नेशनल हेराल्ड के मुख्य फोटोग्राफर श्री किशोर चन्द ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह शक्ति नगर के एक स्कूल में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर के चित्र ले रहा था तो उसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका केमरा छीन लिया गया था। पुलिस अधीक्षक तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने, जो वहां संयोगवश पहुंचे थे, उसे बचाया। पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/342/325 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। दो अभियुक्त व्यक्तियों ने 10 जून को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। मामले की जांच-पड़ताल जारी है।

भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान, खड़गपुर के वैमानिक इंजीनियरी विभाग को बन्द करना

914. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **डा० रानेन सेन :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय टेकनोलोजी संस्थान, खड़गपुर के वैमानिक इन्जीनियरी विभाग को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खड़गपुर संस्थान के सीनेट ने वैमानिक-विभाग को बन्द करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है ;

(घ) क्या यह सच है कि संस्थान के प्राधिकारियों ने इस विभाग को बन्द करने के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है और साथ ही इस विभाग में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को यांत्रिक इंजीनियरी कोर्स के लिये विकल्प देने को कह रहे हैं ; और

(ङ) क्या विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और सीनेट द्वारा किए गए विरोध को ध्यान में रखते हुये सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है कि जब तक वैमानिक विकास से सम्बन्धित सुब्रामन्यम समिति की सिफारिशों की विस्तारपूर्वक जांच न हो जाय, खड़गपुर संस्थान सहित सभी केन्द्रों में वैमानिक इन्जीनियरी का पाठ्यक्रम यथापूर्व स्थिति ही में रहने दिया जाय ।

(ग) जी, हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार खड़गपुर संस्थान की सेनेट, संस्थान में वैमानिक इन्जीनियरी को बन्द करने के पक्ष में नहीं है ।

(घ) और (ङ). खड़गपुर संस्थान ने दस विद्यार्थियों से, जिन्होंने चालू वर्ष में दाखिला लिया था, पूछा था कि पाठ्यक्रम जारी न रहने की स्थिति में क्या वे यांत्रिक इंजीनियरी अथवा किसी अन्य शाखा में जाना चाहेंगे । चूंकि याथापूर्व स्थिति बनी हुई है, विद्यार्थियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हो रही है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन

915. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को अच्छी सेवा और सुविधाएं देने के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ होटलों ने भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

(ख) यदि हां, तो योग्यता क्रम से उन दस होटलों के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले गत वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा का अभूतपूर्व अर्जन किया है ; और

(ग) क्या सरकार उन होटलों को अधिक सुधरी मशीनरी तथा उपकरणों का आयात करने की अनुमति दिये जाने जिससे वे और अधिक आधुनिक बना सकें अथवा उन होटलों के मालिकों को देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के और होटल स्थापित करने के योग्य बनने के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा के उपार्जन के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अनुमोदित होटलों की आवश्यक आयात संबंधी आवश्यकताओं की यथा-सम्भव पूर्ति की जा रही है । और अधिक होटलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिसमें टैक्स एवं माली राहत, होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता तथा होटल निर्माण के लिये रियायती दरों पर सरकारी भूमि की बिक्री सम्मिलित हैं।

भारत-रूस नौवहन करार

916. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1970 में हुये भारत रूस नौवहन करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपयुक्त करार किस अवधि तक प्रभावी होगा ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 6 अप्रैल 1956 को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार और भारत सरकार के बीच दोनों देशों के बीच नियमित पोतपरिवहन सेवाओं को स्थापित करने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुये । तब से समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की गई और 1958 और 1968 के बीच दोनों राज्य सरकारों द्वारा कितने ही संलेखों पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इस करार की कार्यविधि की हाल ही में समीक्षा की गई और एक ही लेख में सारे निर्णय लिखकर एकीकृत संलेख पर 26 मई, 1970 को दो पार्टियों के बीच हस्ताक्षर किये गये । एक एकीकृत संलेख 6 अप्रेल, 1956 के मुख्य करार के अनुबन्ध के रूप में माना जायेगा ।

2. एकीकृत संलेख की कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) काले सागर में रूस के पत्तनों और भारत के पत्तनों के बीच लाइनर के आधार पर भारतीय सोवियत संयुक्त पोतपरिवहन सेवा परिचालित की जायेगी ।

(2) प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के राष्ट्रीय बेड़े से उत्तरोक्त के निश्चित व्यापार मार्गों में प्रतियोगिता करने से वंचित रहेगा और ऐसी गतिविधियों से भी दूर रहेगा जिनसे प्रत्येक व्यापारी बेड़े के उपयोग और उत्थान को हानि पहुंचे ।

(3) इस सेवा के चालन से सम्बद्ध सभी क्रियाकलापों में पूर्ण समानता बर्ती जायगी । विशेषकर समानता का सिद्धांत दोनों दिशाओं में माल उठाने तथा कमाई में लागू होगा ।

(4) भारत सरकार द्वारा भारतीय बन्दरगाहों पर रूसी जहाजों के भाड़े से होने वाली आय पर कोई आय कर नहीं लगाया जायेगा तथा रूस सरकार द्वारा रूसी बन्दरगाहों पर भारतीय जहाजों के भाड़े से होने वाली आय पर कोई आयकर नहीं लगाया जायेगा।

(5) जहाजों के मालिकों को पोतपरिवहन के महानिदेशक की स्वीकृति से भारत के प्रत्येक बन्दरगाह पर नौभरकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(6) भारतीय जहाजों को रूसी बन्दरगाहों पर तथा रूसी जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों पर ईंधन (तरल और कोयला) चिकने पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जिनमें कार्मिकों के लिये खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं, दोनों देशों की बन्दरगाहों पर सामान्य प्रचलित शर्तों तथा सामान्य मूल्यों पर मिलने चाहिये।

(7) रूसी जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों पर तथा भारतीय जहाजों को रूसी बन्दरगाहों पर सूखी गोदी तथा मरम्मत की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(8) संयुक्त सेवा के लिये केवल अपने-अपने देशों के जहाजों को ही प्रयोग किया जायेगा बशर्ते कि किसी समय दोनों में से कोई भी देश किसी तीसरे देश के जहाज को तदर्थ भाड़े पर चलाने की आवश्यकता समझे तो दूसरे भागीदार देश की अनुमति लेनी होगी।

(ख) यह एकीकृत संलेख 26 मई 1970 से लागू हुआ तथा उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित-रूप में तीन महीने का नोटिस देकर उसे समाप्त करने के अपने आशय की भी घोषणा न कर दे।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

917. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : प्रतिवेदन पर अभी विचार हो रहा है।

Repairing of old National Highway No. 8

918. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Shiping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of damage caused by the floods during last September to the old National Highway No. 8 which passes through Alwar District of Rajasthan ; and

(b) the amount of assistance being given by his Ministry for the repairs of this National Highway ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The old route of National Highway No. 8 in Rajasthan **via** Alwar has reverted to

the State Government on the opening of the new National Highway route **via** Shahjahanpur, Behroor, Kotputli, Paota and Shahpura, and as such, its maintenance including restoration of flood damages is a charge on State funds.

(b) Does not arise.

Compulsory Education in States

919. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are of the view that they would be able to provide compulsory education as required under Article 45 of the Constitution in Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar by the year 2020 at the present pace ;

(b) whether his Ministry proposes to give some special grants to the backward States for this purpose ; and

(c) whether the backward States do not utilise fully the grants given to them by the Central Government for purposes of education ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri K. Kisku) : (a) Education is a State subject. According to the present rate of progress it is expected that these States would require considerable time to provide even universal education without compulsion for the age group 6—14 But efforts are being made to persuade the State Governments to allocate more funds for primary education and also to mobilise local resources, so as to accelerate the progress.

(b) and (c). Central Assistance for State plans is now given as a block grant and not scheme-wise. While allocating Central assistance backwardness of the State is taken into account. The new formula of allocation of Central assistance to the States sets aside 10% for States with per-capita income less than the national average and 10% for special problems of States. In the Fourth Plan a new device of earmarking funds has been introduced. Funds indicated in the State Plan for elementary education are earmarked and cannot be diverted to other schemes.

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग न किया जाना

920. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने शिक्षा कार्यों के लिये उसे मिले केन्द्रीय अनुदान का उपयोग पिछले तीन वर्षों के दौरान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान बिहार को शिक्षा कार्यों के लिये कुल कितना अनुदान दिया गया तथा बिहार ने अब तक उसमें से कितने अनुदान का उपयोग किया है तथा कितने अनुदान का उपयोग नहीं किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नक्सलवादियों द्वारा मनीपुर में पुल का उड़ाना

921. **श्री धी० ना० देव :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरोधी नक्सलवादियों ने मनीपुर में युद्ध विराम रेखा के अन्तर्गत आने

वाले उखरूल सब-डिवीजन में एक महत्वपूर्ण पुल डाइनेमाइट लगा कर उड़ा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या भारत सरकार ने इन उग्रवादी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् । मनीपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि कुछ अन्य तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों ने मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में नुंगजक नदी पर एक पुल को उड़ाने का प्रयास किया था । पुल को कुछ नुकसान पहुंचा और वह मरम्मत के लिये लगभग एक हफ्ते तक यातायात के लिये बन्द रहा । एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में शरणार्थी कालोनी पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) समर्थकों द्वारा छापा मारना

922. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मालबाजार स्थित एक शरणार्थी कालोनी पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) के समर्थकों के एक दल ने हाल ही में छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) पश्चिम बंगाल प्रशासन ने छापामारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उड़ान समय में गड़बड़ी

923. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उड़ान सम्बन्धी निर्धारित समय में दिन प्रतिदिन गड़बड़ी होती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की गड़बड़ी के कारणों के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ान सम्बन्धी निर्धारित समय के पालन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या रचनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मई तथा जून, 1970 के महीनों के दौरान, मुख्यता खराब मौसम तथा परिणामी कारणों की वजह से उडानों की देरियों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइन्स स्थिति का इस दृष्टि से लगातार पुर्नविलोकन कर रही है कि जहां कहीं सम्भव हो देरियों को दूर किया जाये। छोटी समितियों का भी गठन किया जा रहा है जोकि देरी के कारणों का तुरन्त पता लगायेंगी तथा उनके निवारण के उपाय सुझायेंगी।

साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार करने वाली पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही

924. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री हेम राज :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों ने उन पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो जनता में साम्प्रदायिक भावना का प्रचार करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3805/70]**

प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य

925. **श्री क० मि० मधुकर :** **डा० रानेन सेन :**
श्री रवि राय : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जनार्दनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राशसनिक सुधार आयोग का कार्य समाप्त कर दिया गया है;

(ख) आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ग) आयोग के कार्यकरण पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) आयोग ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ङ) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बीस।

(ग) जून, 1970 तक 69,45,770 रुपये।

(घ) और (ङ). वैज्ञानिक विभागों के संबंध में रिपोर्ट के अलावा सभी रिपोर्टों की

प्रतिया या तो सदन के पटल पर या संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3806/70**] सरकार को वैज्ञानिक विभागों के संबंध में रिपोर्ट की सिफारिशों का केवल सारांश प्राप्त हुआ जो सदन के पटल पर रखा जाता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर अब तक किये गये निर्णयों का एक विवरण इस विषय पर पहले दिये गये आश्वासन के कार्यान्वयन में आज सदन के पटल पर रखा जाता है।

विदेशी धर्म प्रचारकों को भारतीय नागरिकता का प्रदान करना

926. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री विदेशी धर्म प्रचारकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को नागरिकता अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत अस्वीकार किया गया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का परामर्श लिया गया था, क्योंकि उन देशों के साथ जहां के ये आवेदक हैं पारस्परिक सम्बन्ध बने हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) धारा 14 की उप-धारा (1)।

(ख) नागरिकता प्रदान करने के मामले में किसी देश के साथ कोई पारस्परिक प्रबन्ध नहीं है। इस कारण से विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर राज्य में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड

927. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में सलेक्शन ग्रेडों में अध्यापकों की प्रतिशतता क्या होगी जो अभी निर्धारित नहीं हुई है;

(ख) क्या सहायता प्राप्त स्कूलों को भी जो पहले ज़िला बोर्डों के अन्तर्गत थे सलेक्शन ग्रेडों की अनुमति होगी; और

(ग) मैसूर राज्य में अध्यापकों को कितने मंहगाई भत्ते दिये जाते हैं तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते से इनमें कितना अंतर है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) 20 प्रतिशत

(ख) जी; इस शर्त पर कि 20 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।

(ग) अध्यापकों के लिए मंहगाई भत्ता उसी प्रकार है जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए है—मूलवेतन पर निर्भर करते हुए रु० 71 प्रतिमास से रु० 160 प्रतिमास तक।

मैसूर राज्य में ग्रामीण संचार

928. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में 1963 तक बनाये गये 10000 मी० लम्बे ग्रामीण संचार साधन में बहुत से स्थानों पर, सड़कें पूरी नहीं बनी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य सरकार से कहा है कि इन सम्पर्क सड़कों के बनाने की योजनायें बनायें जिससे मार्केटिंग, मेडिसिन, स्कूल तथा प्रगति के अन्य श्रोतों के संबंध में ग्रामों की उपेक्षा न हो; और

(ग) ग्रामीण संचार के लिये मैसूर राज्य की चौथी योजना में किये गये उपबन्ध का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान ग्रामीण संचार साधन विशेष रूप से दक्षिण कनारा जिले के भाग वाले 850 मील की बहुत सी न बनी सम्पर्क सड़कों को पूरा करने के लिये कितना अंश इसमें रखा गया है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). ग्रामीण संचार मुख्यतः राज्य कार्यकलाप के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः मैसूर सरकार इस प्रश्न के विषय वस्तु से संबंधित है। प्रश्न के भाग (ख) के बारे में राज्य सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा गया है।

पर्यटक केन्द्रों के रूप में स्थलों के विकास के लिए कसौटी

929. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये स्थलों को किन आधारों पर चुना जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उदीपी और वहां के सात मठ इसलिये भारी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि यह स्थान महादेव के जन्म स्थान के निकट है जो हिन्दुओं के तीन महान दार्शनिकों में से एक थे;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि उदीपी, कर्कल, मूदीबिद्री तथा बैनूर के विशाल जैन मन्दिरों और तीन महान दार्शनिकों में से दूसरे दार्शनिक शंकर के कोल्लूर के भव्य मंदिर के मध्य में स्थित है; और

(घ) यदि हां, तो उदीपी को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में न मानने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार पर्यटन स्कीमों को पर्यटकों के लिये किसी स्थान के वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रखते हुए तैयार एवं क्रियान्वित करती है। सरकार उदीपी के तीर्थ-स्थान के रूप में महत्व के प्रति जागरूक है, परन्तु सीमित साधनों तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण पर्यटन विभाग इसके विकास-कार्य को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है।

मंगलौर-बम्बई के विमानों में स्थान न मिलना

930. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में मंगलौर-बम्बई के विमानों में स्थान न पाने वाले यात्रियों की दैनिक औसत क्या हैं;

(ख) इस कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई को कम करने के लिये उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) हर तीसरे दिन अथवा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विमान न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) चार।

(ख) और (ग). यातायात द्वारा हर दूसरे दिन अतिरिक्त उड़ान के परिचालन का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है। तथापित, जब तक आवश्यकता पड़ने पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अतिरिक्त उड़ाने परिचालित की जाती हैं।

गोवा के उप-राज्यपाल द्वारा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की आलोचना

931. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री नम्बियार :
श्री मु० अ० खां :
श्री ई० के० नायनार :
श्री गणेश घोष :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोआ के उप राज्यपाल द्वारा की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें 'राजनीतिक शरणार्थियों के लिये शरण्य स्थल' है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलोक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने वह समाचार देखा है जो 6 जुलाई 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था। जांच पड़ताल से प्रकट हुआ कि गोवा के उप-राज्य पाल द्वारा 4 जुलाई को दिया गया भाषण, जो बिना तैयारी का भाषण था, समाचार पत्र में सही रूप में प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के वरिष्ठ उप-पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

932. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश खोसला ने कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों में

तनावपूर्ण सम्बन्धों के बारे में अपने प्रतिवेदन में वरिष्ठ उप-पुस्तकाध्यक्ष के आचरण के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन आरोपों की एक प्रति तथा उक्त वरिष्ठ, उप-पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही सभापटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इस स्तर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के सम्बन्ध में न्यायाधीश खोसला की रिपोर्ट के निष्कर्षों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। रिपोर्ट के विमाचन तथा उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और इस बारे में निर्णय शीघ्र किये जाने की आशा है।

क्षेत्रीय तथा भाषा सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर दंगे

933. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में क्षेत्रीय तथा भाषा सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर प्रतिवर्ष कितने दंगे हुए तथा उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति

934. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश खोसला ने कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों के तनावपूर्ण सम्बन्धों के बारे में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के वर्तमान पुस्तकाध्यक्ष को कलकत्ता से बाहर भेज देना चाहिए तथा उसे कहीं अन्य स्थान पर सम्मानरूप से उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसको ऐसा कौन सा पद दिया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इस स्तर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के सम्बन्ध में न्यायाधीश खोसला की रिपोर्ट के निष्कर्षों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ; इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

देश में हिप्पियों के प्रवेश पर रोक

935. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से अथवा दिल्ली प्रशासन से देश में हिप्पियों के प्रवेश पर रोक लगाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाह्य संगठनों द्वारा स्कूलों के अहातों का प्रयोग

936. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपराज्य पाल ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को यह अनुदेश जारी कर दिये हैं कि बाह्य संगठनों को अपने स्कूल के अहाते का प्रयोग करने की अनुमति न दें ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुदेशों में बाह्य संगठनों की कोई परिभाषा दी गई है ; और

(ग) क्या सहायता प्राप्त स्कूलों के अहाते में वेदान्त जैसे विषय पर प्रवचन दिये जाने की अनुमति दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने अनुदेश जारी किये हैं कि स्कूल के भवन तथा उनके अहातों का उपयोग केवल शिक्षा के काम तथा विद्यार्थियों के लिये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके वास्ते ही किया जाय तथा अन्य किसी बाहर के कार्यक्रम के लिए उन्हें उपयोग में न लाया जाय । अन्य कार्यक्रमों के लिये शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए ।

(ख) जी नहीं । इसे आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ग) प्रशासन के आदेश हैं कि संदर्भाधीन स्कूल के अहातों में कोई धार्मिक व्याख्यान न दिये जाएं ।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

937. **श्री नम्बियार** :
श्री अदिचन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री जनार्दनन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री प० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) इस वर्ष कितनी धनराशि अलग रखी गई है ; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रायोजना का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया गया है तथा राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये भूमि-अभिग्रहण की कार्यवाहियां पहले ही प्रारम्भ कर दी हैं।

(ख) इस कार्य से सम्बन्धित पूरे कार्य क्षेत्र का अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(ग) भूमि-अभिग्रहण के लिये मंजूर की गयी 9,07,925/रुपये की राशि इस वर्ष व्यय करने के लिये उपलब्ध है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिग्रहण की कार्यवाहियां पूरी कर ली जाने के बाद ही अन्य कार्यों को उस सीमा तक हाथ में लिया जायेगा जहां तक कि चौथी योजना की सीमा के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवस्था में हवाई अड्डे के चालू किये जाने की तारीख बताना सम्भव नहीं है।

भारत को रूस से जहाजों पर माल का लदान

938. **श्री शिव नारायण :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ : **श्री मणि भाई जे० पटेल :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन न्यास द्वारा इन आरोपों के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं कि भारत को रूस से जहाजों पर लादे गये माल के भार के रूस कम बीजक बना रहा है;

(ख) क्या इस शिकायत की कोई और जांच की गई है तथा यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि इन आरोपों में कोई सचाई है तो भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जांच करने से पता चलता है कि लगाये गये आरोपों का कुछ आधार है तथा "विश्व प्रभा" जहाज से माल उतारते समय गट्ठरों के वजन में कुछ असंगतियां पाई। वजन को कम तथा अधिक अंकित करने के मामले पाए गये।

(ग) एस० एस० "विश्व प्रभा" जहाज द्वारा लाये गये माल का बम्बई पत्तन न्यास द्वारा किये गये विश्लेषण के परिणामों को बम्बई पत्तन न्यास के गोदी प्रबन्धक द्वारा एक बैठक में (1) रूसी-समुद्री व्यापार मंत्रालय, (2) ब्लैक सी स्टीमशिप कम्पनी तथा (3) शोव्फ्राच्ट के स्थानीय रूसी प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया। इन प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया है कि वे यह मामला रूस में उचित प्राधिकारी के सम्मुख उठायेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के परामर्शदाता (वाणिज्य) को भी सूचित किया गया है कि वह इस सम्बन्ध में रूस में उचित प्राधिकारी से बात करें।

अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों तथा धार्मिक स्थलों का संरक्षण

939. **श्री शिव नारायण :**

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा तथा युवक सवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान की बमियान घाटी में बीसवीं शताब्दी ए० डी० की बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां तथा उनके आस पास के धार्मिक स्थलों के लिये संरक्षण कार्य में क्या प्रगति हुई है तथा यह काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या इन मूर्तियों तथा धार्मिक स्थलों की मरम्मत का व्यय पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है अथवा उसके किसी भाग में अफगानिस्तान सरकार भी भाग ले रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बमियान की दो प्रसिद्ध चट्टानों की बौद्ध मूर्तियां तथा उनके समीप ही स्थिति मठों के संरक्षण का कार्य, अफगानिस्तान तथा भारत की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार प्रारम्भ किया गया था।

पहले सत्र का कार्य जुलाई 1969 में प्रारम्भ किया गया और सितम्बर 1969 तक होता रहा। प्रारम्भिक कार्रवाई के रूप में, विस्तृत फोटोग्राफिक तथा ड्राइंग प्रलेखन कार्य किया गया था। छोटी बौद्ध आकृति के बारे में भी कुछ प्रारम्भिक संरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था। चट्टान की दीवारों में दरारों और गढ़ों को भरने के लिये एक ऊंची लोहे की पाड का निर्माण किया गया। निचली मंजिल के मठों को हाल में बनी दीवारों के प्रभाव से बचा लिया गया है, जिससे मठों के वास्तविक नक्शों के तदात्मीकरण में मदद मिली है।

चित्रों की रसायनिक सफाई भी साथ ही साथ शुरू की गई थी। तीसरी मंजिल के मठों की छतों के प्लास्टर पर से गहरी काली परतों की रसायनिक सफाई से सुन्दर चित्र मूल रंगों में निखर आये हैं।

दूसरे सत्र का कार्य अभी शुरू हुआ है और सम्भवतः अक्तूबर, 1970 तक जारी रहेगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार सारा कार्य सम्भवतः लगभग चार वर्षों में पूरा होगा।

(ख) होने वाले खर्च को भारत तथा अफगानिस्तान इस आधार पर वहन करेंगे कि कुछ मदों की जिम्मेदारी भारत की होगी तथा कुछ अन्य मदों की अफगानिस्तान की। भारतीय पुरातत्वविदों तथा विशेषज्ञों के दल को काबुल और बमियान में ठहरने के दौरान रहने के वास्ते स्थान तथा अफगानिस्तान में प्राप्त की जा सकने वाली कुछ मशीनरी, उपस्कर और सामग्री की खरीद पर होने वाला खर्च तथा श्रम और स्थानीय सहायता, जैसे गाड़ियों और मशीनों को चलाने के लिये ड्राइवर और मैकेनिक प्रदान करने के लिये अफगानिस्तान द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

भारत सरकार, तकनीशियन और विशेषज्ञ, उपस्कर, जैसे गोलाकार लोहे की पाड, चट्टान छेदन मशीनें, वैज्ञानिक यंत्र, फोटोग्राफ उपस्कर व सामग्री, जो स्थानीयरूप से उपलब्ध नहीं है, प्रदान करेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के ग्रेडों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

940. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के ग्रेडों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित करने के बारे में संसद्-सदस्यों, बम्बई विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद् अथवा अध्यापक संस्थानों की ओर से कोई ज्ञापन मिले हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन सिफारिशों तथा इनकी क्रियान्विति के ढंग से अध्यापकों में व्यापकरूप से असंतोष उत्पन्न हो गया है; और

(ग) क्या सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान ग्रेडों का एकीकरण करने तथा केवल ऐसा वेतनमान बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे जिसमें कहीं पर दक्षता रोध हो किन्तु शोध कार्य करने वालों, पुस्तकें लिखने वालों, अच्छा पढ़ाने तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच सकें, चाहें दक्षता रोध को पार करने के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले अध्यापकों की प्रतिशतता के अन्तर्गत वे न भी आयें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की योजना को कार्यान्वित करने के बारे में, देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संगठनों तथा कुछ संसद सदस्यों, जिनमें बम्बई विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद का भी एक सदस्य शामिल है (सदस्य द्वारा स्वयं भेजा गया), से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक समिति के जरिये विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को एक चलते रहने वाले ग्रेड के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। वेतनमानों की पुनरीक्षण योजना में जो अपने कार्यान्वयन के अन्तिम वर्ष में है, फिलहाल कोई परिशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विद्यार्थी/अध्यापक संघों को मान्यता

941. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों/अध्यापक संघों को अनिवार्य मान्यता तथा विश्वविद्यालय निकायों में सभी स्तरों पर उनके सक्रिय योगदान के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो संसद के समक्ष सरकार का निर्णय कब प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार इन सिद्धान्तों को प्रभावकारी बनाने के लिये अगले सत्र में स्वयं कानून लायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय और कालेजों के शासन से सम्बन्धित समितियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

विश्वविद्यालय के मामलों में धन का प्रभाव

942. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संसद में वाद-विवाद के माध्यम से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालय अभिशासन सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के मामलों में धन के प्रभाव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके विधान में सेनेट कोर्ट, कार्यकारी परिषद् तथा इस प्रकार अन्य विश्वविद्यालय निकायों में किसी रूप में दान देने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो ;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में धनवान व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिये कानून बनायेगी ;

(घ) क्या सरकार सीधे अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय के मामलों में धन के प्रभाव को समाप्त करने के विचार से राज्य सरकारों को इस प्रकार का कानून की सलाह देगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालय अभिशासन सम्बन्धी समिति की उप समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के दौरान एक संसद सदस्य ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था।

(ख) उन 49 विश्वविद्यालयों के नामों की सूची, जिनके अधिनियमों/सांविधियों में दान देने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3807/70]**

(ग) से (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा तिहाड़ गांव में भूमि का अर्जन

943. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1965 में तिहाड़ गांव में श्री राजगोपाल शिव गोपाल और खजान सिंह आदि की लगभग 23 लाख रुपयों की लागत से 654.12 बीघे भूमि अर्जित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) ने दिल्ली के उपायुक्त को दिये गये एक विशेष प्रतिवेदन में मुआवजे की दर में 100 प्रतिशत वृद्धि करने की वकालत की थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) द्वारा की गई वकालत के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा भूस्वामियों को 30 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देनी पड़ी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य सचिव तथा उप-आयुक्त द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) को यह रिपोर्ट देने के लिये निदेश दिया गया था कि क्या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि के लिये आरम्भ में प्रस्तावित 7 रु० प्रति वर्ग गज की मुआवजे की दर सही थी अथवा उसे घटाकर 3.50 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया जाय। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) ने सूचित किया कि ब्लाक "ए" में भूमि के लिए 7 रु० प्रति वर्ग गज के मुआवजे की दर ऊंची होने की अपेक्षा नीची थी और यह कि मूल्यांकन की दर को कम करके 3.50 रु० प्रति वर्ग गज करना मनमानी होगा।

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अधीन भूमि के मालिकों द्वारा की गई प्रार्थना पर अतिरिक्त जिला जज द्वारा स्थान का निरीक्षण करने के पश्चात् मुआवजा 3.50 रु० प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 9 रु० प्रति वर्ग गज कर दिया गया, और इसके परिणामस्वरूप 30 लाख रुपये की अतिरिक्त देनदारी हुई।

नये हवाई अड्डों का निर्माण

944. **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ नये हवाई अड्डों का निर्माण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। कालीकट, तिरुपति तथा शिलांग (बारापानी) में तीन नये हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए चौथी योजना में व्यवस्था की गयी है।

(ख) **कालीकट**

भूमि-अभिग्रहण के लिये 9,07,925/- रुपये की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी हैं।

तिरुपत्ति

एच० एस०-748 के परिचालनों के लिये 4,500 फुट लम्बे धावन-पथ के निर्माण तथा यात्री-टर्मिनल के निर्माण के लिए 33,83,150/- रुपये के प्राक्कलन का अनुमोदन कर दिया गया है। तिरुमलाई-तिरुपति देवस्थानम् ने इसके निर्माण की लागत के लिये 15 लाख रुपये का योगदान करना स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि बिना मूल्य देना स्वीकार किया है।

शिलांग (बारापानी)

इस स्कीम में एल० सी० एन० 40 वाले 6,000 फुट लम्बे धावन-पथ का विकास करने तथा आवश्यक टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

दिल्ली के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायकों तथा अटेंडैंटों के वेतनमान

945. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों, पुस्तकालय सहायकों और अटेन्डेण्टों के क्या वेतनमान हैं ;

(ख) उपर्युक्त तीनों पदों के लिये निर्धारित योग्यताएं क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त तीनों पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं में किसी हालत में ढील दी जा सकती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के स्कूलों में लाइब्रेरी अटेन्डैन्टों के वेतनमान

946. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में उन लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों को 125 से 300 रुपये का वेतनमान दिया गया है जो पहले 80 से 110 रुपये के वेतनमान में थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतनमानों के पुनरीक्षण का लाभ उन सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों को भी दिया जायेगा जो पहले ही 95-125 रुपये के वेतनमान में हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वरिष्ठ पुस्तकालय अटेन्डेंटों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

947. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार के पुस्तकालयों के वरिष्ठ पुस्तकालय अटेन्डैटों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने उस निवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख). जहां तक शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में कार्य करने वाले, विशेषकर वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर और आमतौर पर अन्य वरिष्ठ पुस्तकालय परिचरों की ओर से उनके वेतनमानों में असमानता को दूर करने तथा उन्हें पुनरीक्षित करने के बारे में, केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय कर्मचारी संघ से मई, 1970 में मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। संघ को इस मामले पर वेतन आयोग से पत्र व्यवहार करने के लिये सूचित किया गया है, जिसकी स्थापना ऐसे मामलों की जांच करने के लिये की गई है। फिर भी मंत्रालय भी इस प्रार्थना पर विचार कर रहा है ।

दिल्ली में मिडिल स्कूलों के लिए पुस्तकालय

948. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में मिडिल स्कूलों में पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान तथा अर्हताएं क्या होंगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियमावलियां, नियमों आदि का अनुवाद

949. **श्री जो० ना० हजारिका :**
श्रीमती तारा स्प्रे :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को विभिन्न नियमावलियों, नियमों विनियमों, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने में क्या कठिनाई हो रही है ;

(ख) वित्त मंत्रालय ने उनके मंत्रालय के कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की मांग को कहां तक पूरा किया है ; और

(ग) क्या गृह्-मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्य को अपने हाथ में ले रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की ओर से अनुवाद कार्य करता है, यह मुख्य कठिनाई अनुभव में आई है कि उसके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिसके फलस्वरूप यह सम्भव नहीं है कि अनुवाद कार्य की गति को तीव्र किया जा सके।

(ख) अनुवाद कार्य के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी के इस मंत्रालय के प्रस्ताव सक्रिय रूप से वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

रूसी पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी में तथा हिन्दी में अनुवाद

950. **श्री जो० ना० हजारिका :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी पाठ्य-पुस्तकों का अंग्रेजी और हिन्दी में अनुवाद करने के क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) क्या इन पाठ्य पुस्तकों को भारत के विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए लागू किया जायेगा ; और

(ग) क्या इन अनुवादों को यथावत् लिया जायेगा अथवा रूसी पद्धति पर इसी प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जायेंगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उद्देश्य है सोवियत रूस के विद्यार्थियों को उपलब्ध उन्नत ज्ञान को, विशेष रूप से विज्ञान और टेक्नालोजी के ज्ञान को विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। फिलहाल भारत-सोवियत पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम, रूसी भाषा की पुस्तकों को अंग्रेजी में अनूदित करने तक सीमित है।

(ख) पुस्तकें विश्वविद्यालय स्तर पर उपयोग के लिये हैं।

(ग) भारत रूसी पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम में मौलिक सामग्री के अपनाने तथा अनुकूलन दोनों की व्यवस्था होगी।

सरकारी उपमुख्य सचेतक

951. **श्री जो०ना० हजारिका :**　　**श्री स० चं० सामन्त :**
डा० राम सुभग सिंह :　　**श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उप-मुख्य सचेतकों की संख्या में कमी करने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकारी उप-मुख्य सचेतक को निःशुल्क आवास, टेलीफोन, बिजली तथा कार का उपयोग जैसी कुछ सुविधाओं के अतिरिक्त कितना मासिक वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उप-मुख्य सचेतक प्रतिदिन 51 रुपये का दैनिक भत्ता भी लेते रहे हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकारी उप-मुख्य सचेतकों के पद एक सरकारी निर्णय के फलस्वरूप, 30 जून, 1970 से समाप्त कर दिये गये हैं ।

(ख) सरकारी उप मुख्य सचेतक को, उनको संसद् सदस्य होने के नाते मिलने वाले अधिकृत वेतन तथा भत्ते की जगह, रु० 1650-00 प्रति माह का वेतन दिया जा रहा था ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा माल के परिवहन में की गई प्रगति

952. **श्री जो० ना० हजारिका :** **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० राम सुभग सिंह : **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों की तुलना में माल आदि के परिवहन में अधिक प्रतिशतता प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) भारतीय तटीय व्यापार के मामले में शत प्रतिशत सफलता कब तक प्राप्त कर ली जायेगी ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) देश के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय पोतपरिवहन द्वारा उठाये गये माल की प्रतिशतता 1955-56 में 6.5 प्रतिशत से बढ़ कर 1968-69 में 18.45 प्रतिशत हो गया था ।

तटीय व्यापार में 1953 से समस्त सूखे माल का यातायात भारतीय पोतपरिवहन द्वारा किया जाता है । भारतीय तेल वाहकों द्वारा उठाये गये तेल के माल की प्रतिशतता 1956 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 1969 में 23.8 प्रतिशत हो गई ।

(ख) तटीय व्यापार में सूखा माल भारतीय जहाजों द्वारा 100 प्रतिशत पहले ही ले जाया जा रहा है । परन्तु तेल माल के मामले में जहां तक भारतीय तेलवाहक उपलब्ध नहीं हैं विदेशी तेल वाहकों को माल उठाने की अनुमति है । वृद्धि करने के तौर पर तथा बदलने के तौर पर अतिरिक्त तेल वाहकों को प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ये तेल वाहक समस्त प्रस्तावित तेल कारखानों के स्थापित हो जाने पर तट पर तेल पदार्थों के आवागमन की संभावनाओं के अनुरूप व्यापार को संभाल सकें ।

पर्यटकों को भारत में बुलाने के लिये एयर इंडिया का अभियान

953. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पर्यटकों को देश में बुलाने के लिये अमरीका तथा रूस में वर्ष के अन्त तक एयर इंडिया ने एक अभियान आरम्भ करने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) इस अभियान के लिए कुल कितने रुपये निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप पर्यटक यातायात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर-इंडिया तथा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के संयुक्त रूप से प्रोत्साहन की योजना को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक संयुक्त राज्य अमरीका एवं सोवियत रूस के विषय में भी लागू करने का प्रस्ताव है। ब्योरे, जिनमें इन दो संगठनों द्वारा किया जाने वाला व्यय भी शामिल है, तैयार किये जा रहे हैं।

(घ) यद्यपि आशा की जाती है कि इस से पर्यटक यातायात में काफी अभिवृद्धि होगी, परन्तु अभी इस अवस्था में कोई निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है।

नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस पुस्तकालय का भविष्य

954. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब जब इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मिला दिया गया है, तो नई दिल्ली में सप्रू हाउस पुस्तकालय का क्या होगा ; और

(ख) इस पुस्तकालय में पुस्तकों, दस्तावेजों और समाचार पत्र की कतरनों का कुल संग्रह कितना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस समय यह पुस्तकालय इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टेडीज (जिसका नया नाम स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टेडीज है) और इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड एफ्यर्स दोनों के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। यह निश्चित किया गया है कि संयुक्त उपयोग की मौजूदा व्यवस्था कुछ वर्षों के लिये जारी रखनी चाहिए।

(ख) पुस्तकें	1,20,000 जिल्दें
दस्तावेज	1,25,000
समाचार पत्रों की कतरनें	7,00,000

इनके अतिरिक्त पुस्तकालय में 1,700 पत्र-पत्रिकायें आती हैं।

भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगे में शिव सेना का हाथ होना

955. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में शिव सेना के प्रधान श्री बाल ठाकरे ने गृह-कार्य मंत्री द्वारा संसद में दिये गए उस वक्तव्य की चुनौती है जिसमें कहा गया है कि साम्प्रदायिक दंगों में शिव सेना का हाथ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में 22 मई, 1970 को प्रकाशित समाचार देखे हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न की जांच करने के लिए 12 मई, 1970 को एक आयोग नियुक्त किया है कि क्या किसी संगठन अथवा दल ने साम्प्रदायिक तनाव को प्रोत्साहित किया था अथवा जो उपद्रव हुए उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उकसाया था। जांच जारी है।

श्रीनगर में डाकुओं तथा समाज विरोधी तत्वों को हथियारों तथा गोलाबारूद की सप्लाई

956. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में डाकुओं तथा समाज विरोधी तत्वों को काश्मीर से हथियारों तथा गोला बारूद की सप्लाई किये जाने के बारे में समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान 22 मई, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सरकार के पास जम्मू से कुछ हथियारों की अवैध बिक्री का समाचार है।

(ख) सरकार ने उक्त समाचार देखा है।

(ग) जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और जांच-पड़ताल जारी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति

957. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने विभागाध्यक्षों को उनकी सेवा निवृत्ति तक संस्थायी रूप से नियुक्ति करने की बजाय विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करने का प्रयोग करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् ने संकल्प किया है कि विभाग-अध्यक्षों की नियुक्ति विशिष्ट अवधि के लिए करने का प्रयोग किया जाय, और जहां संभव हो तथा प्रत्येक विभाग में आवश्यक शैक्षिक नेतृत्व के गुणों को बिना हानि पहुंचाये इन अवधियों की समाप्ति पर परिवर्तन किये जाएं। तथापित प्रशासन के विकेन्द्रीकरण और संबंधित मामलों के बारे में विभिन्न विभागों और संकायों द्वारा विस्तृत प्रस्ताव बनाने पर ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

(ख) शैक्षिक परिषद के अनुसार ऐसी प्रणाली, जिसमें एक व्यक्ति स्थायी रूप से विभाग-अध्यक्ष हो, अच्छी नहीं है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का कर्तव्य

958. **श्री रवि राय :**
श्री स० कुन्दू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सचिवों को एक समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कर्तव्यों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कर्मचारी प्रशासन के बारे में की गई सिफारिशों पर विचार किया ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए, विशेषतया यदि प्रतिवेदन विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हों, सचिवों की समितियां नियुक्त करना प्रचलित है। ऐसी ही एक समिति ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों विषयक प्रतिवेदन की जांच की, जिसके दौरान अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका की भी इसने जांच की। दूसरी समिति कर्मचारी प्रशासन विषयक प्रतिवेदन की जांच कर रही है। इन समितियों की कार्यवाही को प्रकट करना उचित तथा लोक हित में नहीं होगा क्योंकि ये केवल सरकार के भीतरी विचार के लिये हैं। सरकार द्वारा कर्मचारी प्रशासन से सम्बन्धित सिफारिशों पर अन्ततः लिये गये निर्णय संसद के समक्ष यथासमय रख दिये जायेंगे।

परीक्षाओं में असफलता के कारण होने वाली धन आदि की बरबादी

959. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी० डी० शुक्ल ने माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और सचिवों के सम्मेलन के समक्ष अपने स्वागत भाषण में इन बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में असफलता के कारण बड़ी मात्रा में होने वाली राष्ट्रीय धन आदि की बरबादी की ओर ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य तर्क क्या है; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) उनका मुख्य आशय इस प्रकार है :—

विभिन्न बोर्डों की परीक्षाओं के परिणामों से पता चलता है कि हाई स्कूल परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का लगभग 55 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों का लगभग 40 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष अनुत्तीर्ण होता है। प्राइवेट उम्मीदवारों के मामलों में, यह प्रतिशत 70 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक होता है। इन प्रतिशतताओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रत्येक वर्ष लगभग एक जैसे रहते हैं। असफल उम्मीदवारों पर इस असफलता का कुप्रभाव पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का असफल होना और विशेषकर जबकि उनकी जांच वार्षिक और अन्य परीक्षाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ष की जाती है, बहुत ही खेदजनक है।

इस बरबादी के अनेक कारण हैं। इनमें ये हो सकते हैं। अध्यापकों की कमी, असंतोषजनक अध्यापन पद्धतियां, शारीरिक सुविधाओं, अध्यापन सहायक-उपकरण, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की कमी, घर पर अध्ययन के लिये शोचनीय वातावरण, निम्न पोषणिक स्तर, छात्रों में प्रेरणा की कमी, असंतोषजनक पाठ्यचर्या और दोषयुक्त मूल्यांकन क्रियाविधियां।

(ग) इसकी जिम्मेदारी, मूलरूप से राज्य सरकारों की है, सम्मेलन के अन्तिम सिपारिशों के केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने पर, उन्हें राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिये भेज दिया जायेगा। अलग अलग राज्य और स्कूल शिक्षा बोर्ड जो सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इन सिफारिशों पर अमल करेंगे।

विश्वविद्यालयों में नक्सलियों की गतिविधियां

960. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों में नक्सलियों की गतिविधियां का समाधान करने के लिये उन्होंने संसद के दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस विचार-विमर्श की ठोस उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). छात्र असंतोष की समस्याएं विशेष रूप से परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले गलत तरीकों और

निरीक्षकों पर आक्रमणों के सम्बन्ध में 19-21 मई, 1970 को संसद के दलों के नेताओं के के साथ एक बैठक की गई थी। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों में नक्सलपंथी कार्यवाहियों पर भी विचार-विमर्श हुआ था। सामान्य विचारधारा यह थी कि नक्सलपंथी कार्रवाइयों को छात्र असंतोष से न मिलाया जाय। ये वस्तुत: एक राजनीतिक कार्यक्रम का परिणाम है और इनका कुछ अंश तक कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में और कुछ अंश तक राजनीतिक स्तर पर सामना करना चाहिये।

फरवरी, 1969 में इण्डियन एयरलाइन्स डकोटा विमान का जयपुर में दुर्घटनाग्रस्त होना

961. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पायलट के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है जिसने 18 फरवरी, 1969 को जयपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुये इण्डियन एयरलाइन्स डकोटा विमान वी० टी०—सी० जे० एच० की कमान की थी ;

(ख) यदि हां, तो पायलट के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जांच अधिकारी ने अपने निष्कर्षों में यह घोषणा की थी कि विमान के पायलट को यातायात सहायक द्वारा दोषपूर्ण 'लोड शीट' तथा 'ट्रीम शीट' लेने को मजबूर किया गया था और पायलट को इस शरारत का पता नहीं था ;

(घ) क्या पायलट तथा सह-पायलट की शीटों में कोई तकनीकी अन्तर है; और

(ङ) पायलट के विरुद्ध की जा रही जांच किस प्रक्रम पर है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। विमान के चालक को 18 फरवरी, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक की अवधि के दौरान कमांडर के रूप में उड़ान कार्य से निलम्बित किया गया था।

(ख) यह कार्यवाही दुर्घटना की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी जिसमें यह तथ्य प्रकट किया गया था कि नया परिचालन नियम पुस्तक में दिये गये अनुदेशों की अवहेलना करते हुए विमान-चालक दायीं सीट पर बैठा था और इस प्रकार विमान और विमान में बैठे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी।

(ग) जांच से ज्ञात हुआ कि 'लोड' तथा 'ट्रिम' विवरण (शीटें) गलत तैयार किये गये थे और विमान-चालक ने उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया था।

(घ) कप्तान बायीं सीट पर बैठता है जब कि सह-चालक दायीं सीट पर बैठता है।

(ङ) जांच पूरी की जा चुकी है और विमान-चालक के विरुद्ध भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा चुकी है। 'लोड' तथा 'ट्रिम' विवरण गलत तैयार करने वाले यातायात कर्मचारियों के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य की हत्या

962. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार अथवा गुप्तचर विभाग से उन परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें विधान सभा सदस्य श्री कृष्ण देशाई जून, 1970 के आरम्भ में बम्बई में मारे गये थे ;

(ख) क्या जानकारी से इस बात का पता चलता है कि विधायक को मारने के लिये कोई षड़यन्त्र रचा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि वह इस बात की जांच करे कि श्री देसाई पर किये गये इस घातक आक्रमण में शिव सेना का कहां तक हाथ है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में दर्ज किये मामले की राज्य गुप्तचर विभाग (अपराध) द्वारा कानून के अनुसार जांच की जा रही है।

अप्रैल, 1970 में कम्बाटा एयरलाइन्स के हैलीकाप्टर का बम्बई से समुद्र में गिर कर टूक-टूक होना

963. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है जिनमें कम्बाटा एवियेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का हैलीकाप्टर अप्रैल, 1970 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई से दूर समुद्र में गिर कर टूक टूक हो गया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हैलीकाप्टर का प्रयोग समुद्र से तस्कारी का सोना तथा अन्य वस्तुओं को उठाने के लिये किया जा रहा था ;

(ग) क्या सरकार कोई विशेष समिति नियुक्त करके कम्बाटा एवियेशन की गतिविधियों की जांच करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिये नागर विमानन विभाग का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(ख) दुर्घटना की अभी जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ). इस मामले में की जाने वाली कार्यवाही का स्वरूप जांच अधिकारी के जांच-परिणामों पर निर्भर करेगा।

Demolition of Rostrum by the Officials of Delhi Municipal Corporation

964. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the enquiry made by Government in regard to the causes of the demolition of the rostrum by the officials of the Municipal Corporation of Delhi, which was constructed for the Prime Minister's address as also the authority responsible for ordering the demolition ;

(b) the action taken against the officials of the Corporation under whose orders the demolition was undertaken ;

(c) whether it is a fact that the demolition was undertaken on the instructions of the Mayor of Delhi ; and

(d) the information which Government have in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). Government have not made any formal enquiry in the matter. According to the information received from Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration, some bricks of one of the pillars constructed for the rostrum, were removed and a small "Shamiana" for the labourers, untied by one of the Section Officers of the Garden Department of the Municipal Corporation. Since this Section Officer exceeded his powers in taking the above action, he was placed under suspension and departmental action is being taken against him. According to the information received from the Municipal Corporation, the Section Officer had not acted under instructions from the Mayor.

Constitution of R. S. S.

965. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have a copy of the Constitution of the R. S. S.

(b) if so, whether the same would be laid on the Table ; and

(c) whether this organisation is a registered one ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government have seen the published constitution of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh. A copy thereof is laid on the Table of the House. **[Palaced in Library. See No. L. T.—3808/70]**

(c) Facts are being ascertained.

Armouries belonging to R. S. S.

966. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of armouries belonging to the Rashtriya Swayam Sewak Sangh in the various parts of the country ;

(b) the number of modern and ancient weapons in these armouries ; and

(c) the list of the Chiefs and Instructors of the R. S. S. who have been given licence of pistols, rifles etc. ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Information is being collected from the State Governments.

Construction Allowance to Employees of Central School, Bokaro

967. **Shri Sharda Nand:** **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Jagannath Rao Joshi: **Shri Suraj Bhan:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the period for which and the rate at which construction allowance has been paid to the employees of the Central School in Bokaro Steel City and the date since when this School is functioning there;

(b) the date from which and the rate at which the said allowance has been paid to other Government employees (such as those in postal services);

(c) whether there is any difference between the allowances paid to these two categories of employees; and

(d) if so, the reasons therefor and the manner in which this anomaly is proposed to be removed?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) The teaching and non-teaching staff of Kendriya Vidyalaya, Bokaro Steel City, was paid construction allowance with effect from 1-4-1968 at the following rates:—

Period	Pay	Rate
From 1-4-1968 to 31-3-1969	Below Rs. 100/- P. M.	12 1/2% of pay
	From Rs. 100 up to Rs. 300 P. M.	10% of pay
	From Rs. 301 up to Rs. 500 P. M.	10% of pay Subject to a minimum of Rs. 31.25 and a maximum of Rs. 42.50.
	From Rs. 501 up to Rs. 600 P. M.	Rs. 50/-
	From Rs. 601 up to Rs. 699 P. M.	Rs. 60/-
	From Rs. 700 onwards.	Rs. 62.50.
	(No employee in the Vidyalayas gets more than Rs. 900/- P. M.)	
From 1-4-1969 to 30-9-1969	—do—	Half of the rates mentioned above against each pay range.
From 1-10-1969	—do—	'Nil'

The Kendriya Vidyalaya at Bokaro Steel City has been functioning since 1st March, 1967.

(b) According to Government of India orders this allowance is admissible to the employees of (Resident Audit Office) Bokaro Steel City, with effect from 15-1-1966 at the rates indicated below:—

Period	Rates of construction allowance	
(i) From 15-1-1966 to 30-9-1967	Below Rs. 100 P. M.	25% of pay
	From Rs. 100 up to Rs. 300 P. M.	20% of pay
	From Rs. 301 up to Rs. 500 P. M.	20% of pay subject to a minimum of Rs. 62.50 and a maximum of Rs. 85/- P. M.
	From Rs. 501 up to Rs. 600 P. M.	Rs. 100/- P. M.
	From Rs. 601 up to Rs. 699 P. M.	Rs. 120/- P. M.
	From Rs. 700 up to Rs. 1299.	Rs. 125/- P. M.
	From Rs. 1300 up to Rs. 1599.	Rs. 150/- P. M.
	Rs. 1600 and above.	Amount by which pay fall short of Rs. 1749/-.
(ii) From 1-10-1967 to 31-3-1968	....75% of the rates mentioned at (i) above.	
(iii) From 1-4-1968 to 31-3-1969	....50% of the rates mentioned at (i) above.	
(iv) From 1-4-1969 to 30-9-1969	....25% of the rates mentioned at (i) above.	
(v) From 1-10-1969 onwards.	'Nil'	

(c) The rates of allowance is the same.

(d) Does not arise.

भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्राप्त दो जहाजों का आकार

968. **श्री जनार्दनन :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम के पास ऐसे दो जहाज हैं जो कि देश के किसी भी बड़े बन्दरगाह में नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसी भी बन्दरगाह में अपेक्षित गहराई नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों का आकार क्या है और उनको कब प्राप्त किया गया था ।

(ग) क्या इन दोनों जहाजों का अब उपयोग किया जा रहा है और उनसे एक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ;

(घ) क्या बड़े महासागरों में जाने वाले जहाजों के प्रवेश के लिये बड़े बन्दरगाहों में अपेक्षित गहराई की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां। सम्भवतः माननीय सदस्य पश्चिम एशिया की खाड़ी से मद्रास रिफाइनरी को तेल ले जाने के लिये दो अर्जित किये हुये तेल वाहकों का उल्लेख कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). इन तेल वाहकों को अर्जन करने की तिथियां तथा आकार निम्न प्रकार से हैं :—

नाम	कुल टन भार	अर्जित करने की तारीख
1- एम० टी० "जवाहर लाल नेहरू"	87612	30-9-1969
2- एम० टी० "लाल बहादुर शास्त्री"	87649	10-6-1970

इन दोनों तेल वाहकों का विदेशी चार्टर मंडी में उपयोग लाभदायक रूप से किया जाता है तथा इनकी एक वर्ष में मिलकर विदेशी मुद्रा में लगभग पचास लाख डालर कमाने की सम्भावना है ।

(घ) और (ङ). मद्रास में 42 फुट डुबाव के जहाजों को ठहराने की क्षमता रखने वाला बाहरी बन्दरगाह तथा नियमितरूप से तेल की सप्लाई करने के लिये एक तेल-घाट का निर्माण हो रहा है । इन सुविधाओं की व्यवस्था होने पर दोनों तेल-वाहक मद्रास पत्तन पर आ सकेंगे ।

दरभंगा में चीन से प्रशिक्षित एजेंट

969. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1970 के "दि टाइम्स आफ इन्डिया" में

प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन से प्रशिक्षित एजेंट सामरिक महत्व की सूचना और तस्वीरें लेने के लिये दरभंगा जिले में 10 मील अन्दर तक घुस गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या जानकारी है और घुसपैठियों को पकड़ना सम्भव क्यों नहीं था ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :
(क) सरकार का ध्यान 11-6-70 (न कि 10-7-70) के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित दरभंगा में "चीन प्रशिक्षित एजेंट" नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) सरकार के पास अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है । फिर भी पूछ-ताछ जारी है ।

नक्सलवादियों द्वारा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में वृद्धि

970. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल से केन्द्रीय सरकार को मिलने वाली सूचना के अनुसार नक्सलवादियों ने परम्परागत हथियारों के स्थान पर आधुनिक आग्नेय हथियारों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है जैसा कि उनसे गोला बारूद की बरामदी से पता लगा है ।

(ख) यदि हां, तो नक्सलवादी किन साधनों से इन आग्नेय अस्त्रों को प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) सरकार ने उन साधनों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :
(क) और (ख) . ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार अवैधरूप से रखे गये आग्नेयास्त्रों तथा विस्फोटकों को बरामद करने के लिए अभियान चला रही है । आग्नेयास्त्रों तथा विस्फोटकों के सम्बन्ध में कानून को सख्ती से लागू करने पर बल भी दिया जा रहा है ।

साम्प्रदायिक संगठनों और नक्सलवादियों पर प्रतिबन्ध

971. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साम्प्रदायिक संगठन होने के नाते उस पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सोच रही है ;

(ख) क्या भारत में साम्प्रदायिक दलों पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर लगाने का विचार है अथवा अन्य संगठनों पर भी और यदि हां, तो अन्य संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नक्सलवादियों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यवहियां करने के कारण उन पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दोहरी नीति के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (घ). अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 की परिधि का उचित विस्तार करने के प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जब ऐसा कोई कानून अधिनियमित हो जायगा तो कानून की आरिष्टि के भीतर आने वाले संगठनों के बीच कोई भेद-भाव नहीं हो सकेगा।

श्रमिकों पर नक्सलवादियों का प्रभाव

972. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि नक्सलवादियों का विचार अपना प्रभाव क्षेत्र श्रमिकों तक बढ़ाने का है ;

(ख) क्या नक्सलवादियों ने पहिले से ही इस नये क्षेत्र में कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) इस सम्बंध में उग्रवादी नेताओं द्वारा दिये गये उपदेशों की केन्द्रीय सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग). गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैण्ड की राज्य सरकारों तथा दिल्ली और त्रिपुरा को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। पंजाब तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उग्रवादी कुछ आगे बढ़े हैं। आन्ध्र प्रदेश, केरल, असम की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैं कि इस क्षेत्र में उग्रवादियों ने कोई उल्लेखनीय प्रगति की है। बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा त्रिपुरा प्रशासन से सूचना अभी प्रत्याशित है।

देश को आजाद करने के लिये युद्ध की तैयारियां

973. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी वामपंथी) के प्रवक्ता पत्र "देशाब्रती" के अनुसार सारे भारत में तथा विशेष रूप से नेफा, असम तथा उत्तर बंगाल में देश को आजाद कराने के लिये गुप्तरूप से युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजादी के लिये युद्ध की तैयारी चीन के सीधे मार्गदर्शन के अधीन की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) ऐसे लेख ध्यान में आए हैं ।

(ख) उग्रवादियों तथा चीन के बीच सैद्धान्तिक सम्बन्ध मालूम हैं ।

(ग) अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है और उग्रवादियों की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अधीन कार्यवाही की जा रही है । अवैधरूप से रखे गये हथियारों, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों को बरामद करने के लिए नियमिति अभियानों का आयोजन किया जाता है ।

नक्सलवादी पत्रिकाओं पर प्रतिबन्ध लगाना

974. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों द्वारा प्रकाशित "देशव्रती" (बंगाली) तथा "लिब्रेशन" (अंग्रेजी) जैसी पत्रिकाओं पर अब प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) . साम्यवादी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) दल पहले दो मासिक तथा एक साप्ताहिक नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा था । बताया जाता है कि इन पत्रिकाओं तथा मुद्रणालयों के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप यह अब चोरी-छिपे अनियमित अन्तरालों में एक प्रकाशन निकाल रहा है ।

मिजो विद्रोहियों को नक्सलवादियों द्वारा सहायता

975. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा तथा भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ क्रियाशील मिजो विद्रोहियों को नक्सलवादियों द्वारा सक्रिय सहायता तथा आर्थिक सहायता दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने तथा उनके साथ नक्सलवादियों के सम्बन्धों को अस्तव्यस्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सरकार को उग्रवादियों द्वारा मिजो विद्रोहियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी है ।

(ख) कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय का स्थानान्तरण

976. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय को रांची से कलकत्ता स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन

977. **श्री हेम बरुआ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने सोवियत संघ में जून, 1970 में आयोजित विश्व आर्थिक विज्ञान सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या किसी संस्थान को इसमें भाग लेने के लिये सीधे ही निमंत्रित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उन संस्थानों तथा उनके प्रतिनिधियों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त सम्मेलन में भाग लिया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां । यह धारणा है कि जून, 1970 में रूस के नोवोसी बिर्स्क में हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था माडलिंग के सम्बन्ध में यह अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गोखले राजनीतिक तथा आर्थिक-संस्थान पूना के निदेशक, डा० पी० एन० माथुर इसमें सम्मिलित हुए थे । भारत से केवल वही व्यक्ति थे जिन्हें सम्मेलन में निमंत्रित किया गया था ।

"लिबरेशन" मासिक पत्र के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाना

978. **श्री क० लकप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने साम्यवादी क्रांतिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति के मासिक पत्र "लिबरेशन" के जनवरी अंक के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . दिल्ली प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अधीन "लिबरेशन" के जनवरी, 1970 के अंक की समस्त प्रतियां जब्त करने का आदेश निकाला है, क्योंकि इसमें ऐसी सामग्री पाई गई जिसका स्वरूप राजद्रोहात्मक है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-क के अधीन दण्डनीय है ।

कारवाड़ तथा मंगलौर पत्तनों का विकास

979. **श्री क० लकप्पा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य स्थित कारवाड़ तथा मंगलौर पत्तनों के विकास के लिये चौथी योजना में कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन पत्तनों में से किसी को बड़ा पत्तन घोषित करने का है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है । परन्तु भारत सरकार राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में जहां कहीं आवश्यक हो तकनीकी सहायता देती है और केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के लिये दीर्घ कालीन ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है । मैसूर राज्य से कारवाड़ पत्तन के बारे में प्रस्तावों को भेजने के लिये अनुरोध किया गया है । इनकी प्रतीक्षा की जा रही है । मंगलौर के सम्बन्ध में सरकार ने 24.30 करोड़ रुपये की अनुमति लागत पर एक बड़े पत्तन का निर्माण कार्य पहले ही मंजूर कर लिया है । कार्य पहले ही प्रगति पर है ।

(ग) मैसूर राज्य में मंगलौर पत्तन पर कार्य पूरा होने के बाद इसे बड़ा पत्तन घोषित किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देना

980 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी लोक-सभा में दिये गये आश्वासन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा वहां के संसत्सदस्य हिमाचल प्रदेश के लिये पूरे राज्य के दर्जे के लिये मांग करते आ रहे हैं, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस विषय पर लोक-सभा के इस सत्र में कोई विधेयक पेश किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने का निर्णय किया है । उस निर्णय को कार्यरूप देने के लिये एक विधेयक संसद में यथाशीघ्र पुनःस्थापित किया जाएगा ।

पर्यटन के लिए पर्वतीय स्थानों के विकास का कार्यक्रम

981. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के पर्वतीय स्थानों का विकास करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस उद्देश्य के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार, कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1970 तथा 1971 में इसका कितना अनुमान है;

(ग) इस यातायात में अग्रेतर वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) वाणिज्य उड़ान के लिये जम्बोजेट विमान का प्रयोग कब आरम्भ होने की संभावना है तथा इन्हें सेवा में लगाने के बाद यातायात में होने वाली वृद्धि के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार पर्यटक योजनायें भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर नहीं अपितु किसी स्थान के पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आर्कषण को दृष्टि में रखते हुये तैयार व क्रियान्वित करती है। तथापि पर्वतीय स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये चौथी योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किया गया है :

I. हिमाचल प्रदेश

कुल्लू-मनाली क्षेत्र और गोविन्द सागर में पर्यटन सुविधाओं का विकास। हिमाचल प्रदेश में एक युवा होस्टल के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

II. जम्मू और काश्मीर

गुलमर्ग में एक हिम-क्रोड़ा परियोजना पर काम चल रहा है। श्रीनगर में एक 'ध्वनि-व-प्रकाश' प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम का वहां 100 कमरों वाले एक होटल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। जम्मू में पटनीटाप में एक युवा होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन एक मोटल का पहले से ही निर्माण चल रहा है।

III. उत्तर प्रदेश

नैनीताल में एक युवा होस्टल खोलने की संभावना है।

IV. पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग जिले में एक युवा होस्टल खोलने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया सिक्कम में सिंगला बाजार से जोरथांग तक हवाई रज्जुमार्ग बनाने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) पिछले दो वर्षों में, तथा 1970 एवं 1971 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में निम्नलिखित वास्तविक अनुमानित वृद्धि हुई है :

वर्ष	**आने वाले पर्यटकों की संख्या**	**वृद्धि का प्रतिशत**
1968	1,88,820	5.2 प्र० श० वास्तविक
1969	2,44,724	29.6 प्र० श० वास्तविक
1970	2,81,000	15 प्र० श० } अनुमानित
1971	3,24,000	15 प्र० श० } अनुमानित

(ग) एक विवरण अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3809/70.]**

(घ) भारत में से होकर गुजरने वाली प्रथम जम्बो जेट उड़ान के 1970 के अन्त तक दिल्ली विमान क्षेत्र पर उतरने की संभावना है। बम्बई विमान क्षेत्र से एयर-इंडिया द्वारा पश्चिम के लिये अपनी जम्बो जेट सेवाओं को अप्रैल 1971 के आस पास प्रारम्भ करने की संभावना है। आने और जाने वाले यात्रियों के लिये सामान प्रबन्धक की यान्त्रिक सुविधायें, वायु पुलों, चलसोपानों (एस्केलेटरों) उच्चालित्रों (एलिवेटरों) और विशाल विश्राम-कक्षों की व्यवस्था की जा रही है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर स्वास्थ्य, आप्रवासन एवं सीमा-शुल्क के शीघ्र निपटारे के लिये अधिक काउन्टरों की व्यवस्था की जा रही है। यात्री यातायात में होने वाली सर्वतोमुखी वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति के उद्देश्य से वर्तमान टर्मिनल भवनों का विस्तार किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर नये टर्मिनल काम्प्लेक्सों के निर्माण की योजनायें भी बनाई जा रही हैं।

अराजपत्रित अधिकारियों की हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को हुई हानि

982. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको समाचार पत्रों में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री के इस आशय के वक्तव्य का पता है कि हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित अधिकारियों की हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को 50 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से हानि के अनुमान के बारे में ब्योरा मांगा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि यह हानि एक करोड़ रुपये से अधिक सिद्ध नहीं हुई तो क्या संबंधित अधिकारियों की गलत बयानी के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दावानल एक सामान्य वार्षिक लक्षण है। इस वर्ष असाधारण गर्म मौसम तथा लम्बे सूखे के कारण दावानलों की संख्या अपवादस्वरूप अधिक रही। 19 मई 1970 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने अग्निकाण्ड से वनों को बचाने के लिये लोगों से

अपील करते हुये एक वक्तव्य दिया था, जिसे मोटे तथा सहज अनुमानों के अनुसार 50 करोड़ रुपये की हानि में आंका गया । दावानल के कारण हुई हानि के सही-सही निर्धारण के लिये विस्तृत व सावधानीपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी । इस वक्तव्य ने जनता के सहयोग प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया तथा कुछ अराजपत्रित हड़ताली अधिकारियों ने भी अनुग्रहपूर्वक प्रतिक्रिया दिखाई और अग्नि बुझाने में सहायता की । हमने इन दावानलों से हुई हानि के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई विस्तृत पूछताछ नहीं की है ।

हिमाचल प्रदेश के स्कूल अध्यापकों के लिये संशोधित वेतनमान

983. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों के लिये पंजाब में लागू वेतनमानों की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस मामले को इतने लम्बे समय तक लटकाये रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब 1, फरवरी, 1968 से हिमाचल प्रदेश के नान-कमीशन्ड अधिकारियों को पंजाब में लागू वेतन मान देने का निर्णय 27 जून, 1970 को किया गया था तब अध्यापकों को भी नये वेतनमान 1 नवम्बर, 1966 के स्थान पर 1 फरवरी, 1968 से देने का निर्णय किया गया था यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया था जबकि 1 नवम्बर, 1966 से ये वेतनमान पाने का दावा न्यायोचित है ; और

(घ) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के स्कूलों व कालेजों के अध्यापकों को 1 नवम्बर, 1966 से पंजाब में लागू वेतनमान देने के मामले पर विचार करेगी, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक डा० धर्म तेजा से बकाया धनराशि की वसूली

984. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है जिसकी निधि का डा० धर्म तेजा ने दुर्विनियोग किया था ;

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध दीवानी मामलों के निर्णय के बाद डा० धर्म तेजा से धनराशि की वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा उनके विरुद्ध हुई डिग्री का कितना रुपया उनसे वसूल कर लिया है ; और

(ग) जयन्ती शिपिंग कम्पनी इस समय किस रूप में चल रही है, उसकी ओर कितना ऋण शेष है तथा सरकार द्वारा लगाये गये धन का कितने प्रतिशत भाग वसूल किया जा चुका है ?

संसदकार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आस्तियां तथा दायित्व डा० तेजा तथा दूसरों से धन की वसूली के लिये निलम्बित दीवानी मामलों पर निर्णय हो जाने पर और इन राशियों की वसूली के मामलों के तय हो जाने के बाद ही अभिनिश्चित किये जा सकते हैं परन्तु कम्पनी नये प्रबन्ध के अन्तर्गत लाभदायक रूप से चलाई जा रही है ।

(ख) अभी तक डा० तेजा के विरुद्ध दो डिक्रियां, एक 15.66 लाख रु० और ब्याज के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय से और दूसरी 82.94 लाख रु० और ब्याज के लिए बम्बई उच्च न्यायालय से प्राप्त की गई है, नया प्रबन्ध इन डिक्री वाली राशियों की वसूली के लिये डा० तेजा के शेयर जिनका मूल्य 2,12,47,200 रुपया है जो भारत में उनकी ज्ञात परिसम्पति है के बिक्री के वसूल करने के लिये कदम उठा रहा है । परन्तु डा० तेजा पर 2,23,45, 139 रु० आयकर बकाया है जिसका जयन्ती के दावे के ऊपर प्राथमिकता है । इस लिये शेयरों की बिक्री से प्राप्ति पहले आयकर दावे को पूरा करने की ओर दिया जायेगा । दीवानी मामलों के अलावा निम्नलिखित रकम डा० तेजा से पहले वसूल कर ली गई है :

(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया लन्दन में डा० तेजा के खाते में पड़ी रकम 310713-5-6 पो०

(2) 46383.70 रु० डा० तेजा के शेव्रो लेट मोटर कार की बिक्री से ।

(ग) कम्पनी अब जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत नियुक्त बोर्ड आफ कन्ट्रोल द्वारा चलाई जा रही है और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया प्रबन्ध एजेन्ट के तौर पर प्रबन्ध चला रही है । सरकार द्वारा इस कम्पनी में कोई धन नहीं लगाया गया है । परन्तु सरकार ने 28.00 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है जिसमें से 22,90,28,564 रु० अब तक दिये जा चुके हैं और कम्पनी से देय अब तक की अदायगी की रकम अर्थात 4,82,66,160 रु० पूरी तौर से दिया जा चुका है और यह दिये गये ऋण का 21 प्रतिशत आता है । कम्पनी के पास इस समय 18,07,62,404 का अधिशेष है जिसे सरकार को निर्दिष्ट किस्तों में दिया जाना है ।

साम्प्रदायिक दगों की सम्भावना वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पुनः तैनात करना

985. **डा० राम सुभग सिंह :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगों की सम्भावना वाले क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के लिये राज्यों की सहायतार्थ वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पुनः तैनात करने के लिये तत्कालीन

गृह-कार्य मंत्री के प्रस्ताव के उत्तर में, किन किन राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ;

(ख) क्या ऐसी सहायता का प्रस्ताव राज्यों में पुलिस की अपर्याप्त संख्या और या उसकी अयोग्यता अथवा किसी अन्य कारण से किया गया था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों को प्रत्येक राज्य में उपयुक्त स्थानों पर रखा जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यकता के समय तुरन्त ही तैनात किया जा सके ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). साम्प्रदायिक समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिये कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ दिल्ली में 23 मई, 1970 को हुई बैठक में यह महसूस किया गया कि देश में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । पिछले लगभग 3 वर्षों में देश में साम्प्रदायिक हिंसा का अध्ययन किया गया है और उनके परिणाम राज्य सरकारों को सूचित कर दिये गये हैं । उनसे विशेष रूप से नाजुक क्षेत्रों का पता लगाने के लिये अपने राज्यों के सम्बध में ऐसे अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है । उन्हें यह बतला दिया गया है कि उनके निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार भी विचार करेगी कि आसूचना के मामले में तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रक्षित सैन्य के स्थान के बारे में आगे क्या कार्यवाही करनी आवश्यक है ताकि साम्प्रदायिक समस्या से निपटने में राज्य प्राधिकारियों को अधिकतम सहायता दी जा सके ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के स्तर में गिरावट

986. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियमित रूप से भर्ती होने वालों के स्तर में गत कई वर्षों से बड़ी गिरावट आ रही है जैसा कि प्राक्कलन समिति के सामने गृह-कार्य मंत्रालय ने स्वीकार किया है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग के समक्ष दिये गये साक्ष्य में भी उनका सत्यापन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में और, अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये होनहार युवा स्नातकों की उपलब्धता के बारे में सरकार द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की परीक्षा में बैठने वाले प्रथम श्रेणी के स्नातकों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट हो रही है । यह गिरावट भारतीय प्रशासनिक सेवा में भरती किये गये अधिकारियों में भी दिखाई देती है ।

(ख) प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सेवा से आकर्षित न होने के कारण सेवा में विशेषतः आरम्भ के वर्षों में अनाकर्षण पारिश्रमिक तथा प्रोन्नति के अवसर हो सकते हैं । सेवा को अधिक आकर्षक बनाने के लिये सेवा वेतन ढांचे में संशोधन करना अनिवार्य होगा और यह प्रश्न वेतन

आयोग के विचाराधीन है । इसी बीच राज्य सरकारों को उन अधिकारियों को, जो उप-मण्डल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, निःशुल्क आवास तथा जिलाधीश / कलक्टर के रूप में नियुक्त किये गये अधिकारियों को निशुल्क मकान अथवा उसके स्थान पर 200 रु० विशेष वेतन जैसी सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है ।

प्रोन्नति के मामले में विभिन्न संवर्गों में अवरोध को दूर करने की दृष्टि से भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रवरण श्रेणी पदों की संख्या के लिये न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर राज्य के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पदों का प्रतिशत 5 से 15 किया जा रहा है ।

सेवा में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये उपाय

987. **श्री क० मि० मधकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व भारतीय प्रशासन सेवा में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये मंडलीय आयुक्त (केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी का) वेतनमान 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,500-2,700 रुपये कर दिया गया था परन्तु यह निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि भारतीय प्रशासन सेवा में नये अभ्यर्थी इस श्रेणी में कम से कम 20 वर्ष की सेवा करने से पूर्व नहीं आ सकते हैं ;

(ख) क्या इस अनुभव के बाद भी सरकार हाल ही में उसी आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के पदों (रुपये 1800-2000) को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है किन्तु इस मामले में भी नए अभ्यर्थियों को यह ग्रेड लेने के लिये कम से कम 16 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे केवल उच्च श्रेणी के अधिकारियों को लाभ नहीं होगा और नए अभ्यर्थियों की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इतनी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डिवीजनल कमिश्नर का वेतनमान (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का) पहली सितम्बर, 1965 से पद की जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण 2,250 रुपये के निश्चित वेतन से बढ़ाकर 2500-125/2-2750 रु० कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में अवरोध को दूर करने और विभिन्न राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर को समान करने के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवरण ग्रेड (1800-2000 रु०) में पदों की संख्या 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है । चूंकि अवरोध को दूर करने तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों को उन्नत करने के लिये ये उपाय किये गये हैं, इनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की कोटि से सीधा सम्बन्ध न होते हुये भी उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें

988. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह यह सच है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में गठित अध्ययन दल ने प्रथम तथा उच्च द्वितीय श्रेणी के स्नातकों के लिये भारतीय प्रशासन के सेवा की एक विशेष परीक्षा की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में से अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये 20 प्रतिशत के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि उनमें से अधिकांश योग्यता में अपेक्षाकृत कम हैं तथा दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था के कारण भारतीय प्रशासनिक के सेवा में लिये जाते थे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक यह योजना समाप्त क्यों नहीं की है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिश में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया है कि गैर-तकनीकी श्रेणी-1 सेवाओं के लिये प्रथम श्रेणी के स्नातकों की एक विशेष प्रतियोगिता परीक्षा ली जानी चाहिये । प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश की जांच की जा रही है ।

(ग) अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये 20 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण या तो समाप्त कर दिया जाय या उसे कम कर 10 प्रतिशत कर दिया जाय ।

(घ) चूंकि आरक्षण 1966 की परीक्षा से आरम्भ होने वाले केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है अतः उसे समाप्त न करने का निर्णय किया गया है ।

बम्बई फ्लांइग क्लब के प्रशिक्षण विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

989. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई फ्लाइंग क्लब का प्रशिक्षण विमान 8 जून, 1970 की रात्रि को बम्बई से 80 मील दूर दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था जिसमें मुख्य प्रशिक्षण चालक और एक प्रशिक्षणार्थी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिये जांच कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दुर्घटना की नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।

तिरुपति में हवाई अड्डा

990. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में तिरुपति के स्थान पर एक नये अवाई अड्डे के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य सम्भवतः कब तक आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) यह हवाई अड्डा उड़ानों के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य के इससे सम्बन्धित नियम विषयक (कोडल) औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

(ग) अभी इस स्थिति में, अवाई अड्डे के परिचालन के लिये तैयार हो जाने की तारीख देना सम्भव नहीं है ।

(घ) सरकार ने इस परियोजना के लिये प्रशासकीय अनुमति प्रदान कर दी है तथा इसके लिये 33, 83,150 रुपये के अनुमानित व्यय की मंजूरी दे दी है ।

सीमा सुरक्षा दल और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों के मध्य भिड़न्त

991. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जून, 1970 को उत्तरी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पश्चिमी दिनाजपुर जिले में सिधाई बाहरी चौकी के निकट सीमा सुरक्षा दल और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के मध्य गोलीबारी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सैनिक सीमा सुरक्षा दल के दो जवानों को पकड़ कर ले गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). 9 जून 1970 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किन्तु 10 जून, 1970 को लगभग 12.30 बजे सीमा सुरक्षा दल के 7 कर्मचारी पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों के साथ भारतीय भूमि में वेस्ट दिनाजपुर जिले के हिली पुलिस थाने के अन्तर्गत दुमकल में उस क्षेत्र की कुछ भूमि में खेती करने के अधिकार के बारे में भारतीय तथा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बीच एक विवाद को हल करने के लिये एक बैठक कर रहे थे। अचानक तथा किसी प्रकार की बना उकसाहट के पूर्वी पाकिस्तान के दल ने अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की सहायता से, जो उसके साथ आये थे, सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर आक्रमण कर दिया और उनमें से दो को, एक हेड कांस्टेबल तथा एक अन्य कांस्टेबल को सीमा के पार पाकिस्तान को खींच ले गये। पूर्वी-पाकिस्तान का दल अपने साथ भारतीय सीमा सुरक्षा दल की टीम के गोला बारूद सहित 4 राइफलें तथा एक स्टेनगन भी उठा ले गया। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा दल की पार्टी को जख्मी करने के अलावा पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स की टीम ने गोली भी चलाई और सीमा सुरक्षा दल के एक कर्मचारी को बन्दूक की गोली से घायल भी किया।

पश्चिम बंगाल सरकार तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा पाकिस्तान में अपने समकक्ष स्तरों पर कड़े विरोध-पत्र भेजे गये। परराष्ट्र मंत्रालय ने भी भारतीय सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर आक्रमण के विरुद्ध भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त को केन्द्रीय सरकार के स्तर पर एक विरोध-पत्र दिया और भारतीय कर्मचारियों को अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ तत्काल मुक्त करने की मांग की। पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में 'ड्रिल' पर प्रतिबन्ध

992. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक लोगों द्वारा 'ड्रिल' पर प्रतिबंध लगाने तथा इस उद्देश्य के लिये सर्व प्रथम दिल्ली नगर को ही चुने जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत तीन वर्षों में कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई है ; और

(ग) क्या खेल-कूद तथा सामूहिक गान भी "ड्रिल" के अंतर्गत आते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह सूचना मिलने पर कि किसी धार्मिक वर्ग अथवा समुदाय के सदस्यों द्वारा शारीरिक ड्रिलों के आयोजन से देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक उपद्रव द्वारा दिल्ली में उत्पन्न तनाव में वृद्धि होने की आशंका है, जिला मजिस्ट्रेट ने 25 जून 1970 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एक आदेश जारी किया है।

(ख) सांप्रदायिक तनाव की कुछ मामूली घटनाएं तथा मामले हुये हैं।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में जैसा कहा गया है, उक्त निषेधाज्ञा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा ऐसे स्थल पर जहां जनता के लोगों को पहुंचने का अधिकार है, ऐसी शारीरिक ड्रिलों के आयोजन पर लागू होती है जो चाहे वर्दी में हों अथवा बिना वर्दी के और चाहे लाठियों अथवा किसी अन्य हथियार अथवा किसी हथियार की तरह दिखाई देने वाले किसी पदार्थ के साथ अथवा इनके बिना हो। यह निषेधाज्ञा प्रतिरक्षा सेना, पुलिस इत्यादि के सदस्यों तथा स्कूलों अथवा कालेजों के छात्रों पर, जिनके लिये अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में ऐसा प्रशिक्षण पाना अपेक्षित होता है तथा व्यायामशील तथा खेल-कूद संगठनों के सदस्यों पर लागू नहीं होती है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमानों का लाभ

993. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें पंजाब में लागू वेतनमानों का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उन्हें यह लाभ न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन कर्मचारियों की भावनाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को 1-2-1968 से पंजाब के संशोधित वेतनमान दिये गये हैं। किन्तु लगभग 629 कर्मचारी ऐसे हैं जो ऐसे पद धारण किये हुये हैं जिनके तदनुरूप कोई पद पंजाब सरकार के अधीन नहीं हैं। चंडीगढ़ प्रशासन उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार के अधीन समान कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों वाले पदों के साथ इन पदों का समीकरण करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों की मांगें

994. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी हड़ताल की अवधि को विशेष अवकाश अवधि माना जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की ओर से कोई ऐसी मांग या ऐसा कोई मामला है जो अभी तक तय नहीं किया गया हो, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि जहां तक उनका सम्बन्ध है हड़ताल की अवधि के लिये कार्यप्रभारी तथा अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देने के लिये कर्मचारियों की मांग को छोड़कर अराजपत्रित कर्मचारियों का कोई अन्य मामला अथवा मांग हल होना शेष नहीं है ।

Contacts of Government Employees with R. S. S.

995. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Government employees have direct contacts with R. S. S. and they attend the R. S. S. Shakhas regularly;

(b) whether Government have drawn up a plan in order to prevent them from taking part therein;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the results achieved so far?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Instructions were issued in November, 1966, to the effect that participation in the activities of the R. S. S. S. by a Government servant would attract the provisions of rule 5 (1) of the C. C. S. (Conduct) Rules, 1964 and that any Government servant who is a member of, or is otherwise associated with, the R. S. S. S. or with their activities is liable to disciplinary action. Those instructions have been reiterated.

Appropriate action is taken by the Ministries/Departments concerned against Government servants who come to notice for violation of these instructions.

उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी पर्वतीय राज्य बनाया जाना

996. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न दलों के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कुमांऊ और गढ़वाल के आठ जिलों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सरकार ने वह समाचार देखा है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों का इस आधार पर एक स्वायत्त राज्य गठित करने के लिये मांग की गई है कि पहाड़ी क्षेत्रों का संतोषजनक आर्थिक विकास नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पर्वतीय विकास मण्डल का गठन किया है और वह पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है ।

Construction of Bridge over River Ganga near Patna

997. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foundation of a road bridge to be constructed on the river Ganga in Patna has been laid on the 19th June, 1970;

(b) whether it is also a fact that an expenditure of Rs. 23 crores and 50 lakhs is likely to be incurred thereon ;

(c) if so, whether the Central Government are also prepared to bear some expenditure on the construction of the bridge and the amount to be borne in this regard ; and

(d) the number of years likely to be taken in its completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The State Government who are primarily concerned with this project have intimated that they have accorded administrative approval to this project at an estimated cost of Rs. 23.5 crores.

(c) It has been agreed to give a non-plan loan for meeting 50% of the expenditure on the bridge during the Fourth plan period, subject to a maximum of Rs. 4.5 crores. The State Government have estimated that the project may cost Rs. 23.5 crores.

(d) The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Central School at Samastipur

998. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Divisional Superintendent's Office is located at Samastipur on the North Eastern Railway, where thousands of Railway workers are working and putting up ;

(b) whether it is also a fact that keeping in view the number of the Railway workers, the Ministry of Railways has submitted a proposal to his Ministry or to the Central School Organisation in connection with the setting up of a Central School there ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Ministry of Railways, on 16-2-1970, submitted a proposal for opening a Kendriya Vidyalaya at Samastipur, as 5,000 Railway employees are residing there and over 2,200 children of Railway employees are getting education in the existing institutions.

(d) The proposal is under the consideration of the Government.

Laying of Foundation Stone of a Road Bridge over Ganga near Patna by Prime Minister

999. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 19th June, 1970, the Prime Minister had laid the foundation stone of a road bridge to be constructed over river Ganga near Patna;

(b) if so, the amount spent by Government thereon;

(c) whether it is also a fact that some trees were cut in order to make the foundation spot a square;

(d) if so, the number thereof and the amount spent thereon; and

(e) what was the justification of spending a huge amount on the sequence of foundation-stone?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) to (e). The requisite information is being collected from the State Government and it will be laid on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली के लिये पुलिस कमिश्नर

1000. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पुलिस कमिश्नर पद्धति आरम्भ करने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो खोसला आयोग के प्रतिवेदन की इस विशिष्ट सिफारिश को कार्यान्वित करने में असाधारण देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली संसद के लिये निर्वाचित अधिकतर प्रतिनिधियों ने दिल्ली में पुलिस कमिश्नर पद्धति आरम्भ करने का समर्थन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करके पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). दिल्ली में एक पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने के प्रश्न पर खोसला आयोग की सिफारिश का दिल्ली के तीन संसद सदस्यों द्वारा, जो आयोग के समक्ष उपस्थित हुये थे, समर्थन किया गया । चूंकि इस सिफारिश में अनेक जटिल तत्वों की जांच करनी है, अतः सरकार इस पर अभी तक विचार कर रही है ।

ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)
Re. CALLING ATTENTION (QUERY)

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने आपसे एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आज किस प्रकार हो सकती है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह पश्चिमी बंगाल के विषय में है। आज शुक्रवार है और यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। एक ही दिन संध्या को दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये अनुमति देने की प्रक्रिया हमारे यहां नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसा कई बार हुआ है। यह आश्चर्यजनक बात है कि आप तथ्यों के विरुद्ध बात कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या एक ही दिन में पहले कभी दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वाद-विवाद हुआ है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : कई बार ऐसा हुआ है। एक पर चर्चा निर्धारित समय पर हुई है और दूसरे पर मध्याह्न पश्चात्। यह बंगाल के विषय में एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को अपने विचार व्यक्त करने चाहिये। उन्हें संसद को बताना चाहिये कि वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। बंगाल में शीघ्र चुनाव कराने की घोषणा नहीं की जा रही है। इससे दूसरे दलों की बडी विचित्र स्थिति हो रही है

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी विमान का कथित अतिक्रमण

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रतिरक्षा-मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जैसलमेर में नव-निर्मित हवाई अड्डे के फोटो लेने के लिये भारत के इस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तानी विमान द्वारा अतिक्रमण का समाचार।"

प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जैसलमेर हवाई अड्डे के क्षेत्र के फोटो लेने के लिये पाकिस्तानी विमान द्वारा भारती क्षेत्र के कथित अतिक्रमण की जांच की है। इस वैमानिक अतिक्रमण से सम्बन्धित रिपोर्ट में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है।

श्री बलराज मधोक : देश के सभी समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और यह स्थानीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित थी। आपको जिस ढंग से सूचना प्राप्त

हुई है, उसमें कुछ कमी नजर आती है । पाकिस्तान हमारा एक शत्रु राष्ट्र है और वह एक तानाशाह के अधीन है । ऐसे शासक जब उनके देश में कठिन स्थिति होती है तो जनता का ध्यान ऐसी कार्यवाहियों द्वारा दूसरी ओर आकर्षित करते हैं । पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव निकट आ रहे हैं । अतः जो शक्तियां हैं वे सब भारत विरोधी, हिन्दू विरोधी प्रचारों में लगी हुई हैं । ऐसी सूचनाओं से पाकिस्तानी प्रेस भरपूर हैं । वे शक्तियां हमारे देश के विरुद्ध अपनी आक्रामक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं । अभी एक सभा से, जो कि भारतीय क्षेत्र में हो रही थी, पाकिस्तानी हमारे दो जवानों को उठाकर ले गये । कश्मीर में भी उनकी आक्रामक गतिविधियां पनप रही हैं । पाकिस्तान तथा चीन में गठबन्धन हुआ है, मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान तथा चीन मिलकर संकट उत्पन्न करेंगे । बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने योग्य आप नहीं हैं । आप देश की प्रतिरक्षात्मक तैयारी के विषय में कुछ भी कहें परन्तु स्थिति कुछ और ही है । उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में मैं निम्नलिखित प्रश्न करना चाहता हूं :

सर्वप्रथम यह कि क्या 1965 में युद्ध विराम होने के पश्चात् पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया है ?

क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के कुछ निवासी पीर-पगारों तथा मौलाना मसूदी के प्रभाव में हैं ?

क्या यह भी सच है कि 1965 के युद्ध काल में पीर पगारो ने एक फतवा जारी किया था कि उन्हें पाकिस्तान की तरफदारी करनी चाहिये और मौलाना मसूदी ने भी एक फतवा जारी किया था कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफदारी करनी चाहिये और इन्हीं फतवों के कारण ही इन लोगों ने पाकिस्तान की तरफदारी की .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जैसलमेर क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तानी विमान की उड़ान का है परन्तु आप पाकिस्तान के सम्बन्धों को ले बैठे हैं । मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बलराज मधोक : यह बहुत ही संगत प्रश्न है । जैसलमेर का क्षेत्र जिसके कुछ भाग पर पाकिस्तान ने अधिकार जमा लिया है, बहुत ही सामरिक महत्व का क्षेत्र है । हमने जो कुछ भी तैयारी की है, सब कुछ पाकिस्तान को पता है । पाकिस्तान की युद्ध जैसी तैयारियों, भारत विरोधी प्रचार तथा जैसलमेर क्षेत्र के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुये राजस्थान तथा गुजरात की सीमाओं की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : विमान द्वारा अतिक्रमण के विषय में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से हम सहमत हैं । परन्तु मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान क्षेत्र विशेषकर जैसलमेर का सम्बन्ध है, 1 जनवरी 1970 से विमान द्वारा अतिक्रमण बिलकुल नहीं हुआ है । उतरी भाग में कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं, जैसलमेर क्षेत्र में नहीं ।

जहां तक राजस्थान क्षेत्र की रक्षा का सम्बन्ध है, हमने न केवल हवाई अडडे की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं, बल्कि सीमा क्षेत्रों के लिये भी कदम उठाये हैं ।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : Having suffered defeat in Punjab in the war of 1965 Pakistan is making war-line Preparations on a grand scale to attack on Rajasthan borders. Aerodrome in Jaisalmer has been newly constructed and this is also situated in that area. I would like to know from the Hon. Minister, whether it is not a fact that during the war of 1965 Pakistan planes had been frequently intruding into Indian Terirtory near Jodhpur and they dropped near about 200 bombs there and after that an Anti aircraft gun was installed there ?

As the Hon. Minister has stated that there has been certain incidents of air intrusion in northern sector and if it is a fact have the Government issued instructions to our Military officers and engineers to shootdown the intruding planes ; and if so, has there been any such incident, if not, the reasons therefor ?

Secondly, Have the top officials of the Army, particularly of Rajasthan sector, informed the Government regarding a large number of Pakistani Spies working in the border areas and no secret of the Government is hidden to them ? What action you are taking to put an end to such spying activities ?

Shri Narendra Singh Mahida : We have issued instructions to our Air Force according to the norms of International behaviour, that is, as the plane enters our borders that may be shot down.

Shri Prakash Vir Shastri : Has there been any such instance ?

Shri Narendra Singh Mahida : As per civilized behaviour the plane is warned first to come down and if the warning goes unheeded, then we shot it down.

As regards the army intelligence, we have got it and our defence services are fully conscious of that. You need not worry on that account.

Shri K. N. Tiwary : (Bettiah) : Mr. Speaker, the Hon. Minister has denied air intrusion over Jaisalmer but it was reported in 'Indian Express' that "the plane flew for some time over the newly constructed aerodrome in Jaisalmer. According to the informed circles here, the plane came at night. The matter has been referred to the Centre."

In view of the above, I would like to know whether the Centre has received any communications from Rajasthan Government regarding the intrusion by the plane at night ; and whether any inquiry into the matter has since been made ? If so, whether the inquiry has been conducted by the Centre or the State Government and whether the people of the area were also contacted in order-to ascertain the basis of the report published in the paper ?

Secondly, whether Pakistan has made serveral air violations during last years ; if so, what action Government has taken in that regard ?

Shri Narendra Singh Mahida : We have asked about the incident from Rajasthan Government. They have denied such happening on the basis of enquiry conducted and study made by the Defence Service Officers, Civil Service Officers and the Police Officers. The report appeared in the press, therefore, does not appear to be correct.

I have already said that since January 1970 there has been no air violation in Rajasthan. There have been such incidents in Northern Sector and we have protested diplomatically

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : भारत और पाकिस्तान के मध्य राजस्थान क्षेत्र में 644 मील लम्बी रेतीला सीमावर्ती क्षेत्र है। क्या सरकार को सीमा के उस पार आक्रामक गतिविधियों के बारे में पता चला है ? हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री ने वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है क्योंकि वे समझते हैं, सीमा के उस पार की गतिविधियों के विषय में केन्द्र को जानकारी देना उनका दायित्व है। आश्चर्य की बात है कि राज्यमंत्री यह कहते हैं कि उन्हें मुख्य मंत्री से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

क्या सरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करेगी कि सीमा के उस पार क्या गतिविधि है । सेना में भर्ती की जा रही है, मुजाहिदों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नयें हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं तथा सड़कें बनाई जा रही हैं । क्या मंत्री महोदय इन बातों से इन्कार कर सकते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : वहां पर सामान्य गतिविधियां जारी हैं । ऐसी गतिविधियां दोनों ओर चल रही हैं । यह चिन्ता का विषय नहीं है । राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री के विषय में हमने जो कुछ समाचार पत्रों से पढ़ा है, हमारे पास वही जानकारी है । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सरकार सीमा के उस पार की गतिविधियों को सामान्य गतिविधियां कह कर ही छोड़ देगी ?

श्री जगजीवन राम : ऐसी बात नहीं है । हमें सभी सीमाओं के विषय में यह जानकारी रखनी होती है कि कौन सी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, कौन से हवाई अड्डे तथा अन्य क्या तैयारियां वे कर रहे हैं । और दूसरी ओर की तैयारियों को देखते हुए हमें अपने यहां भी तैयारियां करनी होती हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दो बातें कही हैं । पहली यह कि राजस्थान में कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है दूसरे यह कि हमारे पास राडार सुविधायें उपलब्ध हैं । जहां तक हमें पता है, जैसलमेर में कोई राडार नहीं है । यह एक नया हवाई अड्डा है और यहां अभी राडार लगाया जाना है । शत्रुओं के जो हैलीकोप्टर सीमा अतिक्रमण करते हैं, वे अपने पीछे कोई चिह्न नहीं छोड़ते हैं । जब वहां राडार है नहीं और हैलीकाप्टर कोई चिह्न छोड़ते नहीं, तब यह किस प्रकार जाना जा सकता है कि कोई हैलीकाप्टर आया अथवा नहीं ?

दूसरे, राजस्थान के गृह मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में बताया है कि ये पर्चे चीनी भाषा में हैं और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को जानकारी प्राप्त करने के लिये दे दिये गये हैं। तब मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि कोई अतिक्रमण ही नहीं हुआ ? मेरा प्रश्न यह है कि :

क्या जैसलमेर हवाई अड्डे पर कोई राडार है ? और क्या गत 2 मासों में राजस्थान में कहीं कोई अतिक्रमण हुआ है ? मंत्री महोदय इस विषय में जानकारी प्राप्त करें और सदन में वक्तव्य दें क्योंकि वायुयान के अन्दर हैलीकाप्टर भी आते हैं । मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या चीनी भाषा के पर्चे जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर बाड़मेर में डाले गये और क्या इनमें से कुछ पर्चे जानकारी प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को दे दिये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसलमेर हवाई अड्डे पर राडार लगाया हुआ है । सभी यंत्रों के विषय में तो मैं बता नहीं सकता पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि जैसलमेर में राडार है ।

जहां तक चीनी भाषा के पर्चों का सम्बन्ध है, हम जांच करा रहे हैं और जांच के परिणामों से आपको सूचित करेंगे ।

श्री न० कु सांघी (जोधपुर) : यद्यपि मैं सत्ताधारी दल का सदस्य हूं तो भी भ्रामक कथन को ठीक करना मेरा कर्त्तव्य है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आपका नाम बैलट में नहीं है।

श्री न० कु० सांघी : मुझे कृपया एक मिनट का समय दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम बैलट में नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : I request you not to take this matter lightly. The question involves the defence of the country and whole of the House is interested to know about the incident of the plane which dropped leaflets in Chinese over certain areas of Rajasthan.. (**Interruptions**).

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, I totally agree with you that the members whose names appear in the ballot will be allowed to speak. But this is an exceptional matter since it is concerned with the defence of the country. The reply given by the Minister concerned is factually wrong. The leaflets were dropped by a helicopter over certain areas of Rajasthan. The leaflets have been distributed here but you are not permitting the same to be laid on the Table of the House.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि जब कि महत्व के विषय पर मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यों के प्रतिकूल होता है तो उसको बताना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यदि कोई सदस्य इस प्रकार के प्रतिकूल वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहता है तो वह अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। इस संबन्ध में स्मरण कराना सदस्यों का कर्तव्य है। श्री नरेन्द्र सिंह महीडा ने कहा है कि कोई पर्चे नहीं बांटे गये परन्तु माननीय सदस्य के पास उनमें से एक पर्चा उपलब्ध है जो उन्होंने अभी आपको दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैंने यह नहीं कहा है कि पर्चे नहीं बांटे गये। मैंने केवल इतना ही कहा है कि मामले की जांच की जा रही है।

श्री न० कु० सांघी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं खड़ा हुआ हूं वह व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े नहीं हो सकते।

दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में से एक के लिये अनुमति दी गई। मैंने अपने सचिवालय से पूछा था कि क्या दोनों प्रस्तावों को एक साथ लिया जा सकता है, सचिवालय से यही उत्तर मिला कि क्योंकि वे दोनों अलग अलग स्थानों के विषय में हैं अतः दोनों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य मुझसे मिले थे मैंने उनसे यही कहा कि दूसरे लोगों के साथ आपका नाम भी बैलट में दिया जायगा परन्तु बैलट में उनका नाम नहीं आ सका। माननीय सदस्य फिर मेरे से मिले और मैंने उत्तर दिया कि खेद है आपका नाम बैलट में नहीं आ सका। इसके पश्चात भी मैंने श्री नरेन्द्र सिंह महीडा से बातें कीं और उनसे कहा कि श्री सांघी का नाम बैलट में नहीं आया है, उनका नाम भी सम्मिलित कर लिया जाय। इसके पश्चात् भी यदि नियम उल्लंघन करें और अन्य सदस्य उनकी सहायता करें तो…

श्री कंवर लाल गुप्त : यह देश की सुरक्षा का मामला है। माननीय सदस्य तथ्यों को छिपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। वह इस विषय में जांच करायेंगे और मामले का पता करेंगे और सदन को बतायेंगे। मैं इस समय केवल इतना ही कर सकता हूं कि मंत्री महोदय से इस विषय पर बाद में एक वक्तव्य देने के लिए कहूं।

श्री जगजीवन राम : मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। शायद उससे मामला स्पष्ट हो जाय। राज्य मंत्री ने यह कहा है कि जांच कराने से यह पता चला है कि पाकिस्तानी वायुयान द्वारा सीमा अतिक्रमण का समाचार आधारहीन है। उसके पश्चात् चीनी पर्चे बांटे जाने का प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न जैसलमेर क्षेत्र के विषय में है। इसके सम्बन्ध में राज्य मंत्री जी ने यह बताया है कि हम जांच कर रहे हैं। जब तक जांच पूरी न हो जाय, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि इससे इन्कार किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

श्री बलराज मधोक : साफ साफ इसका खण्डन करने की बजाय मंत्री महोदय यह कह सकते थे कि हम मामले की जांच करा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : रिकार्ड देखिये।

श्री जगजीवन राम : जहां तक मैं सुन पाया हूं। उन्होंने यही कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My point of order is that the matter regarding distribution of leaflets in Chinese is not new to this House. Such a leaflet was presented in the House and the questions were also asked prior to the present debate, therefore, I request you to allow the facts to be presented before the reply of the defence Minister.

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य प्रस्ताव पर ऐसा किया जा सकता है। इस समय नहीं।

Shri Madhu Limaye : We are here for the service of the nation. If today Shri Sanghi wants to be of service to the country, then you need not be so meticulous regarding procedures. Will heavens fall, if you allow him to speak for one minute.

अध्यक्ष महोदय : खेद है, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The defence of the country is envolved in this matter, therefore it would be helpful for us and to the Minister as well if we listen to Shri Sanghi for a minute. There is no harm in that.

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय सूचना प्रस्तुत करेंगे कि अनुमति दी जा सकती है।

Shri Randhir Singh : What is the harm if you allow him here and now? (**interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जब सूचना प्रस्तुत करेंगे तभी ऐसा किया जा सकता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (क) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) एस० आर० ओ० 40, जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 7 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 74 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) नौसेना (पेंशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1967, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 22 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौसेना (पेंशन) (सातवां संशोधन) विनियम, 1968, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 217 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नौसेना (पेंशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 159 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नौसेना (पेंशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1969, जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 161 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3784/70]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित विवरण, जिनमें चौथी योजना लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दर्ज हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायी गई है, सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 2,3 और 4	दसवां सत्र, 1970
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 5 और 6	नवां सत्र, 1969
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 8	आठवां सत्र, 1969
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 18	सातवां सत्र, 1969
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 13	छठा सत्र, 1968
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 20	पांचवां सत्र, 1968
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 26	चौथा सत्र, 1968
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या 20	तीसरा सत्र, 1967
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या 28	दूसरा सत्र, 1967

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3785/70]

जादवपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, इत्यादि

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जादवपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 14) की एक प्रति, जो दिनांक 30 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3786/70]**

(2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1968-69, के प्रामाणिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3787/70]**

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3788/70]**

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3789/70]**

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम इत्यादि

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(1) मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1970 की एक प्रति जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 633 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण और अधिसूचना को पुनः सभा-पटल पर रखने के कारणों का टिप्पण पुनः सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3790/70]**

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) संविधान अनुच्छेद 350ख के खण्ड (2) के अन्तर्गत भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक की अवधि के लिये 11वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3791/70]**

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3792/70]**

(ख) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 674 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 675 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 676 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 677 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 678 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 679 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 680 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 681 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 682 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 683 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 684 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 689 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 758 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 813 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का छठा संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक, 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 814 में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) पहला संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 815 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) जी० एस० आर० 816 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। और जिसमें अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2120, दिनांक 6 सितम्बर, 1969 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(अट्ठारह) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) पहला संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 876 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 877 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 878 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का सातवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 912 में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 913 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 914 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 916 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का चौथा संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 917 में प्रकाशित हुआ था।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 13 जून,

1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 918 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताईस) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 939 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्हाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 940 में प्रकाशित हुआ था ।

(उन्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का पांचवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 941 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 942 में प्रकाशित हुए थे ।

(इकत्तीस) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 974 में प्रकाशित हुए थे ।

(बत्तीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 976 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेंतीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) पहला संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1011 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) पहला संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1012 में प्रकाशित हुए थे ।

(पैंतीस) जी० एस० आर० 1014 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 2 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 678 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(छत्तीस) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2211 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3793/70]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा 29 जुलाई, 1970 को हुई अपनी बैठक में विशेष विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968 में लोक सभा द्वारा 20 मई, 1970 को किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति एक में,—

"Nineteenth" **"उन्नीसवें" के स्थान पर** "Twenty First" **"इक्कीसवें" रखा जाय।**

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में,—

"1968" **के स्थान पर** "1970" **रखा जाय।**

खण्ड 3

3. कि पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 12 में,—

"1968" **के स्थान पर** "1970" **रखा जाय।**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

129वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं अणुशक्ति विभाग-अणुशक्ति के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 129वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेलवे वर्कशाप, जमालपुर, (बिहार) के बारे में याचिका
PETITION RE : RAILWAY WORKSHOP, JAMALPUR (BIHAR)

Shri Madhu Limaye: (Monghyr) : I present a petition signed by Sarvashri Ram Govind Sharma and Krishnanand Thakur regarding the Railway workshop, Jamalpur (Bihar).

Shri Kanwar Lal Gupta : Please ask the Hon. Minister to give a statement. This is a security matter.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय रुई निगम के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : COTTON CORPORATION OF INDIA

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

अध्यक्ष महोदय,

कृषि मूल्य आयोग ने 1969-70 के मौसम के लिये रुई मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि लोक-क्षेत्र में एक अभिकरण की स्थापना की जाये जो घरेलू रुई की खरीद, बिक्री तथा न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करे और रुई का आयात करने के लिये माध्यम के रूप में भी कार्य कर सके। सरकार ने आयोग की सिफारिश को ठीक समझा परन्तु, क्योंकि उस समय रुई वर्ष आरम्भ होने ही वाला था, अतः 1970-71 के रुई मौसम में तत्काल लागू करने के निमित्त एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिये भरसक प्रयत्न करने का निश्चय किया गया।

2. तदनुसार, एक नई रूपरेखा तैयार कर ली गई है और भारतीय रुई निगम की सरकारी क्षेत्र के एक अभिकरण के रूप में स्थापना करने का निश्चय किया गया है। निगम उस तारीख से, जो शीघ्र ही अधिसूचित की जायेगी, रुई के समस्त आयात को अपने हाथ में ले लेगा। उस तारीख से, प्रयोक्ता मिलों को आयात लाइसेंस देने की प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी। उसकी बजाय, आयात लाइसेंस रुई निगम को दिये जायेंगे और उन लाइसेंसों पर उन प्रयोक्ता मिलों के पक्ष में पृष्ठांकन कर दिया जायेगा जिनके लिये आयातित माल मंगाया जाना है। निगम प्रयोक्ता मिलों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में परामर्श करेगा और उनके परामर्श से संविदायें करेगा। माल खरीदने और संविदायें करने में, निगम उनके अनुभव से लाभ उठायेगा जो इस व्यापार में विगत में लगे हुये थे। इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिये निगम इंडेंटिंग करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अपने सहयोगियों के रूप में सूचीबद्ध करेगा और उनसे मिलकर ऐसी शर्तें तैयार करेगा जिन पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जायेगा। निगम अपनी तकनीकी क्षमता का शनैः शनैः विकास करेगा ताकि कुछ समय बाद सहयोगियों पर इसकी निर्भरता कम हो जाये।

3. श्रीमान, स्वदेशी व्यापार के क्षेत्र में निगम विशिष्ट प्रयोजनों के लिये खरीदारी का कार्य करना आरम्भ करेगा। रुई उगाने वालों को विश्वास रहेगा कि एक ऐसा अभिकरण है जो

उन्हें आवश्यक मूल्य समर्थन प्रदान करेगा। नई किस्म की रुई उगाने वाले साहसी किसानों को अति लम्बे रेशे की रुई उचित मूल्य पर खरीदने वाला भी एक अभिकरण उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, एक ऐसा अभिकरण भी स्थापित हो जायेगा जिसके पास राष्ट्रीय वस्त्र निगम के क्षेत्र में आने वाली मिलों के लिये रुई खरीदने के निमित आवश्यक विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। निगम गैर-सरकारी क्षेत्र के मिलों को उनके रुई खरीदने के कार्यक्रम में सहायता देने के लिये भी तैयार रहेगा। मुझे विश्वास है कि सभा हमारे द्वारा उठाये गये इस नये सुनिश्चिय कदम का स्वागत करेगी। जो एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में आवश्यक स्थिरता तथा समर्थन प्रदान करने की सरकारी नीति के अनुरूप है।

4. हाल ही में भारतीय रुई निगम का पंजीयन बम्बई में हो चुका है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसका प्रबन्ध एक प्रबन्ध-निदेशक द्वारा किया जायेगा। इसके कार्यालय की स्थापना करने के लिये व्यवस्था शुरू कर दी गई है और इसके अतिशीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है। यह देखते हुये कि एक वर्ष में रुई का आयात लगभग 85 से 90 करोड़ रुपये तक होता है, निगम की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये होगी, जिसे पूर्णतः सरकार देगी।

5. निगम इस परिवर्तन को सहज रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा और इस प्रयत्न में वह आयात व्यापार तथा स्वदेशी रुई के क्षेत्र में लगी हुई दक्षता का उपयोग करेगा। निगम अपने कार्यकलापों का ऐसे प्रकार से संगठन करने की भरसक कोशिश करेगा कि रुई के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो और जहां तक रुई के अन्य हितों का संबंध है वे विस्थापित न हों यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रयास में निगम को सभी सम्बद्ध हितों के सहयोग की अपेक्षा है और निगम उस सहयोग का स्वागत करेगा।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : सोमवार, 3 अगस्त, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) संविद् श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक, 1967, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(आगे विचार तथा पास करना)

(2) दिल्ली दुकान तथा स्थापनायें (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(3) स्थपति विधेयक, 1970, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(4) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1967, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(5) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1967

(विचार तथा पास करना)

(6) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967 राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(7) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(8) टेलीग्राफ तार (विधि-विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1968, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(9) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(10) टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेंट लेबर (निरसन) विधेयक, 1967

(विचार तथा पास करना)

(11) उड़ीसा में एक और इस्पात कारखाने की मांग पर श्री पी० के० देव तथा अन्य सदस्यों द्वारा मंगलवार, 4 अगस्त, 1970 को 3 बजे म० प० पर उठाई जाने वाली चर्चा।

(12) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 में रूप-भेद करने के लिये श्री एन० के० पी० साल्वे द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर शुक्रवार, 7 अगस्त, 1970 को आगे चर्चा।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, I request you to see that the transport is provided to a large number of MPs. who would like to go to receive Dr. Mascarenhas, the Goan freedom fighter, who is coming to Delhi on next Monday.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर एक प्रस्ताव के रूप में विचार होना चाहिये, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और वेतन आयोग अपने प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने में दो-तीन वर्ष लेगा। माननीय मंत्री इसके लिये एक या दो घंटे का समय निर्धारित करें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Speaker, this question has been raised a number of times that there is a large number of labourers engaged in Agarbatti industry in the country whose condition is pitiable. I would like to know whether Government propose to bring

a Bill in respect thereof and whether another Bill to put an end to casual labour system will also be brought.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want that there should be discussion in the House sometime during next week on Kapoor Commission's report regarding assassination of Mahatma Gandhi. Secondly, the Legislative Assemblies of Uttar Pradesh and Bihar have passed resolutions for abolition of Legislative Councils in the States. This question was raised during the last sesison also. Parliament should have an opportunity to discuss this matter.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अन्तरिम राहत के प्रश्न का सम्बन्ध 20 लाख सरकारी कर्मचारियों से है। उन्हें अन्तरिम सहायता तत्काल दी जाये। इस प्रश्न पर सभा में चर्चा का अवसर शीघ्र ही दिया जाना चाहिये। यह मांग सभी पक्षों की ओर से की जा रही है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कल सभा में शरणार्थियों के अत्यधिक संख्या में आने पर विचार किया जा रहा था। उस पर चर्चा समाप्त होने से पूर्व ही सभा स्थगित हो गई थी। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। 60 हजार शरणार्थी भूखे मर रहे हैं, उनके लिये शिविरों का प्रबन्ध भी नहीं किया गया है। अतः इस समस्या पर सभा में अगले सप्ताह पुनः चर्चा होनी चाहिये। दूसरे, पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार विधेयक को भी शीघ्र ही लाया जाना चाहिये ताकि पश्चिमी बंगाल की ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि सम्बन्धी समस्या हल हो जाये और हिंसा को अविलंब रोका जा सके।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : बोकारो इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित विषय पर सभा में शीघ्र ही चर्चा होनी चाहिये। लोगों को यह बताया जाना चाहिये कि उसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? इस चर्चा के लिये कम से कम दो घन्टे दिए जाने चाहिये।

अखिल भारतीय रेलवे संघ के 15,000 रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने रेलवे मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया था। अतः इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये। इसके अतिरिक्त दो या तीन घन्टे का समय बेरोजगारी की समस्या की चर्चा के लिये अगले सप्ताह में नियत किया जाना चाहिये।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Sir, I request the Minister of Education through the Minister of Parliamentary Affairs to make two statements one regarding the occupation of a portion of the building of Banaras Hindu University by R. S. S. and the other regarding the participation of students in university affairs.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अन्तरिम राहत का प्रभाव न केवल 20 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा बल्कि उसका प्रभाव सरकारी क्षेत्र के कारखानों पर भी पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में अभी घोषणा करें। यदि इस समय ऐसा करना सम्भव न हो तो वह वेतन आयोग से इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय के लिये कहें। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की विधान परिषदों को समाप्त करने का मामला संसद के सामने लाया जाये। जहां तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का मामला है, वहां के मुख्य मंत्री उनके राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं, हालांकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। अतः खाद्य

तथा कृषि मंत्री या स्वयं प्रधान मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें कि क्या वास्तव में केन्द्रीय सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती अथवा इस बारे में प्रचार मात्र करना चाहती है ? मैं तो चाहता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं चाहता हूं कि सरकार सभा को खुली सीमा के प्रश्न पर विचार करने का शीघ्र अवसर दें । दूसरी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल के लिये जो सलाहकार समिति नियुक्ति की गई है, उसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिये जो सरकारी अधिकारी न हो । उसके अध्यक्ष पद पर मंत्री की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए ।

Shri Shiva Chandra Jha : (Madhubani) : Sir, this is wrong, you have called one, who rose after me. (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी उपेक्षा नहीं करूंगा । आप थोड़ा धैर्य रखें । (**व्यवधान**)

Shri Shiva Chandra Jha : You should yourself have patience. You are following no procedure. (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : जहां तक समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का सम्बन्ध है, परम्परा यह है कि उसका अध्यक्ष गृह मंत्री का ही बनाया जाता है । मेरे विचार से यह परम्परा बनी रहनी चाहिये । श्री कपूर ।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Sir, I........

Mr. Speaker : Hon. Member may please stop for a while. Shri Jha....

(श्री शिव चन्द्र झा सभा भवन से बाहर चले गये)

Shri Shiva Chandra Jha left the House

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि यहां क्या हो रहा है । कोई बताये कि वे सदन के बाहर क्यों चले गये ।

Shri S. M. Banerji : I think he left the House, because you allowed Shri Ranga ignoring the order which you were following (**Interruptions**).

Mr. Speaker : If some Member has been called first it does not mean that other Member or party will not be given a chance. I am unable to understand as to why he lost his temper.

Shri Lakhan Lal Kapoor : I like to draw the attention of Home Minister through the Minister of Parliamentary Affairs the fact that Dinajpur and Darjeeling districts of West Bengal are border districts. Armed people from Eeast Pakistan cross into western Dinajpur of Islampur sub-division and get away with a number of cattle-heads. They commit dacoities and murder people of this area. Such incidents are not new. They are taking place since long and with the connivance of Border Security Force and local police. We have met several times with the then Home Ministers. Now I request the Minister of Home Affairs to make a statement in this regard and take steps to ensure that such incidents are not repeated in future.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा यह सुझाव है कि कलकत्ते के जाधवपुर विश्वविद्यालय की हाल के घटनाओं पर चर्चा के लिये भी थोड़ा सा समय नियत किया जाये, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Speaker, the discussion on Perumal Committee remained inconclusive during the last session. In this session that matter should have been taken up first and other matters should have been taken up after the discussion on the said report is concluded.

Mr Speaker : It will be deeided in the Business Advisory Committee and I will put the matter before the committee.

Shri Ram Charan (Khurja) : In the last session the Dy. Speaker gave a ruling that the discussion on the report regarding Scheduled Castes and Schedule Tribes will be resumed on the first day in the next session, but why has it not been done so. I would like to know the reason why a Bill regarding the rescheduling of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been passed since 1967.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा यह अनुरोध है कि इस सभा में आसाम राज्य जो भारत संघ का एक अंग है, पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आसाम इस समय अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। आसाम को बाढ़ों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। वहां बाढ़ नियंत्रण के लिये कुछ भी नहीं किया गया। हाल ही में आसाम राज्य को भूकम्प ने हिलाया है और उससे वहां बहुत अधिक क्षति हुई है। आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत अधिक संख्या में लोग लुक-छिपकर आ रहे हैं। परिणामतः वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त सिलिगुड़ी में रेलवे कर्मचारियों ने जो हड़ताल शुरू की थी उसका विस्तार होता जा रहा है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : आसाम के बारे में हमने नियम 193 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : About one year ago, a discussion took place in this House on the increasing subversing activities which remained inconclusive at that time. Now in view of the increasing naxalite activities, I request that the debate on such activities should take place. Secondly a decision regarding the setting up of an atomic power station was taken one year ago, but Government have not so far declared their policy in respect thereof. I want that Government should declare their policy soon in this respect.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Some parts of the country have been ravaged by the the floods, while there is drought in other parts. So I want that there should be a discussion on flood and drought situation in the country. Secondly I want that something should be done in pending cases of Delhi policemen. Last time, our Home Minister gave assurance to this effect. Thirdly, since the land grab movement started not only Naxalites but all the political parties have become naxalite in their actions of exciting the people to forcibly occupy the land of others. So such a situation should also be discussed.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : As regards the abolition of Legislative Council in Bihar State, second throught is being given to this issue in Bihar to the effect that the Legislative Council should continue there till 1974. So the Central Government should not bring at least for the time being this matter before the Parliament.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : आसाम में बाढ़ ने भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी है। वहां पर उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। सिलिगुड़ी में रेलवे में हड़ताल चल रही है। वहां न माल ले जाया जा सकता है और न वहां से माल लाया जा सकता है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कुछ विमान सेवाएं भी आसाम के कई भागों से बन्द कर दी हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिये सूचना दी है। मैं आशा करता हूं कि उसके लिये अनुमति दी जायेगी।

श्री एस० कंडप्पन (मैटूर) : गत सत्र में अन्तिम दिन जब इलयापेरूमल समिति के

प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा था तो यह वचन दिया गया था कि अगले सत्र में इस पर विचार को प्राथमिकता दी जायेगी। उसी के अनुसार इसे अब प्राथमिकता दी जाये।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : सिलिगुड़ी में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल गत 8 दिन से चल रही है। इसके परिणामस्वरूप आसाम का शेष देश से सम्बन्ध टूट गया है। इस पर भी सभा में चर्चा के लिये अवसर दिया जाना चाहिये।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : अनेक सुझाव दिये गये हैं। कुछ का सम्बन्ध सभा के कार्य से है और कुछ का सम्बन्ध सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों से है। कुछ सुझाव वक्तव्य आदि देने के बारे में हैं। मैंने सभी सुझावों को नोट कर लिया है और सम्बद्ध मंत्रियों को उनसे अवगत करा दिया जायेगा ताकि वे उन पर विचार करें। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध समिति का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं नये मंत्री से बातचीत करूंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा यह मामला सभा के सामने लाया जायेगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जिस प्रस्ताव का जिक्र किया है, वह सभा के सामने अगले सप्ताह नहीं, बल्कि उसके आगे आने वाले सप्ताह में लिया जायेगा। अत्यधिक शरणार्थियों के आने के मामले पर चर्चा के लिए भी समय निकाला जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Half past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

समिति के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION FOR ELECTIONS TO COMMITTEES

विश्वभारती की संसद (कोर्ट)

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (5) के साथ पठित विश्वभारती अधिनियम, 1951 की धारा 19 की उपधारा (1) (बारह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए, विश्व-भारती की संसद (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (5) के साथ पठित

विश्वभारती अधिनियम, 1951 की धारा 19 की उपधारा (1) (बारह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए, विश्व-भारती की संसद (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत परिषद्

डा० वी० के० आर० वा० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) और 32 (1) तथा (4) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत स्थापित की गई परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) और 32 (1) तथा (4) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत स्थापित की गई परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SELECT COMMITTEE

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का संविधान (संशोधन) विधेयक

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री पी० गोविन्द मेनन के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० हनुमन्तैया को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री पी० गोविन्द मेनन के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० हनुमन्तैया को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आंध्र प्रदेश विधान-सभा के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में
RE : RESIGNATION OF SPEAKER OF ANDHRA PRADESH

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : महोदय ! मैंने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में मामला उठाने की अनुमति मांगी थी। यह एक गम्भीर समाचार है कि वहां के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया है। जब तक कोई विशेष विवशता उत्पन्न न हो जाए, कोई अध्यक्ष इस प्रकार त्यागपत्र नहीं दे सकता। मैंने इस बारे में प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् ही प्रश्न उठाया जा सकता है।

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय स्थापनाओं में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसके उत्सादन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

संविद श्रम के उत्सादन का प्रश्न बहुत काल से सरकार के विचाराधीन था। यह विधेयक पहली बार पहली जनवरी, 1966 में लाया गया था। उनके उपरांत 31 जुलाई, 1967 में लाया गया था तथा इसे मई, 1968 में संसद् की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। संयुक्त समिति ने सार्वजनिक निकायों तथा अन्य सम्बद्ध संगठनों का साक्ष्य लिया तथा विधेयक के उपबन्धों पर खण्डवार विचार किया। उसके पश्चात समिति ने 26 जनवरी, 1969 को लोक-सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इसकी एक प्रति राज्य सभा के सभा-पटल पर भी रखी गई।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन श्रेणियों के सम्बन्ध में संविद श्रम का उत्सादन करना है, जो श्रेणियां सम्बन्धित सरकार द्वारा एक निश्चित कसौटी के अनुसार अधिसूचित की जायें। इस विधेयक का यह भी उद्देश्य है कि जहां संविद श्रमिक उत्सादन सम्भव नहीं है, उसके श्रमिकों के लिये सेवा की शर्तों का विनियमन किया जाये। इस विधेयक में स्थापनाओं को पंजीकृत करने, ठेकेदारों को लाइसेंस देने तथा त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां बनाने की भी व्यवस्था की गई है। विधेयक के अन्तर्गत संविद श्रमिकों के लिए पीने के पानी तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। मजूरी के भुगतान कराने की व्यवस्था भी इस विधेयक के अन्तर्गत है। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी की गई है कि यदि कोई ठेकेदार निर्धारित समय पर श्रमिकों को मजूरी का भुगतान नहीं करता अथवा कम भुगतान करता है तो मुख्य नियोक्ता को मजूरी की पूरी अथवा शेष राशि का भुगतान करना होगा। तथा वह ठेकेदार से उस राशि को वसूल करेगा।

संयुक्त समिति ने विधेयक में तीन प्रमुख परिवर्तन करने की सिफारिश की है ।

पहला संशोधन खण्ड 1 (5) के सम्बन्ध में है। यदि किसी स्थापना का कार्य रुक-रुक कर किया जाने वाला है अथवा नैमित्तिक है तो उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा । संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि सरकार किसी स्थापना में काम के स्वरूप के सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा राज्य बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त अपना निर्णय देगी । यदि किसी स्थापना में गत 12 महीनों में 120 दिन कार्य किया जायेगा अथवा मौसमी स्थापनाओं के मामले में यदि एक वर्ष में 60 दिन तक कार्य किया जायेगा तो उन स्थापनाओं को रुक-रुक कर कार्य करने वाली स्थापना नहीं माना जायेगा । दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों के गठन के बारे में है ।

विधेयक में हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है अर्थात् केन्द्रीय बोर्ड में 17 तथा राज्य बोर्ड में 11 किन्तु समिति ने उनकी न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करने की सिफारिश की है तथा केन्द्रीय बोर्ड में 11 और राज्य बोर्ड में 9 सदस्य रखने को कहा है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या भी मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए ।

विधेयक में यह उपबन्ध है कि राज्य सरकार ठेकेदार को लाइसेंस देते समय न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर सकती है । समिति ने न्यूनतम शक को हटाने की सिफारिश की है ।

इन मुख्य सिफारिशों के अतिरिक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विधेयक जम्मू और काश्मीर राज्य पर भी लागू किया जाए । मैंने आवश्यक संशोधनों की सूचना अलग से दे दी है । मैं विधेयक को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिए पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि कतिपय स्थापनाओं में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसकी उत्सादन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपने संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन (मेहसाना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने विनियमन के बारे में ही कहा है, उत्सादन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक सभा के समक्ष है। सदस्यगण अपने भाषणों में अपने दृष्टिकोण दे सकते हैं ।

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक से संविद् श्रम के विनियमन का उद्देश्य पूरा नहीं होता । इसके विपरीत इससे कई उलझनें पैदा हो गई हैं । यह श्रमिकों को वास्तविक लाभ देने में असफल रहा है ।

विभिन्न राज्यों के हमारे दौरों में हमारे सम्मुख जो श्रमिकों के प्रतिनिधि आए, वे सब इस बारे में एकमत थे कि संविद् श्रमिक पद्धति का उन्मूलन होना चाहिए ।

आज निर्माण कार्यों के लिये श्रमिकों को स्थाई आधार पर न रख कर उन्हें मौसमी श्रमिकों के रूप में रखा जाता है। उन्हें केवल 2-3 रुपए दैनिक दिये जाते हैं और ठेकेदार उनके श्रम से काफी धन कमाते हैं।

नागपुर के पास हमने बीड़ी बनाने वालों को दस आने रोज पर दिन भर कार्य करते हुए देखा था।

रेलवे विभाग और सार्वजनिक संस्थानों में श्रमिकों को भार लादने और उतारने के लिये एक निश्चित दर दी जाती है, और कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। उनका कोई संघ नहीं है। अतएव उनकी कोई मांग अधिकारियों के सम्मुख नहीं आती। इस विधेयक के अंतर्गत एक परामर्श बोर्ड नियुक्त किया जायेगा। श्रमिकों को इससे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जो निरीक्षक कार्य स्थलों पर जांच के लिये जायेंगे, वे ठेकेदारों के पक्ष में ही रिपोर्ट देंगे। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

विधेयक ऐसी स्थापनाओं पर ही लागू होगा जहां 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। ठेकेदार श्रमिकों को छोटे ग्रुपों में विभाजित कर देंगे।

बेईमान व्यक्ति खण्ड 1 (4) (क) से फायदा उठा कर इस खण्ड के अन्तर्गत आने से बचने में सफल होंगे और श्रमिकों का शोषण करेंगे। इन खण्डों के होते हुए श्रमिक विधेयक से होने वाले लाभों से वंचित रह जायेंगे। इस विधेयक द्वारा संविद् श्रमिक पद्धति बनी रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इससे भ्रष्टाचार चलता रहेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रमिक संघों में कार्य करने वाले लोग कई वर्षों से अनुभव कर रहे हैं कि संविद् श्रमिक पद्धति समाप्त होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि स्थिति में कुछ सुधार किया जा रहा है और निर्माण कार्य पर लगे लोगों को इससे लाभ होगा।

मेरे राज्य उड़ीसा से हजारों श्रमिक वर्ष में चार पांच महीने के लिए बंगाल, आसाम तथा कश्मीर में सीमा सड़क संघठन कार्यों पर जाते हैं। जब ठेकेदार लोग उन्हें कार्यों पर नियुक्त करते हैं तो उन्हें 200 से 500 रुपए अग्रिम राशि देते हैं। उन श्रमिकों में से कई तो वहीं पर मर जाते हैं। मैंने देखा है कि कई 17-18 वर्ष के युवक जब वहां से कुछ महीने काम करने के पश्चात् लौटते हैं तो उन्हें कुपोषाहार के कारण भयानक रोग हो जाते हैं और बाद में वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह हमारे स्वाधीन देश के लिये लज्जा की बात है।

संविद् श्रमिक पद्धति से श्रमिकों का शोषण होता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होता है। श्रमिकों को पूरा काम करने पर भी उन्हें कार्य के अनुरूप नहीं दिया जाता।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधयक में सरकार ने बड़े ठेकेदारों को दण्डित करने की व्यवस्था की है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 64वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SIXTY-FOURTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

श्री सैयद अली (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 64 वें प्रतिवेदन से, जो 29 जुलाई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 64 वें प्रतिवेदन से, जो 29 जुलाई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सिविल कार्यवाहियां विधिक सहायता विधेयक

CIVIL PROCEEDINGS LEGAL ASSISTANCE BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for legal assistance in certain cases of civil proceedings to citizens without adequate means.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे नागरिकों को जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, सिविल कार्यवाहियों के कतिपय मामलों में विधिक सहायता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

Shri Madhu Limaye : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 137 क का रखा जाना)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLE 137 A)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

बिहार विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक
BIHAR LEGISLATATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

Shri Bhagendra Jha (Jainagar) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of the Legislative Council of the State of Bihar and for matters Supplemental, incidental and Consequential thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विधान परिषद् के उत्सादन तथा तत्सम्बन्धी अनुपूरक, प्रासंगिक और अनुवर्ती विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमित दी जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक में मांग की गई है कि एक संसद् सदस्य को सदस्य न रहने पर भी 300 रुपये प्रतिमास पेंशन दी जाये और किसी भी भारतीय रेलवे का वर्ष में एक प्रथम श्रेणी का अहस्तान्तरणीय नि:शुल्क पास मिलना चाहिए जिससे कि सदस्य 10,000 किलो मीटर तक की रेल यात्रा कर सके। संसद सदस्यों को ऐसी रियायतें देने में कोई औचित्य नहीं है, जब कि 22 लाख से भी अधिक केन्द्रीय सरकार कर्मचारी अन्तरिम सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं और सरकार उन्हें अन्तरिम सहायता तक नहीं देना चाहती। पेंशन भोगी व्यक्तियों को केवल 20 या 30 रुपये प्रतिमास पेंशन मिलती है और सरकार वेतन आयोग को पेंशन भोगी व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाने सम्बन्धी मामले को सौंपने को भी तैयार नहीं हुई है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : There is nothing in the rules to prevent the hon. Member from introducing the Bill.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : His opposition is a mere show.

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य किसी भी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर सकता है। अत: मैं श्री बारुपाल से अनुरोध करता हूं कि वह श्री बनर्जी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर दें।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : We shall oppose the introduction of this Bill because it is against the dignity of the hon. members.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I have a point of order. I oppose the introduction of this Bill, because this will have a telling effect on the people. The Common man is very hardup these days. When people are starving it does not redound to the credit of the Members of Parliament to bring forward such a measure. Shri Barupal should not be allowed to reply to the objections as there is nothing in the rules which can permit him to do so. He should either withdraw this Bill, or the motion should be put to the vote.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपनी आपत्तियों का उत्तर नहीं चाहते हैं तो प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा जायेगा।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : यह तो ठीक है कि संवैधानिक आधार पर इस विधेयक को पेश करने का विरोध नहीं किया जा सकता। परन्तु इसका विरोध करने के अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट आधार हैं। देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे और राजनीतिज्ञों की स्थिति को देखते हुए अच्छा होगा कि श्री बारुपाल इस विधेयक को वापस ले लें अन्यथा विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे हम सब की बदनामी होगी क्योंकि यह विधेयक अकीर्तिकर है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Ordinarily a Private Members Bill is not opposed at the introduction stage, but so far as this Bill is concerned it provides for pension etc., for the members of Parliament. The demand of effecting on increase in the salaries and pensions of the employees has not so far been met. Therefore it is not proper to provide for any such thing for the Members. Therefore it would be better if the leader of the House comes and asks the hon. Member to withdraw his Bill.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to make a suggestion in this matter. A Committee consisting of Chief Justice of the Supreme Court, Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha, The Prime Minister, and Chairman of Union Public Service Commission should be formed to go into the salaries, pensions and other amenities for the Members of Parliament and take decision in this matter. If we, the Members of Parliament take decisions on matters concerning ourselves it will have a great reaction on the people of the country.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I do not want to hurt the feelings of Shri Barupal but I would request him, in view of the adverse conditions prevailing in the country and realising the dignity of this House, to withdraw this Bill.

Shri P. L. Barupal : There was a time when a member used to get forty rupees as daily allowance only. But later on this was revised to Rs. 21/- as daily allowancc and Rs. 300/- as salary per month was added to it and later on revised to Rs. 31/- and Rs. 400/- respectively. I had brought forward a Bill demanding certain facilities such as a free third class railway sleeping pass ; free house and free telephone, but it was thrown into the waste paper basket. The objections of the Hon. Members are political. It would be better if they voluntarily refused to take these facilities. Their objections are not correct in principle, but they are politically motivated.

Shri Janeshwar Misra : We oppose this Bill.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है। मैं किसी विवाद में पड़ना तो नहीं चाहता, परन्तु मुझे समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरा मेरी बात भी तो सुनिए। सब प्रकार के विचार प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब केवल इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना है और सदन इस पर निर्णय करेगा। इसलिए मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा यह विरोध नहीं है। परन्तु उन्होंने मुझ पर आक्षेप लगाया है (**व्यवधान**) ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 76   **विपक्ष में 37**
Ayes 76 : Noes 37

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri P. L. Barupal : I introduce the Bill.

न्यायाधीश (जांच) संशोधन विधेयक (धारा 3,4 तथा 6 का संशोधन
JUDGES (INQUIRY) AMENDMENT BILL (AMENDMENT OF SECTIONS, 3, 4, AND 6)

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 314)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : वैसे तो मुझे इस विधेयक के पेश किए जाने और इसके उद्देश्यों पर कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कुछ संवैधानिक और प्रक्रिया सम्बन्धी मामले सामने आते हैं। अनुच्छेद 117 (1) के अनुसार यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि इसमें कोई कमी न रह जाये।

Shri Madhu Limaye : This Bill is simply an enabling provision. The salaries and pensions of the I. C. S. officers will in no way be abated by the omission of article 314. The recommendation of President is not necessary for amending the constitution. This matter had been discussed thread-bare in the House last time and ruling given thereon that the recommendation of the President would not be required.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के विधेयक पर सदन में पिछली बार चर्चा हुई थी परन्तु पास नहीं हुआ था। यह विधेयक ठीक ही लगता है। अतः प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक
UTTAR PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move that leave be granted to

introduce a Bill to provide for the abolition of the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh and for matters supplemental, incidental and consequential thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के उत्सादन तथा तत्सम्बन्धी अनुपूरक, प्रासंगिक और अनुवर्ती विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले मैं उन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जिन्होंने लिखित रूप में इस विधेयक का विरोध करने की इच्छा व्यक्त की है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I oppose the introduction of this Bill. The manner in which the Bill providing for abolition of the Uttar Pradesh Legislative Council was passed in the Assembly was strongly criticised in the Press the following day. More than 240 Legislators belonging to three different political parties had requested the Speaker of the U. P. Assembly in writing that they wanted to reconsider their earlier decision as also the resolution regarding abolition of the U. P. Legislative Council which had been declared passed in an unseemly hurry. The Speaker had agreed to this. Now this matter is still under consideration of the Uttar Pradesh Legislative Assembly. If the resolution for abolition of the U. P. Legislative Council had been passed by the Assembly the Speaker of Lok Sabha and the Central Government would have been informed of this development, and such a Bill would have been brought forward by the Government in a proper manner. The present Bill has been brought forward by a private member merely on the basis of the press reports that the resolution was passed by the U. P. Legislative Assembly. But there is no information from the Government that the U. P. Assembly had passed the resolution. Therefore, this Bill is not in order and hence the giving of leave for the introduction of this Bill here in the House would be contrary to rules.

डा० राम सुभग सिंह : विधि मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Article 169 of the Constitution provides for the abolition of the Legislative Council of a State and there is no provision therein for reconsideration of the Resolution passed by the State Legislative Assembly by a majority of the total members of the Assembly. Since the Resolution has been passed by more than two-thirds of the members of the State Legislative Assembly, the matter is now outside the jurisdiction of the Assembly. Shri George Fernandes is well within his rights in bringing forward this measure. As a matter of fact it was the duty of the Governmet to have brought forward a Bill in this regard. But when the Government becomes guilty of dereliction, the private Members vigilance and their efforts in bringing forward this Bill and affording to this House an opportunity to deliberate over this matter deserve special commendation.

The opposition to the introduction of this Bill is baseless. The Legislative Assembly has no constitutional right to reconsider the Resolution passed by it.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी विधेयक का प्रारंभिक स्तर पर विरोध न करने की स्वस्थ परम्परा का सम्मान करते हुए मैं अभी इस विधेयक का विरोध नहीं कर रही हूं। परन्तु इसके साथ ही प्रत्येक विधान सभा को प्राप्त स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए, चाहे वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा हो, बिहार की अथवा अन्य किसी राज्य की,

मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस विधान सभा ने 29 अप्रैल को संकल्प पारित किया था, वह बाद में उस पर पुर्नविचार करने के लिये सक्षम है।

संविधान के अनुच्छेद 168 (1) (क) के प्रति सम्मान रखते हुए मैं यह भी कहना चाहती हूं कि प्रत्येक विधान सभा के यह पूर्ण अधिकार क्षेत्र में है कि वह किसी भी सदन को समाप्त कर सकती है अथवा उसका सृजन कर सकती है। मगर, उत्तर प्रदेश के मामले में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि वहां दो सदन होंगे। विधान सभा ने इसे बड़ी भ्रामक स्थिति में पारित किया है।

मतदान के लिए सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता के मध्य जो समय निर्धारित हुआ था, उसे बदल दिया गया। छः हस्ताक्षरों की हेराफेरी के भी आरोप हैं। यह भी आरोप है कि सदस्यों की सूची आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है और जनता को यह नहीं मालूम कि प्रस्ताव कानून की दृष्टि से वैध है......

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह सभी अस्वीकार कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि हमें यहां ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे उ० प्र० विधान सभा की कार्यवाही करने के तरीके पर कोई दोषारोपण हो।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रत्येक विधान सभा की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाय। मगर जिन परिस्थितियों में विधेयक पारित किया गया, उनका पारित प्रस्ताव से सम्बन्ध है। पुर्नविचार हेतु वहां दूसरा संकल्प पेश किया गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए और क्रियाविधि सम्बन्धी दोषों को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई उत्तर पश्चिम) : अगर विधि मंत्री वक्तव्य दें, तो इससे हमें सुविधा होगी।

Shri Balraj Madhok : Before this Bill is taken up for consideration, I would like to know from the Law Minister whether the Speaker of U. P. Assembly has informed the Speaker or the Central Government that a Bill to this effect had been passed there.

उपाध्यक्ष महोदय : विधान सभा के सचिव से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। पत्र में यह कहा गया है कि :

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम 101 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड 1 के अन्तर्गत, 29 अप्रैल, 1970 को हुई उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक में पारित निम्नलिखित संकल्प की एक प्रति मैं भेजता हूं।

> यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाय।
>
> "उत्तर प्रदेश विधान सभा की उपर्युक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से 220 ने पक्ष में मतदान किया और 21 ने विरोध में मत दिया। विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 426 है।"

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Now question arises as to why this Bill was not brought forward by the Government ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पत्र भारत सरकार के विधि मन्त्री, गृह-मन्त्री, संसदीय कार्य-मन्त्री और उत्तर प्रदेश के वित्त तथा संसदीय कार्य-मन्त्री और लोक सभा तथा राज्य सभा के सचिवों को भेजा गया था ।

श्री कंवर लाल गुप्त : इसके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? वह इसका समर्थन कर रही है अथवा नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 101 के अन्तर्गत, मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या पत्र की प्रति सम्बद्ध मन्त्री को भेजी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियमों के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री शांतिलाल शाह : अपने पत्र में सचिव ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम 101 का उल्लेख किया है । इसमें कहा गया है कि "सदन द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति सम्बद्ध मन्त्री को भेजी जायगी ।" प्रश्न यह है कि यहां के प्रत्येक मन्त्री को तो यह पत्र भेजा गया, क्या उसे उत्तर प्रदेश के भी सम्बद्ध मन्त्री को भी भेजा गया अथवा नहीं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या): यह संवैधानिक दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है । सभा इससे पूर्व भी इसी प्रकार के दो विधान पास कर चुकी है । अतः यह तो केवल उसी प्रणाली को पुनः अपनाने का प्रश्न है जिससे हम पूर्व परिचित हैं ।

जहां तक उत्तर प्रदेश विधान सभा का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 212 (1) के अन्तर्गत उनके मतदान अथवा उनकी किसी भी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जा सकती । अतः संवैधानिक तथा कानूनी औचित्य का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता । सामान्यतः राज्य सरकार ही केन्द्रीय सरकार को लिखती है कि अमुक प्रस्ताव विधान सभा ने पारित किया है । यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें भविष्य में इसके बारे में और अधिक सतर्क होना चाहिये । अध्यक्ष के पास कोई विधान सम्बन्धी शक्ति नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, I have got a point of order. Hon. Minister has just now challanged your authority and the authority of the Speaker of U. P. Assembly. According to U. P. Assembly rules, a resolution was passed there which should have been sent to Lok Sabha Secretariat. They have done the correct thing and sent the resolution to Lok Sabha Secretariat. According to this procedure we get an extra advantage and that advantage is that if the Government due to some political reasons do not want to introduce it here then the Speaker can direct any member of the House to introduce it. Therefore I request you to ask the Minister not to say anything regarding the Authority or powers of the Speaker here or of U. P. Assembly.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विधि मन्त्री इस संविधान संशोधन विधेयक की प्रस्थापना सम्बन्धी परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे परन्तु उन्होंने अध्यक्ष के अधिकारों की आलोचना आरम्भ कर दी । उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने उसे केन्द्र

सरकार को नहीं भेजा। आप ने उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रस्ताव भी पढ़ा है। यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने उसे नहीं भेजा तो यह उनकी भूल है। विधि मंत्री बिलकुल अनावश्यक बातें कह रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में और भाषण नहीं सुनना चाहते। आप इस पर मतदान करवा लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया माननीय मन्त्री की बात सुनिये।

श्री हनुमन्तय्या : व्यवस्था के प्रश्नों का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सभा के निर्णय के लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मन्त्री महोदय कह रहे थे कि वहां की सरकार को इसे अध्यक्ष को नहीं भेजा जाना चाहिये था वे केवल यह कह रहे थे कि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसको अध्यक्ष को भेजा जाये। इस प्रकार वह लोक सभा के अध्यक्ष अथवा विधान सभा के अध्यक्ष पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे थे।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : यह बहुत स्पष्ट प्रश्न है और हमें इस पर चर्चा इसके गुण दोषों के आधार पर ही करनी चाहिये। विधान सभा ने अपने नियमों का पालन किया है या नहीं यह एक अलग प्रश्न है और हमें इसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्थापना के समय हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

Shri Tulsi Dass Jadhav (Baramati) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to make a submission that we should allow a Member to complete his sentence and thereafter we should come to some conclusion. The chair should direct the members in this regard.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मेरे विचार में कार्य-पालिका और विधायिका में मतभेद है। अगर विधान मण्डल ने कोई राय व्यक्त की है और किसी कारणवश अगर कार्य-पालिका उसे समुचित प्राधिकारियों को भेजने में अपने दायित्व का पालन नहीं करती, तो क्या यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका गलत है अथवा सही है ?

कुछ माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री जी० भा० कृपालानी : अगर कोई विधान विधान-मण्डल द्वारा पारित किया है और कार्यपालिका उसे लागू करे अथवा न करे, यह बात इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका के विधान मण्डल से भिन्न अपने कुछ पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण हो सकते हैं। आपने कहा कि इस संकल्प को निश्चित रूप से विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया है। मगर एक गैर-सरकारी सदस्य को जो कुछ विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया है, उसके बारे में आगे कार्यवाही करने का अधिकार है। मैं आपकी सम्मति इस बारे में चाहता हूं कि क्या विधायिका को कार्यपालिका के साथ मिलाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि कार्यपालिका गलत है अथवा सही। हमारा तो केवल इस सीमित प्रश्न से सम्बन्ध है कि इस विधेयक को सदन में पेश किया जा सकता है अथवा नहीं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, So far as question of introduction of a bill is concerncd, whether it belongs to a Private Member or it has been introduced by the Government, it should be introduced unless it is thrown out.

Secondly, it is quite a separate matter whether the Government has written or the Speaker has written. Now what would be the position if Lok Sabha rescinds its earlier resolution, and this House discusses the same bill.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : जो पत्र आपने पढ़ा, उससे पता चलता है कि यह सरकार इस विधेयक को पेश नहीं कर सकती, परन्तु किसी गैर-सरकारी सदस्य को इस विधेयक के पेश करने से नहीं रोका जा सकता।

Smt. Savitri Shyam (Aonla) : Mr. Deputy Speaker, I oppose the introduction of this Bill as this has not been passed by the Assembly according to the prescribed procedure. The members who did not exercise their right of vote, or who abstained from the proceedings, have not been taken into consideration. It is a controversial matter as it has not been referred by the Ministry. It should be introduced only after the verification.

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा (खम्मम) : अध्यक्ष के अधिकारों के बारे में हमारे मन में बहुत शंकायें हैं। आन्ध्र-प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने का गम्भीर उदाहरण हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप बीच में आन्ध्र प्रदेश को ला रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा : हमें मामले पर विस्तृत रूप से चर्चा करनी चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : वह कह रहे थे कि संकल्प अध्यक्ष को भेजा गया है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसे विधि मन्त्री, संसदीय कार्यमन्त्री और गृह मन्त्री को भी भेजा गया है। अतः प्रश्न निराधार हो जाता है।

Shai Brij Bhushan Lal (Bareilly) : Mr. Deputy Speaker ; when the assembly had passed this Resotution, I had written a letter to the Prime Minister urging her to bring a bill in this House for abolition of the council, in reply to which she had stated that she was looking into it. Now if this Government is not prepared to bring forward this bill, we should have no objection in introduction of the bill by a private member.

श्री हनुमन्तय्या : इस मामले में सरकार द्वारा कुछ करने में असमर्थ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इसे किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे। यह पहला अवसर है कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। इस मामले में संवैधानिक और कानूनी मर्यादा के प्रश्न अन्तर्निहित नहीं हैं। इसमें तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई का प्रश्न है। अन्य सभी मामलों में, जिनमें बिहार विधान परिषद भी शामिल है, राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का विधेयक पेश करने का अनुरोध किया था। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मेरा यह मत नहीं है कि प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई के कारण इसे पेश न किया जाय।

सरकार को पता है कि इसे विधान मण्डल ने पारित कर दिया है और हम इसका विरोध नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के उत्सादन तथा तत्सम्बन्धी अनुपूरक, प्रासंगिक और अनुवर्ती विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1965.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 24क का रखा जाना)

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Kanwar Lal Gupta : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Kanwar Lal Gupta : I introduce the Bill.

चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विधेयक

POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH (AMENDMENT) BILL

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 1966 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

अधिकतम लाभ सीमा विधेयक
CEILING ON PROFITS BILL

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the fixation of ceiling on profits of certain business houses, concerns, undertakings, etc.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय व्यापारिक गृहों, व्यापारिक संस्थाओं, उपक्रमों आदि के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Kanwar Lal Gupta : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 36 का संशोधन)

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Mrityunjay Prasad : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

Shri Mrityunjay Prasad : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Mrityunjay Prasad : I introduce the Bill.

परिवर्तन हुए हैं । कांग्रेस को कई राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा । मगर जहां जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें सत्तारूढ़ हुईं केन्द्रीय सरकार ने लोगों को भड़काकर और कहकर कि कानून और व्यवस्था वहां भंग हो रही है, उन सरकारों को गिराने की कोशिश की है ।

संविधान के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से विचार-विमर्श कर किसी विषय पर निर्णय लेना चाहिये । मगर कई उदाहरण ऐसे हैं जहां राज्यपाल ने बिना मंत्रिपरिषद से विचार-विमर्श किये स्वयं निर्णय लिया । बंगाल के श्री धर्मबीर, उत्तर प्रदेश के श्री गोपाल रेड्डी और बिहार के श्री नित्यानन्द कानूनगो के बारे में ऐसी आलोचना सुनने को मिली है । 1965 में केरल में जब चुनाव हुआ, मार्क्सवादी दल के 40 सदस्य थे । इसके आधार पर उन्हें मंत्रिमंडल के गठन के लिये निमंत्रण दिया जाना चाहिए था । मगर तत्कालीन राज्यपाल ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया ।

1967 के बाद, लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी ने कुछ राज्यपालों के अनुचित व्यवहारों को देखते हुये विधान सभा के अध्यक्षों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलाया और राज्यपालों के व्यवहार पर चर्चा की । इस सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया कि राज्यपालों को मंत्रिपरिषद से विचार-विमर्श किये बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये । श्री ढिल्लों ने कहा था कि सभा के नेता को विधान सभा द्वारा चुना जाना चाहिये । मेरे निजी अनुभव से मैं कह सकता हूं कि केरल के राज्यपाल श्री विश्वनाथन ने इस संकल्प के विरुद्ध काम किया है । 26 जून, 1970 को विधान सभा भंग कर दी गई । संविधान के अनुसार यह काम मंत्रि-परिषद् के अन्य मंत्रियों से सलाह ले के ही किया जाना चाहिये । मगर वहां ऐसा न हुआ ।

राज्यपालों को वापस बुलाने के लिये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है । मेरे विचार से राज्यपालों का निर्वाचन किया जाना चाहिये भले ही इस विधेयक में इसका कोई उपबन्ध नहीं है, फिर भी इसमें कहा गया है कि किसी निर्णय लेने के पूर्व राज्यपालों को मंत्रिपरिषद से विचार-विमर्श करना चाहिये । मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इस विषय पर विचार करने के लिये सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिये । अगर सरकार इससे सहमत है, तो मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मंत्री महोदय के बोलने से पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय तो पहले ही एक प्राइवेट सदस्य के रूप में बोल चुके हैं । क्या वह फिर चर्चा में भाग ले सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह सरकार की तरफ से बोलेंगे ।

विधि तथा कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : मेरे माननीय मित्र को मेरे बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिये क्योंकि मुझे तो बार-बार अपने कार्यभार व पद के अनुरूप ही अपना मत व्यक्त करना पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विश्व के सभी देशों में जो संविधानिक परम्परायें स्थापित हो चुकी हैं हम उनसे पीछे हट रहे हैं । आपने आयरलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी का उल्लेख किया है । वह देश इंगलैण्ड वाली लोकतन्त्रीय संसदीय

प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते । उनकी प्रणाली में विभिन्न परिवर्तन आये हैं। हमारे संविधान की परम्पराओं का जहां पालन किया गया है । वहां उन्हें तोड़ा भी गया है । परन्तु केवल इसी आधार पर हम सारे संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते । अतः प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक संसदीय लोकतन्त्र पद्धति का काफी असर डालता है । इस विधेयक को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे यहां न तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ही चल सकेगी और न ही संसदीय पद्धति की सरकार सम्भवतः हो सकेगी । इसीलिये मैं विधेयक के प्रस्तावक से प्रशासनिक सुधार आयोग के तरीके अपनाने का अनुरोध करूंगा । हमने सिफारिश की है कि राज्यपालों के कार्य करने के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये जाने चाहिये । ऐसे मार्ग दर्शन सिद्धांतों के माध्यम से वह सभी परम्पराएं अमल में लाई जा सकती हैं जो कि मेरे मन में हैं । अतः संविधानिक संशोधन की अपेक्षा मार्गदर्शन सिद्धांत अधिक ग्राह्य है ।

मैं यह सिफारिश करता हूं कि मार्गदर्शन सिद्धान्त अन्तर्राज्य परिषद द्वारा बनाये जाने चाहिये और इसका निर्माण विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिये । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं । मैं आशा करता हूं कि श्री देव अपना विधेयक वापस ले लेंगे ।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : विधेयक को प्रवर समिति के सौंपने के लिये मेरा संशोधन 20 सदस्यों के नामों के समेत सभा के समक्ष है ।

यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि इस विधेयक में उठाई गई सभी बातें बहुत मौलिक हैं । 1967 के आम चुनावों के उपरान्त राज्यपालों द्वारा किये गये कार्यों से यह पद बदनाम हो गया है और इसने संसद के साथ-साथ देश भर के सार्वजनिक व्यक्तियों को आशंकित कर दिया है । उस समय के गृहकार्य मंत्री श्री यशवन्त राव चह्वाण ने इस देश के पांच प्रमुख विधिवेताओं के राज्यपालों से कार्यकलापों के प्रश्न पर और साथ ही मुख्यमंत्रियों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा था । इन पांच प्रसिद्ध विधिवेताओं ने अपना मत दे दिया है जिस पर प्रवर समिति अधिक गहराई से विचार करने और किसी उचित परिणाम पर पहुंचने में समर्थ होगी । अतः यह अच्छा ही होगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ।

श्री प्र० के० देव : जिन 18 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है मैं उनका बहुत आभारी हूं । 1967 के चुनावों के बाद जो परिस्थितियां सामने आईं उन्हीं से बाध्य होकर यह विधेयक पेश किया गया है ।

इस विधेयक पर जिन 18 सदस्यों ने भाषण दिये हैं उनमें से छः को छोड़कर सभी ने विधेयक का पूर्ण समर्थन किया है । वैसे छः सदस्यों का विरोध भी केवल नाम मात्र को है क्योंकि उनके नेताओं ने विधेयक का समर्थन ही किया है । भारतीय संसदीय संघ के तत्वावधान में 2 मई 1970 को एक गोष्ठी हुई थी जिसमें अधिकांश लोगों का मत था कि राज्यपाल को मार्ग दर्शन करना ही चाहिये । इस प्रश्न पर दो राएं नहीं हैं । अब प्रश्न तो केवल यही है कि यह मार्ग दर्शन किस प्रकार का हो ।

चूंकि राज्यपाल चुने नहीं जाते अपितु वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और गृह मंत्रालय ही सम्पूर्ण बातों में उनका मार्ग दर्शन करता है इसीलिये हम राज्यपालों द्वारा निष्पक्षता की आशा नहीं कर सकते। हाल ही में घटनाओं द्वारा इस तर्क को और भी बल प्राप्त हुआ है।

यदि सांविधानिक दृष्टि से देखा जाय तो राज्य के मुखिया के रूप में कार्य करते हुये राज्यपाल को मतदाताओं की इच्छा को पूर्त रूप देना चाहिये। परन्तु हमने देखा है कि देश में अल्पसंख्यक सरकारें बन रही हैं। राज्यपाल पक्षपातपूर्ण ढंग से अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आज राज्यपालों से कोई यह आशा नहीं कर सकता कि वे अपने पूर्व सम्बन्धों के कारण कभी स्वतन्त्र रूप से अपने विचार व्यक्त करें। अत: राज्यपाल के मार्गदर्शन की आवश्यकता के बारे में दो राय नहीं हो सकती। यह मार्गदर्शन सांविधिक और सांविधानिक होना चाहिये। अत: इस मार्गदर्शन को सम्मिलित करने के लिये हमें संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा।

मैं प्रस्ताव लेने के सुझाव से सहमत नहीं हूं परन्तु मैं अपने मित्र श्री क० प्र० सिंह देव का यह संशोधन स्वीकार करता हूं कि प्रस्ताव प्रवर समिति सौंप दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर विचाराधीन संशोधन दो हैं एक प्रस्ताव श्री इमाम का है और दूसरा श्री क० प्र० सिंह देव का है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया

The amendment was put

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok-Sabha divided

पक्ष में 45 : विपक्ष में 54

Ayes 45 : Noes : 54

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok-Sabha divided

पक्ष में 41 विपक्ष में 69

Ayes : 41 Noes : 69

यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्धन) विधेयक
SUPREME COURT (ENLARGEMENT OF CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION) BILL

श्री आनन्द नारायण मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के परिवर्धन करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ एक पर, पंक्ति 4 में, "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्धन करने के लिये विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री आनन्द नारायण मुल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL
अनुच्छेद 330 तथा 332 का संशोधन

Shri Suraj Bhan (Ambala): Mr. Deputy Speaker, there is nothing new in the Bill which I am presenting before the House today. Last year when House discussed the extension of reservation for Scheduled Castes and Tribes for another ten years, even at that time I presented this small amendment. I said reservation representation clause of the constitution should be amended to read as "It should not be less than their population" instead of "It should be as near a possible." I simply demand that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given their due in accordance with their population.

It is a matter of pleasure that at that time my amendment was supported by opposition parties. The Scheduled Castes and Tribes are being misbehaved in every State in country. I have moved this motion with great expectations.

Mr. Deputy Speaker, all opposition parties are supporting this amendment and I will request the ruling Congress Party also to support it.

In the course of discussions on the Bill proposing enhancement of the value of Postal orders upto Rs. 50/- Shri Randhir Singh stressed for improvement of mail services in the villages. The main demand was for the provision of Seats for Scheduled Castes in proportion to their population which is already incorporated in Article 334 of the constitution. If that can prove workable in respect of Autonomous distrtcts of Assam, why cannot it be workable for Schedule Castes and Schedule Tribes? This Bill would provide justice for the Schedule Castes and also bring about uniformity in the implementation of constitutional clauses 330 and 334.

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

In the matter of services there is a reservation for fixed percentage, but that is not fulfilled. It is said that suitable conditions are not available for that. In the political sphere there should

be no question of unsuitability in the matter of number of seats. Even in the matter of census justice is not given to the Schedule Castes and Schedule Tribes. Family Planning is not popular among them. The census for 1961 indicate an increase of 17.4% in the population of Schedule Castes and Schedule Tribes against the over all increase in the country's population to 29.55 per cent. There is a tendency to show their population on the lower side. Apart from that seats are not provided in Assemblies and Parliament on the basis of their admitted population.

The addmittance of my Bill would provide maximum of one Lok Sabha Seat for Schedule Castes. So this principle should be incorporated.

I appreciate the support given to the Bill by some opposition parties. I hope that the members of the Congress Party would support my Bill.

श्री सेझियान* (कुम्बकोणम) : मैं अपने दल-द्रमुक की ओर से श्री सूरज भान जी के विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं । इसे स्वीकार करने से पर्याप्त उपलब्धि होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता । इससे तो केवल संसद में उनकी 7–8 सीटें बढ़ जाएंगी ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य तो अनुसूचित जातियों की भलाई है जिसकी ओर संसद और विधान सभाओं को ध्यान देना चाहिए ।

दिसम्बर, 1969 में आरक्षणों की अवधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करते समय उद्देश्य यही था कि अनुसूचित जातियों की प्रगति में सहयोग दिया जाए ।

कुछ लोग लम्बे समय तक ऐसे आरक्षणों का एक देश और एक राष्ट्र के निर्माण के नाम पर विरोध कर सकते हैं । जब तक अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां दबी हुई हैं तब तक ऐसे सुरक्षण दिये जाने चाहिए ।

महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर के मध्य 1930 में हुई वार्ताओं के फलस्वरूप स्थानों का इस प्रकार सुरक्षण आरम्भ हुआ था । वास्तव में सच्चा प्रजातन्त्र तो तभी स्थापित होगा जब ऐसे सुरक्षण समाप्त कर दिये जाते हैं । निर्धन पिता का पुत्र धनी हो सकता है किन्तु अनुसूचित जातियों में उत्पन्न व्यक्ति का कतई छुटकारा नहीं होता । समाज की आज यही स्थिति है । इस स्थिति के बदलने पर ही सच्चा प्रजातन्त्र स्थापित होगा ।

इस सदन में अथवा अन्यत्र भी प्रजातन्त्र की सैद्धान्तिक चर्चा से हम संतोष अनुभव कर सकते हैं । परन्तु देश में वास्तविक प्रजातन्त्र निर्माण के लिये हमें जातीय आधार पर स्थापित सामाजिक असमानताओं से छुटकारा पाना चाहिए जिससे भ्रातृ-भावना का प्रसार हो तथा एक मिले जुले समाज का गठन हो ।

शताब्दियों से जो लोग हर मौसम में समाज की खाद्य तथा अन्य आवश्यकताओं को जुटाने के लिये श्रम करते रहे हैं, वह आज भी गंदी बस्तियों में दयनीय अवस्था में रह रहे हैं । अनुसूचित जातियों के लोग भी, अन्यों की भांति, भारत माता के लाल हैं । जो लोग दूसरों के लिये जीवन-यापन की सुविधाए जुटाने के लिये कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें ही समाज में अत्यन्त दयनीय दशा में रहना पड़ रहा है । सुरक्षण समाप्त करने से पूर्व छूत छात का सर्वथा उन्मूलन किया जाना चाहिए और सभी जातीय भेद भावों को समाप्त करना चाहिए ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

मैं जनसंघ के सदस्यों से, जो भारतीकरण का प्रचार करते हैं, को छूतछात को सदा से मिटाने में सहयोग देने को कहता हूं । मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस संशोधन का समर्थन करेंगे ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I appreciate the spirits implied in the bill moved by Shri Suraj Bhan and wish that Government should consider this demand seriously. The people who had been putting hard labour for earning the entire wealth were discriminated by the people as well as Governments. I congratulated the congress Government for introduction of reservation of seats in legislative Assemblies and also in services.

It is our duty to increase the amenities of these people who have been down trodden for thousands of years. They have 112 seats on the basis of, as nearly as possible. If the seats are allocated on the basis of population it would come to 134. If these number of seats is increased the union territories would not have all the seats as general seats but all such seats would become reserved seats.

Before this bill is passed, a committee be formed with Shri Suraj Bhan and others as members. The matter as to what can be done at Government level should be examined. There is a watch dog committee of Harijans wherein this matter may be discussed and a solution found. Any how they must get seats in proportion to their population. These people have been suffering for thousands of year . I wish that the Government may bring forward the matter itself, without delay. With these words I support this bill.

Shri Sheo Narain (Basti) : I support this bill. The present Government is worthless. The President of the new congress is a Minister as well. Sarvshri Mohan Dharia and Chander Shekhar are openly saying that he should vacate one office. Boys who have obtained Master's degree wander around Anand Bhavan without any employment. This Government and the Government of Shri Charan Singh is doing nothing for the upliftment of Harijans. If a negro is burnt in Africa, we make a lot of noise. No attention is being paid if Harijans are beaten or fired at in our country. Every body is aware of happenings in Andhra Pradesh.

This Government feels that the votes of Harijans are in his pocket. I challenge it. The Harijans would not give votes to these worthless people who construct Jagjiwan Bhavan and Kala Bhavan and do not do anything for Harijans. Shri Hanumanthaiya should act as late Shri Gobind Menon did in the aid of Harijans.

The demaned of Shri Suraj Bhan is just and it should be met with.

Late Dr. Lohia said that 27 crores of people of this country eran less than 3½ annas. According to Shri Nehru it was 15 annas and as per Shri Nanda it was seven annas.

I am thankful to Shri Suraj Bhan for taking up this matter. The Government should act sincerely. I am not anti-Government and wish that they should uplift Harijans.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I support the bill put forward by Shri Suraj Bhan. I request the Hon. Minister to clarify the official view point. Has the reservation of 22½% fixed for services been fulfilled so far as constitution of Council of Ministers, legislative assemblies and Government services.

Mr. Chairaman: We shall now take up half an hour discussion.

*उर्वरक संयंत्रों का निर्माण

*CONSTRUCTION OF FERTILIZER PLANT

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : Mr. Speaker, Sir, this is an important subject on which we are going to hold discussion. India had been an agricultural country from the very beginning. Unless we bring out basic changes in the condition of the peasants and in agriculture, it will have a bad effect on our economy and political life. This is the reason why we have been depending on other countries to feed the millions in our country. After we achieved freedom, it should have been our aim to make all possible effort to stand on our own feet with regard to food materials. But since we could not provide modern agricultural implements to our peasants and also we could not mechanise farming, and give necessary training to them, we could not become self-sufficient in food materials. This is the reason why we could not improve our economy. As a result of these things to-day our political atmosphere is clouded with uncertainty. If we are really willing to feed the millions of people of our country, if we want to become self-sufficient, we must think seriously on the large-scale production of fertilizers, as also its use. There is a Fertilizer Corporation here, under which so many factories are functioning. In the private sector also fertilizer Plants are running. But we could not provide the peasants fertilizer sufficient for large-scale cultivation. We could not give them ample credit facilities in time, with the result they could not make improvement in the agricultural field. Unless we give ample attention to produce more from each acre, we cannot become self-sufficient.

In this background, I would like to say one thing regarding the fertilizer projects running in our country. There are so many projects in public sector in our country. So much is said of the marketing, purchasing and such other things of these Projects. But one thing is clear. We have so far made only propaganda. We have not made any arrangement to give training to the peasants regarding the use of fertilizer; regarding the use of modern sophisticated agricultural implements. We did not make the agricultural planning in such a way so as to create a mass awakening in the minds of millions of our peasants. We have increased the price of fertilizers enormously so that it went beyond the reach of average peasants, who have no ample resources to purchase it.

So many fertilizer projects are under construction in both sectors in the country. The Government have given sanction to set up one in Goa. Another one is set up in Meethapur which bears a cost of Rs. 50 crores. But it is not clear as to when these projects will start production. The reason is that we are depending to a greater extent on foreign aid. If we want to make a basic change in our economic policy, we must stop our dependence on foreign investment. Had we done our work with a sense of dedication, we could have completed a large number of projects.

In Rajasthan, a vast rock phosphate reserve of about 100 million tonnes has been found. This is a highly essential factor in the production of fertilizers. 80 percent of the expenditure on the production of fertilizers goes in for the purchase of rock phosphate and sulphuric acid. This vast reserve of rock phosphate has brought a new hope in the minds of the people. Hence, immediately the Government should take initiative in setting up a public sector fertilizer project near Udaypur or near Jaysamundra or Udaya Sagar. We have so many fertilizer plants in our country, but so far not even a single one is set up in Rajasthan where raw materials are available in abundance. If this raw material is carried to other places, the production expenditure will rise enormously. Now in kotah, there is a factory in private sector, which produces urea. I would urge upon the Central Government to set up a fertilizer plant in Rajasthan, without delay.

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

One other thing, which I would bring to the notice of the Government is that the present marketing arrangement should be changed. The peasants will get only 40 or 45 kg. in a packet of 50 kg. This packet should be removed and some other things should be replaced there.

Finally, I would like to say that these projects should not be mere paper projects. For the last many years, these projects have not been yielding good results. If the peasants are getting fertilizers in time, our production will increase. Otherwise, we will come in the grip of a revolution, which the State Governments or Central Government cannot face. A fertilizer Plant in Rajasthan is an imperative need because we can save foreign exchange annually to the tune of Rs. 100 crores. Therefore, let the Government declare that a fertilizer plant will be set up in Rajasthan.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Mr. Speaker, Sir, unfortunately, in the various departments of our Ministries different rules are being pursued. Fertilizer and water are closely connected. If they supply water and not fertilizer it will be of no use. Hence, where the people get water from canals, fertilizers should be provided to them. In this connection, I would like to ask some questions.

First question is that we had a stock of fertilizers worth Rs. 200 crores. I would like to know in what way it was utilized.

Secondly, the Fertilizer Corporation has achieved a profit of Rs. 4 crores in 1969-70. Will the Government fix the price of fertilizer on a no-profit-no-loss basis so that our poor peasants also can purchase it on a lower rate ?

Thirdly, we believe in mixed economy and hence private sector should also be given proper incentive. When the proposed fertilizer Plants in Goa and Meethapur will start production ?

In the Khetri copper project, sulphuric acid is being produced as a by-product with the help of which a fertilizer plant is going to be set up. I would like to know when it will be completed. Why is it delayed ?

Finally, I would like to know from the Minister whether he has ever thought over the matter that if the money that we invest in fertilizer plants, is spent in looking after livestock, we will get fertilizer apart from milk ? Has he analysed the economic aspects of this matter. What steps the Government is proposing to take in developing our livestock ?

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : हाल में सरकार ने घोषणा की कि पाराद्वीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वैसे ही तालचेर में भी कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना की जाएगी। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। मगर इन दोनों संयंत्रों का निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है। मुझे पता चला है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गड़बड़ी के कारण वहां काम रोका हुआ है। मैं आशा करता हूं कि केवल इसके आधार पर इन संयंत्रों का काम बन्द न किया जाए। अगर मंत्री महोदय सरकार द्वारा लिये जा रहे प्रभावशाली कदमों के बारे में कोई वक्तव्य दें, तो काफी अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि उर्वरकों के कारखाना मूल्य और बिक्री मूल्य में काफी अन्तर है। सरकार ने इसको कम करने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाया। इसका मुख्य अंश एकाधिकारियों के वितरण अभिकरणों को प्राप्त होता है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो किसानों के लिये उर्वरकों की खरीद लाभकर नहीं होगी।

तीसरी बात है, उर्वरकों का प्रतिव्यक्ति उपयोग (प्रति एकड़) गत दो वर्षों से कम होता जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि इससे खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो जायेगा। अत: अगर छोटे किसानों को अधिकाधिक उर्वरकों के उपयोग का प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो इसके परिणामस्वरूप खाद्योत्पादन बहुत कम होगा। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्पष्ट जवाब चाहता हूं।

Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, the Government have given license to Birla for setting up a fertilizer plant in Goa, while an inquiry committee is set up to go into details of various matters regarding him. Then why did the Government issue license to him ? Is it not against the Monopolies and Restrictive Trade Practice Act ?

Secondly, the policy of the Government was to set up naphatha based fertilizer plant, but they have given permission to Tata to set up an amonium-based fertilizer plant in Meethapur, in which a large amount of foreign exchange will have to be spent. Why the Government acts against the accepted policies ? Have they sought clearance from Industrial Development Council on behalf of Tata and Birla in this connection ?

The Ministry and the fertilizer corporation are quite ineffective. I can cite so many instances. So I would like to know whether the Government will take effective steps to ensure that the new policy regarding fertilizers is effectively implemented.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे देश में कुल 560,000 गांव हैं जहां कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। अगर भारत को विकसित करना है, तो गांवों को विकसित करना चाहिए। गांवों के विकास के लिये खेती में विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति और कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता के बारे में कहा। इस संदर्भ में उन्होंने उर्वरकों के उत्पादन के बारे में भी कहा।

यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम काफी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप हमारी खपत और उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। अतः हमें खाद्यान्नों के आयात पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ा।

इस प्रकार खाद्यान्नों के आयात के लिये हमारे बहुत अधिक धन खर्च हो गए। 1950-51 से 1968-69 तक खाद्यान्नों के आयात के लिये लगभग 2,600 करोड़ रुपये और उर्वरकों के आयात के लिये 722 करोड़ रुपये खर्च हो गये। अत: इसको समाप्त करना है। इसी उद्देश्य से चौथी योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य 37 लाख टन निश्चित किया गया है।

वर्तमान उर्वरक संयंत्रों की कुल क्षमता 13.4 लाख टन है। दुर्गापुर, बरौनी, कोचीन, मद्रास आदि स्थानों में जो कारखाने निर्माणाधीन हैं, उनकी उत्पादन क्षमता 12 लाख टन होगी। अत: 1971-72 में जब इनका निर्माण पूरा होगा, तो कुल उत्पादन क्षमता 25.4 लाख टन होगी। तब 12 लाख टन की कमी रहेगी।

जहां तक फास्फोरस पूरक उर्वरकों का सवाल है, वर्तमान संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

4.21 लाख टन है। जो निर्माणधीन हैं, उनकी क्षमता 4.23 लाख टन होगी। अतः जब ये पूरे होंगे तो कुल उत्पादन क्षमता 8.44 लाख टन होगी। चौथी योजना में निश्चित उत्पादन-क्षमता 14 लाख टन है, अतः वहां भी कमी रहेगी।

माननीय मित्र ने कोयले पर आधारित संयंत्रों की बात कही। देश में कुछ संयंत्रों के निर्माण की बात सरकार के विचाराधीन है। तालचेर, रामगुडम, और कोरबा में कोयले पर आधारित संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ट्राम्बे के संयंत्र का विकास भी किया जा रहा है। नंगल का विकास किया जा रहा है जो गंधक पर आधारित होगा। कोचीन संयंत्र के दूसरे चरण का विकास आयातित अमोनिया के आधार पर किया जाएगा।

हल्दिया उर्वरक कारखाना विचाराधीन है। तकनीकी एवं आर्थिक कार्यों पर तैयार किये गये प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। इन सारे कारखानों का कुल परिव्यय करीब 399.38 करोड़ रुपये होगा और इसमें 111 करोड़ रुपए की मुद्रा आवश्यक होगी। सरकार इस बात पर गंभीरता से ध्यान दे रही है कि उर्वरकों का उत्पादन बढ़े और किसानों को यह कम मूल्य पर उपलब्ध हो। अगर सारे कारखानों में उत्पादन अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक नहीं होगा, तो उर्वरक कम मूल्य पर नहीं मिलेगा। गैर सरकारी क्षेत्र में भी अधिकाधिक संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिये। मगर इन सारे संयंत्रों के बावजूद भी, चौथी योजना के अन्त में 62 लाख टन उर्वरक की कमी होगी जिसके आयात के लिये काफी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। अतः सरकार इन बातों पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही हैं।

मेरे माननीय मित्र, श्री कुन्दू ने तेलचर संयंत्र के बारे में कहा। इसके सम्बन्ध में जो विदेशी मुद्रा का मामला है, वह ठीक हो गया है। तीन चार सालों के अन्दर इसका काम पूरा होगा। मामूली तौर पर इसके निर्माण को पूरा करने में 4 से 5 साल तक लगेगा। इसका कुल परिव्यय 70 करोड़ रुपये होगा जिसमें 20 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संयंत्र का निर्माण कार्य चार सालों में पूरा हो जायेगा।

जहां तक पाराद्वीप संयंत्र का सवाल है, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में मैं पता दूंगा। वहां एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के सम्भावना रिपोर्ट तैयार करने से सरकार सहमत हुई है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया से आयातित अमोनिया की सम्भावना सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है। जहां तक आयातित अमोनिया का संबंध है, सरकार की नीति यह है कि इसका उपयोग सारे सरकारी कारखानों में किया जायेगा। इस प्रकार उड़ीसा में दो संयंत्रों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है जिनमें से एक का कुल परिव्यय 70 करोड़ रुपये और दूसरे का 50 से 55 करोड़ रुपये होगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि उर्वरक सस्ती दरों में मिलनी चाहिए और इस के लिये उचित बजट व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी कारखानों में प्रतियोगिता चल रही है। एफ० सी० आई० द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब उर्वरक का उत्पादन बढ़ेगा, तो किसानों को कम मूल्य में वह प्राप्त होगा।

दो बातों पर यहां विशेष रूप से बल दिया गया है। वह है उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में लगा समय और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि। हाल में मुझे राजस्थान में पाये गए रोक फोस्फेट और पाईराइट्स के भंडार को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह काफी अच्छा भंडार है। पाईराइट्स कुल 15 करोड़ टन का है। रोक-फोस्फेट का भंडार उदयपुर बिरमानिया और जैसलमेर जिलों में पाया गया है। इसका भंडार करीब 5.9 करोड़ टन है। इन भंडारों के विकास के लिए इसके उचित उपयोग करने का काम पाइराइट्स और रसायन विकास कम्पनी को दिया गया। इस कंपनी का नाम बदल कर पाइराइट्स, फोस्फेट रसायन लिमिटेड कर दिया गया। जब इस कंपनी ने राजस्थान सरकार से खनिज पदार्थों के उपयोग के अधिकार मांग की तो राजस्थान सरकार ने उनके सामने यह शर्त रखी कि इन भंडारों के आधार पर राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाए। अत: पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राजस्थान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल के गठन करने का निश्चय किया गया। इसका गठन 17 अगस्त, 1968 में किया गया जिसमें मुख्य परियोजना अधिकारी जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। दल ने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि सयादीपुर, और उदयपुर में जो फोसफेट का भंडार है उसे देखते हुए वहां एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की जा सकती है। पूरे भंडार को यही ढंग से उपयोग करने में 4½ से 5 साल तक समय लगेगा।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी डा० सेन ने एक बैठक बुलाकर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उस बैठक में तय किया गया कि खनन और खुदाई का काम पाइराइट्स फोस्फेट और रसायन कम्पनी को सौंप दिया जाए। खोजकार्य में दो साल लगेंगे और उसके बाद कारखाना स्थापित करने में और तीन साल लगेंगे। खान तथा धातु मंत्रालय में इस संबंध में किये जा रहे कार्यों की प्रगति को देखने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया। अब तक उसकी दो बैठकें हुई।

इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? पाइराइट्स, फोस्फेट और रसायन कम्पनी ने सलाडीपुरा पाइराइट्स भंडार के उपयोग का काम शुरू किया है। कम्पनी ने उपयोग एवं उत्पादन संबंधी रिपोर्ट तैयार किया है।

रोक फोस्फेट का खनन राजस्थान सरकार पहले ही आरंभ कर चुकी है। 1969-70 के अंत तक कुल उत्पादन 96,898 टन था।

स्थायी समिति की दूसरी बैठक में यह तय किया गया कि जैसे कि पहले सूचित किया गया था, पाइराइट्स, फोस्फेट और रसायन कंपनी श्रेष्ठ किस्म के अयस्क की सप्लाई करेगी और उसके आधार पर फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया (भारतीय उर्वरक निगम) कारखाने का उचित प्रारूप तैयार करेगा। यही वर्तमान स्थिति है।

माननीय सदस्य ने गोआ के उर्वरक संयंत्र के बारे में कहा। इस संबंध में मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांग के अवसर पर विस्तृत चर्चा हुई थी। 1966 में इनको औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। दिसम्बर, 1969 के अंत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्होंने जो वित्तीय योजना तैयार की है, उससे सरकार संतुष्ट हो गई।

जहां तक मीठापुर कारखाने का संबंध है, इसे सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। सरकार ने इसे आशय पत्र देने का निर्णय किया। मगर एकाधिकार आयोग के प्रमाणपत्र के आधार पर ही इसको अंतिम रूप से अनुमति दी जायगी। माननीय मित्र जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया उससे संतुष्ट हुए होंगे। इस चर्चा में जितने सदस्यों ने भाग लिया उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 3 अगस्त, 1970/12 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 3, 1970/Sravana 12, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—20-12-70—340